Seventeenth Series, Vol. XVII No. 19

Monday, March 28, 2022
Chaitra 7, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eighth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XVII contains Nos.11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Arora

Joint Director

Maneesha Bhushan

Assistant Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XVII, Eighth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 19, Monday, March 28, 2022/Chaitra 07,1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 341 to 349	9-42
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 350 to 360	43-149
Unstarred Question Nos. 3911 to 4084, 4086 to 4140	150-776

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 778-807

COMMITTEE ON PETITIONS
26th to 31st Reports 808-809

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
Final Action Taken Statements 810

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
319th and 320th Reports 811

GOVERNMENT BILLS – Introduced 812-836

(i) Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022 812-813

(ii) Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 814-836

MATTERS UNDER RULE 377 842-868

(i) Regarding special package for Bundelkhand
Shri Anurag Sharma 842-843

(ii) Need to expedite four-laning of NH-75
Shri Vishnu Dayal Ram 844

(iii) Regarding creation of a separate "Adivasi" regiment in the Indian Army
Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan Dhanorkar 845

(iv) Need for expansion of railway track in Raigarh Parliamentary Constituency, Chhattisgarh

Shrimati Gomati Sai 846

(v) Need for establishment of a National Tribal University in eastern region

Shri Kunar Hembram 847-848

(vi) Regarding airport at Forbesganj in Araria district Bihar

Shri Pradeep Kumar Singh 849

(vii) Need to classify cold storage under 'White Category'

Shri Vijay Baghel 850

(viii) Need to include Kampil in Farrukhabad Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh in the proposed Jain circuit

Shri Mukesh Rajput 851

(ix) Need to declare State Highway No. 14 in Maharashtra as a National Highway

Shri Ramdas Tadas 852

(x) Regarding the issue of education of medical students who returned due to Russia-Ukraine conflict

Shri Nayab Singh Saini 853-854

(xi) Need to establish a Horticulture University in Manawar Tehsil in Dhar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Chattar Singh Darbar 855

(xii)	Need to start skill development programme in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan. **Shrimati Jaskaur Meena**	856
(xiii)	Regarding silver line project in Kerala **Shri Anto Antony**	857
(xiv)	Regarding rail coach factory at Kanjikode, Palakkad **Shri V. K. Sreekandan**	858
(xv)	Regarding direct train connectivity between Chennai and Tiruvannamalai **Shri C. N. Annadurai**	859
(xvi)	Regarding reducing the net borrowing limit of Andhra Pradesh **Shri Bellana Chandra Sekhar**	860
(xvii)	Regarding policy intervention to retain students graduating from Indian Institute of Space Science and Technology (IIST) **Shrimati Aparupa Poddar**	861
(xviii)	Regarding passenger train services between Saharsa and Purnia in Bihar **Shri Dinesh Chandra Yadav**	862
(xix)	Regarding allocation and release of funds for AMU Centre, Malappuram **Dr. M. P. Abdussamad Samadani**	863
(xx)	Regarding urban revitalization of Municipalities in Darjeeling and Kalimgpong districts **Shri Raju Bista**	864-865

(xxi) Need to provide water to Jhunjhunu district, Rajasthan from Yamuna canal

Shri Narendra Kumar 866

(xxii) Need to categorise Sickle Cell Anemia as permanent disability

Shrimati Raksha Nikhil Khadse 867

(xxiii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Satara Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Shriniwas Dadasaheb Patil 868

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2022 869-940

Motion to Consider 869

Shri Arjun Munda 869-871, 934-940

Shri Pradyut Bordoloi 872-877

Shri Tapir Gao 878-880

Shri A. Raja 881-884

Kumari Goddeti Madhavi 885-888

Shrimati Pratima Mondal 889-892

Shri Arvind Sawant 893-896

Shri Mohammed Faizal P.P. 897-899

Shri Hasnain Masoodi 900-902

Shri Saptagiri Sankar Ulaka 903-905

Shri Rebati Tripura 906-907

Shri Indra Hang Subba 908-909

Shri Naba Kumar Sarania	910-911
Kumari Agatha K. Sangma	912-914
Shri Bhartruhari Mahtab	915-918
Shri Girish Chandra	919-920
Shrimati Jaskaur Meena	921-922
Shri Kodikunnil Suresh	923-926
Shri Kunar Hembram	927-928
Shri E.T. Mohammed Basheer	929-930
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	931-933
Clauses 1 and 2	939
Motion to Pass	940

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	921
Member-wise Index to Unstarred Questions	922-928

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	929
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	930

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, March 28, 2022/Chaitra 07,1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न-341, श्रीमती सुमलता अम्बरीश ।

… (व्यवधान)

(Q. 341)

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Sir, as per the findings of the Standing Committee, the ESIC, which provides medical insurance to the employees, is facing problems due to dual administrative control. … (*Interruptions*) The ESIC facilities are extended by the State Governments and the medicines are provided by the ESIC. … (*Interruptions*) So, this leads to a lot of difficulties to the beneficiaries. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न काल चलने दीजिए । माननीय सदस्यों का महत्वपूर्ण समय प्रश्न काल होता है । प्रश्न काल के बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं पहले आपसे चर्चा करूंगा ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए ।… (व्यवधान)

11.03 बजे

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH: Sir, while the medicines are provided by the ESIC, the hospitals are run by the State Governments due to which a lot of difficulties are being faced by the beneficiaries. … (*Interruptions*) I would like to ask the hon. Minister if the Government is taking any corrective measures to address these difficulties. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद मैं सभी माननीय सदस्यों से, सभी दलों के नेताओं से चर्चा करूंगा । आप प्रश्न काल चलने दीजिए । प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है । माननीय सदस्य सरकार की जवाबदेही तय करते हैं । माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा ।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार की ईएसआई स्कीम में 1948 एक्ट के अंतर्गत ईएसआईसी अस्पताल संचालित किए जाते हैं।… (व्यवधान) पूरे देश में 160 ईएसआईसी अस्पताल हैं, उनमें से 50 अस्पतालों का सीधा संचालन केंद्र द्वारा किया जाता है । शेष 110 ईएसआई अस्पतालों का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।… (व्यवधान) माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, उसके उत्तर में बताना चाहता हूं कि दवाइयों के संबंध में एक पालिसी रेट कांट्रेक्ट ऑफ मेडिसिन ईएसआईसी अस्पताल के अंतर्गत बनाई गई है और उसमें आने वाली जो अन्य दिक्कतें हैं उनके कारण हमने ईएसआईसी में 3 सब-कमेटीज भी बनाई हैं । राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों और केंद्र द्वारा संचालित जो अस्पताल हैं, उनमें समानता लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।… (व्यवधान) हमने राज्य सरकारों से यह अनुशंसा भी की है कि वह अपने-अपने राज्यों में कार्पोरेशन का निर्माण करें और कुछ राज्यों ने कोर्पोरेशन का निर्माण भी किया है । इनमें ज्यादा अच्छे समन्वय से कार्यक्रम हो, इसके लिए हमारे विभाग द्वारा निर्णय लिए गए हैं।… (व्यवधान)

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Sir, I was happy to note in the hon. Minister's reply that seven additional ESIC facilities have started and also 54 further additional ones have been approved. … (*Interruptions*) I had already approached the hon. Minister regarding a 100-bedded ESI hospital in my constituency where about 25,000 employees are already enrolled and they face a lot of difficulties in commuting to far away places. So, I would like to ask the hon. Minister if and when this is going to be sanctioned, and I need an assurance. … (*Interruptions*)

11.05 hrs

At this stage, Dr. DNV Senthilkumar S. and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल के बाद मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करूंगा । आप कृपया प्रश्नकाल चलने दें ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है । इसके तहत माननीय सदस्यगण सरकार से जवाब मांगते हैं । आपसे आग्रह है कि आप कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल के बाद मैं आपको पर्याप्त समय और अवसर दूंगा तथा आपकी बातों को सुनूंगा ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को आप द्वारा नियोजित तरीके से कभी भी स्थगित नहीं होने दूंगा । मैंने आपसे हमेशा आग्रह किया है कि सदन चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए तथ सदन के माध्यम से जनता की समस्याएं एवं अभाव के विषय उठने चाहिए ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि आप भी जनता की समस्याएं एवं अभाव को उठाना चाहते हैं, तो मैं शून्य काल में आपको बोलने का समय दूंगा । आप सभी कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर विराजें ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री अधीर रंजन जी, श्री सुदीप जी मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं । मैं आप सभी को हमेशा मौका देता हूं । हर दिन मैंने आपको मौका दिया है । आपने हर दिन इस इश्यू को उठाया है । ऐसा कोई दिन नहीं है, जिस दिन मैंने आपको मौका न दिया हो । चाहे टी.आर.बालू जी हों, सुदीप जी हों या आप हों, मैंने सभी को मौका दिया है । यदि मैंने आपको पर्याप्त समय और अवसर न दिया हो, तो आप अपनी बात उठा सकते हैं ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी माननीय सदस्यों को हर डिबेट और चर्चा पर हमेशा पर्याप्त समय और अवसर देता हूं, लेकिन यदि आप नियोजित तरीके से सदन को स्थगित करना चाहते हैं, तो वह न्यायोचित नहीं है ।

… (व्यवधान)

11.07 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Sushri Mahua Moitra, Dr. DNV Senthilkumar S. and some other hon. Members went back to their seats.

SHRI BHUPENDER YADAV: Hon. Speaker, Sir, the hon. Member has raised a query about her Parliamentary Constituency in Mandya. I want to mention here that Mandya is a fully notified area under the ESI Act and has 5,449 insured persons as on 31st March, 2021. There are three State-run ESIC dispensaries in Mandya District and one empanelled private insurance medical practitioner. They are supplementing primary healthcare in Mandya.

As far as her other query is concerned, I cannot give an assurance to her but definitely, we will look into the matter.

HON. SPEAKER: Shri Nalin Kumar Kateel -- Not present.

N.K. Premachandran Ji.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, today the All-India Trade Unions, including almost all the National Trade Unions, are on strike.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप केवल प्रश्न पूछिए । अपनी बात शून्य काल में रखिएगा ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: One of the demands, among others, is regarding the review of ESI, PF as well as the review of the labour courts. The hon. Labour Minister is here, and today the first Question is relating to the labour issue. I am thankful to the hon. Speaker for admitting this Question and giving me an opportunity to ask a supplementary question on the day in which the national strike by the Trade Unions is going on throughout the country.

My question is regarding the review of the ESI. The wage ceiling limit for entitlement of the ESI Scheme is Rs.21,000. Now, you know very well that the wage revision is already over, after 2017.

Now, the salary has gone up. I want to know whether the Government is having any proposal to increase the wage limit of ESI so as to get the entitlement of ESIC. This is the (a) part of my supplementary question. The (b) part of my supplementary question is regarding the unorganized labourers. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : नो । माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी हमेशा आपको हर चीज का पर्याप्त जवाब देते हैं ।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, लगातार समय-समय पर पे रिविजन पर हमेशा विचार किया जाता है । वर्तमान में कोई ऐसा प्रपोजल अभी पेन्डिंग नहीं है, लेकिन ईएसआईसी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ईएसआईसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने के लिए हमने सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया है । मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूँ कि देश में जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, उसके लागू होने के बाद ईएसआईसी क्षेत्र में अन्य कामगार लोग, जो अभी तक शामिल नहीं हैं, वे स्वत: ही शामिल हो जाएंगे और ईएसआईसी देश के एक बड़े भाग के श्रमिकों की सेवा करने में सक्षम भी हो पाएगा और उसी दृष्टि से हमने सोशल सिक्योरिटी कोड़ को बनाया है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, आज के इस सवाल में ईएसआईसी का रिफॉर्म करने का मुद्दा आया है । इसमें एक, दो, तीन, चार, इस तरह से मुद्दे हैं, जैसे कि health reform agenda for ESIC includes online availability of electronic health record of ESI beneficiaries. This is one. The other is regarding Indradhanush Medical Helpline number. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है? इसमें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, इनकी हर बात में पंचामृत, पंचदीप, पंचत्व आदि होता है।... (व्यवधान) भूपेन्द्र यादव जी, आपको सारी जानकारी होगी, मैं जिस जिले से आता हूँ, हिन्दुस्तान में उसे बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक माना जाता है । बीड़ी मैन्युफैक्चर डिस्ट्रिक के जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, इन लोगों को हर किस्म की तकलीफ खासकर टी.बी. से लेकर हर किस्म की तकलीफ इनको झेलनी पड़ती है । इसीलिए मुर्शिदाबाद जिले में दो अस्पताल भी हैं । यह कहा जाता है कि इन अस्पतालों से लोगों को, खासकर लेबर को सुविधा मिलेगी । ये अस्पताल अभी बंद जैसी हालत से गुजर रहे हैं । वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई इलाज नहीं मिल रहा है, लाखों की तादाद में बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन वहाँ इनको चिकित्सा की कोई सुविधा मुहैया नहीं होती है । मैंने सदन में हमारे मंत्री जी से इस विषय पर थोड़ी जानकारी लेने के लिए सवाल पूछा है ।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही उपयुक्त विषय उठाया है । ईएसआईसी बोर्ड की जो पिछली बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि देश भर में मजदूरों की सेहत ऑक्यूपेशनल बेसिस डिजीज के आधार पर चिन्हित की जाए और ईएसआईसी के जो दो नए अस्पताल, एक बिहटा, पटना में और दूसरा अलवर में हम शुरू कर रहे हैं । एक तरीके से ऑक्यूपेशनल बेसिस डिजीज को पहचानने के लिए हम पूरी तरीके से उनको कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि इसी माह में 8 मार्च को जो पूरे देश में महिला दिवस मनाया गया था, दिल्ली में मेरे आवास पर हमने दो क्षेत्रों की महिलाओं को चिन्हित किया था । एक बीड़ी क्षेत्र, जिसमें अधिकर मजदूर महिलाएं हैं और दूसरा भट्टा क्षेत्र, इसमें भी अधिकतर महिलाएं हैं । उनमें से हमने 50 महिलाओं को चिन्हित करके 6 महीने के लिए उनका कार्ड बनाया है ताकि बीड़ी क्षेत्र और भट्टा क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की ऑक्यूपेशनल डिजीज की जाँच हो सके । इस समय 15 शहरों में ईएसआईसी के द्वारा फ्री हेल्थ मेडिकल एग्जामिनेशन के कैम्प भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहे हैं । मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन हमारी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी भी उसमें उपस्थित थीं और 6 महीने बाद

जो हमारी ईएसआईसी की रिपोर्ट आएगी, हम अपने मंत्रालय द्वारा उनकी योजनाओं को और अच्छी तरह से लागू भी करने वाले हैं।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैंने आपसे मुर्शिदाबाद के बारे में पूछा है।… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : मुर्शिदाबाद, कोल्हापुर, पूना, अजमेर सारे क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया है । पुरुलिया को भी हमने चिन्हित किया है ।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : महोदय, भीलवाड़ा में लगभग 70 हजार आईपीज ईएसआईसी के हैं, लेकिन वहाँ का जो अस्पताल है, वह राज्य द्वारा संचालित हो रहा है । क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस अस्पताल को केन्द्र में ईएसआईसी के अंडर में लिया जा सकता है? वहाँ काफी दिक्कत हो रही है, वहाँ पद खाली हैं, वहाँ दवाईयाँ बराबर नहीं मिल रही हैं । क्या इस बारे में कोई पॉलिसी निर्णय हुआ है? इसमें जैसे माँग की तो बताया गया कि यदि राज्य सरकार अनुशंसा करे तो ही हम ले सकते हैं । राज्य सरकार तो कभी अनुशंसा करने वाली नहीं है । क्या आप सीधा उसे लेंगे?

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, ईएसआईसी में जो मेडिकल स्टॉफ की कमी का विषय है, उसे ईएसआईसी बोर्ड के द्वारा लिया गया है । अभी कुल मिलाकर ईएसआईसी के द्वारा पिछले समय में चिन्हित करके विभिन्न मेडिकल संवर्गों में जो विभिन्न पद हैं, उसमें दो हजार से ज्यादा पदों का नोटिफिकेशन भी किया गया है।

हम लोगों ने पिछली बोर्ड मीटिंग में यह निर्णय भी लिया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित अस्तपाल हैं और केन्द्र सरकार के जो संचालित अस्पताल हैं, उनमें सभी डॉक्टरों को समान वेतनमान देने के लिए हमने एक पॉलिसी डिसिजन पर फैसला लिया है । उस डिसिजन के आधार पर इस कमी को दूर किया जा सकेगा । जहां तक सदस्य महोदय ने राज्य सरकार के द्वारा संचालित अस्पताल को केन्द्र सरकार में देने की बात कही है, ऐसा प्रस्ताव राज्य के द्वारा आने पर ही विचार किया जा सकेगा ।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 342 – श्री आर. के. सिंह पटेल ।

(Q. 342)

श्री आर. के. सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि शिक्षा में बेटा और बेटी में जो अंतर था, हम बेटी को हाथ पीले करने तक के लिए पढ़ाते थे और बेटे को कलेक्टर, एसपी, आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए पढ़ाते थे । वह बहुत बड़ा अंतर था । उस अंतर को खत्म करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं । मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

मेरा क्षेत्र बुंदेलखंड है, जहां से मैं चुन कर आता हूं । वहां पर दो केन्द्रीय विद्यालय वर्ष 2013 में स्वीकृत हुए थे । एक चित्रकूट जिले में, जो भगवान राम की तपोस्थली है, वहां पर नौ साल से भवन विहीन विद्यालय संचालित है । वहां भवन नहीं है और वह किराये की बिल्डिंग में संचालित है । बांदा में स्वीकृति तो हुई थी, लेकिन… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है?

श्री आर. के. सिंह पटेल : मैं सवाल ही कर रहा हूं ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट विराजें । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि यह प्रश्न काल है । प्रश्न काल में संक्षिप्त में प्रश्न पूछें और माननीय मंत्रीगणों से विशेष आग्रह है कि वे भी संक्षिप्त में जवाब दें, ताकि हमारी पूरी लिस्ट कम्पलीट हो जाए । क्योंकि 20 माननीय सदस्यों के प्रश्न लॉटरी में खुले हैं, तो सब का नम्बर आ जाए ।

श्री आर. के. सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि दोनों जिलों में केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए थे । चित्रकूट जिले में संचालित है और बांदा में संचालन के लिए अभी पड़ा हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बांदा जिले में भी जमीन उपलब्ध करवा दी गई थी । वहां और चित्रकूट जिले में भवन निर्माण हो जाए और आप निर्माण की

प्रक्रिया कब तक पूरी करेंगे? आप बांदा जिले में संचालन कब तक करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सांसद ने बांदा जिले के केन्द्रीय विद्यालय के बारे में किया है, वे जिस जमीन की बात कर रहे हैं, पहले जमीन चिन्हित की गई थी । लेकिन उसमें कुछ त्रुटियाँ थीं, जिसकी वजह से वह नहीं हो पाया है । हम अभी लगातार पत्राचार कर रहे हैं । जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी और बिना शुल्क के भवन उपलब्ध हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से शुरू करवा देंगे । इसके लिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वह उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाएं । वह जितनी जल्दी जमीन उपलब्ध करवा देंगे, हम उतनी जल्दी उसकी शुरुआत करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : वे दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तभी तो प्रश्न पूछ रहे हैं । आप सरकार से बात करो, वे दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी : राज्य सरकार हमें जमीन देती है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री आर. के. सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मेरा यही प्रश्न है और आग्रह है कि वहां पर... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया । यह तो केवल नियम है, इसलिए मैंने आपसे सप्लीमेंट्री के लिए कह दिया । यह जरूरी नहीं है कि आप दूसरी सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री धर्मेन्द्र कश्यप ।

श्री धर्मेन्द्र कश्यप : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी लोक सभा के दो जनपद बदायूं और बरेली में हैं । तीन विधान सभाएं जनपद बरेली की पड़ती हैं और दो विधान सभाएं जनपद बदायूं की पड़ती हैं । जब हम प्रवेश के लिए कूपन देते हैं तो बरेली में एडमिशन नहीं होते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कूपन क्या होता है?

श्री धर्मेन्द्र कश्यप : एडमिशन का फार्म होता है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सांसद कूपन थोड़े ही देते हैं ।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कश्यप : कोटा होता है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस कोटे को खत्म करने के लिए ही चर्चा चल रही है।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कश्यप: अध्यक्ष जी, हम उसको बढ़ाने की बात करना चाहते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ कि हमारे जो एडमिशन बदायूं में होते हैं, जबकि तीन विधान सभाएं जनपद बरेली में लगती हैं, उनको बरेली में कराने के लिए निर्देश करने का काम करें । जो 10 एडमिशन होते हैं, उनको बढ़ा कर 50 करने का काम करें, ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके । हम माननीय मंत्री जी से इस पर निर्देश चाहते हैं।

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): अध्यक्ष जी, आपने पिछली बार भी चर्चा में इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन किया था । लेकिन धर्मेंद्र जी का प्रश्न लिखित प्रश्न से कुछ अलग है । कुछ विषय स्पेसिफिक विसंगतियां हैं, तो उन पर ध्यान दे दिया जाएगा, लेकिन यह एक अलग प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : यह सवाल है कि आप सभी सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं और सभी केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे । इसके अलावा कोई और प्रश्न तो नहीं है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जगदम्बिका पाल जी।

यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है । केरल में कहां आ गए।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ कि आज माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि हमारी सरकार आई और उसके बाद केन्द्रीय विद्यालय खोलने की एक सतत प्रकिया चालू हुई है । उस प्रक्रिया में आज भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 122 केन्द्रीय विद्यालय फंक्शनल हो गए हैं । इसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ । खास तौर से जो एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थे, जैसे सिद्धार्थनगर, बहराइच या श्रावस्ती आदि में भी एक केन्द्रीय विद्यालय था, लेकिन एक बहुत जर्जर भवन में चल रहा था । सरकार ने बजट दिया और बिल्डिंग तैयार हो गई । उसका उद्घाटन भी माननीय मंत्री जी ने किया । उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ । आपके माध्यम से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ इन्होंने चैलेंज मैथड कहा कि जो प्रपोजल्स आएंगे, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चैलेंज मैथड से करेगी, तो यह चुनौती पद्धति क्या है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी आपकी अनुमति से चैलेंज मैथड क्या है, उसके बारे में विस्तार से विवरण दिया था । माननीय सदस्य हो या संबंधित राज्य सरकार हो, जब यह निवेदन करते हैं कि हमारे वहां एक सेन्ट्रल स्कूल खोला जाए, तब वहां के स्थानीय रीजनल डायरेक्टर को निर्देशित किया जाता है । उनके कुछ मानक हैं । जैसे जमीन चाहिए, अस्थायी रूप में स्कूल 5-7 साल चलने के लिए राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए । सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉयीज़ का एक्स नंबर होना चाहिए । अगर ये सारे क्राइटेरिया फिलअप होते हैं, तब वह फिर लिस्ट में आता है । फिर उसको वेटेज दिया जाता है कि इस मानक में कौन ऊपर है । उसी का नाम चैलेंज मैथड है ।

लेकिन जैसे आपने एक निर्देश देते हुए एक विषय कहा था, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विषय अवगत करना चाहता हूँ । शिक्षा एक दोहरे दायित्व की व्यवस्था है, जो राज्य सरकारों की भी है और केन्द्र सरकार की भी है । केन्द्र सरकार की भूमिका, यह बात मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा किकेन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या हमारे जनजातीय विभाग द्वारा चलने वाले एकलव्य विद्यालय जो हैं, ये आज की शिक्षा व्यवस्था का एकमात्र उत्तर नहीं है । राज्य सरकारों को ही उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा । लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील सरकार होने के कारण, पिछले दो साल पहले आदरणीया वित्त मंत्री जी ने 15,000 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, राज्य द्वारा चलने वाले स्कूलों को अपग्रेड

करने के लिए साढ़े 3 हज़ार करोड़ रुपये की वित्तीय प्रबंधन की अनुमति दी है । मैं सभी लोक सभा और राज्य सभा सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप रुचि लें । भारत सरकार जो पैसा विभिन्न आकार में देती है, लगभग 35-40 हज़ार करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती है । यह सारा पैसा आप लोग दिशा कमिटी में नियंत्रित कीजिए, समीक्षा कीजिए, तब आपकी सार्थकता शिक्षा में आएगी । सेन्ट्रल स्कूल केवल एकमात्र उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, आप भी ऐसा करें किजो कुछ भी स्वीकृति आपने दी है, आप भी माननीय सांसदों को पत्र लिख दें ताकि सबको जानकारी रहे।

श्री गिरीश चन्द्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कई बार लोक सभा में मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में केन्द्रीय विद्यालय की मांग उठा चुका हूँ । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वहां एक केन्द्रीय विद्यालय बनाने की कृपा करें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैंने तो प्रक्रिया के बारे में उत्तर दिया ही है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या -343, श्री पी. वेलुसामी ।

(Q. 343)

SHRI P. VELUSAMY: Most of the Government servants and PSU employees are depositing the entire retirement benefit in public sector banks for safety of their deposit, and earn interest to meet out their post-retirement expenses. I want to know whether the Government will bring an amendment to secure the deposits of retired Government servants above Rs.5 lakhs.

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष जी, यह मूल प्रश्न से संबंधित सवाल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: आप बता दें कि इसमें बढ़ाना है या नहीं । क्या अभी इसे बढ़ाने का इरादा नहीं है?

श्री पंकज चौधरी : अभी सरकार इसके ऊपर विचार नहीं कर रही है।

SHRI P. VELUSAMY: My second supplementary question is this. The failure of co-operative banks and non-banking financial companies are common in our country. As per the existing norms, the settlement of deposits is to be done within 90 days, which is on high side. Will the Government reduce the period to 30 days by creating a separate fund to help the poor depositors?

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर से हमारी सरकार इस समस्या को लेकर गम्भीर है । वर्ष 2008 में जब अमेरिका में वित्तीय संकट आया था, उसको ध्यान में रखकर वित्तीय संस्थान वर्तमान में 14 से अधिक कानूनों के माध्यम से गवर्न होते हैं । इसी क्रम में हमारी सरकार बैंक डिपॉजिट के लिए बीमा संबंधी मामले में आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए एफआरडीआई बिल, 2017 लेकर आई । फिर भी जनता को हो रही कुछ दिक्कतों को हल करने के लिए उसे ज्वायंट कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने वापस ले लिया । कानून लाने से पहले जमाकर्ताओं की तत्कालीन समस्याओं को दूर करने के लिए डीआईसीजीसी एक्ट के माध्यम

से विविध बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए कवर सीमा 4 फरवरी, 2020 से एक लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी गई है । बैंकों के रिजॉल्यूशन में जाने की स्थिति में जमाकर्ता बीमा राशि 90 दिनों के अन्दर किए जाने का निर्णय माननीय प्रधान मंत्री जी ने लिया, जो कि पहले की सरकारों में आठ से नौ साल तक और कई वर्ष लग जाते थे।

SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM: I want to know from the hon. Minister whether the Government is aware of certain NBFC-based Chinese mobile apps like Easy Loan and Rupee Cash that give out payday loans and access the entire contacts of the loan applicants, and harass them by calling their contacts regarding repayment of the loans. I want to know the steps taken by the Government in this regard to prevent such issues.

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष जी, जहां तक एनबीएफसीज़ का सवाल है, उसमें पहले से व्यवस्था बनाई गई है । आईबीसी कोड**,** 2016 दिवालिया होने के बाद की प्रक्रिया है । उसमें एनबीएफसीज़ के प्रश्न के बारे में सरकार के पास पहले ही आईबीसी कोड, 2016 के माध्यम से कानून उपलब्ध है । सरकार द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता नियम, 2019 के माध्यम से इसे नोटिफाई करके नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है । वर्ष 2019 की अधिसूचना के जरिए 500 करोड़ रुपये की कम्पनीज़ की दिवाला संबंधी कार्रवाई, आईबीसी कोड, 2016 के तहत की जाएगी।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would like to know whether it is a fact that the Government has sought the views of the Reserve Bank of India on drafting a modified version of the FRDI Bill in order to deal with insolvency of firms in the finance sector. If so, is the Bill going to provide for establishing a Resolution Authority which would have the powers to take prompt resolutions

and prompt corrective action framework for NBFCs? I would also like to know whether there is a greater need for a legislative backing for the entire financial sector.

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन सरकार ने वित्तीय फर्मों के समाधान हेतु एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करने के लिए नया कानून लाने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री भर्तृहरि महताब : क्या आपने रिजर्व बैंक को अभी भेजा है या नहीं?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, with your permission, I want to join in here. On the NBFCs, already, through the amendments made to the IBC, we have brought in a kind of a formulation with which NBFCs and related issues of solvency can be addressed.

So, that is one legislative amendment, which was brought in the recent past. The FRB Bill is the only route is not the case. We have already made a carve-out sort of provision in the IBC and that is on course, and many of the NBFC actions are being taken under it.

As regards the question of acting against many of them which are violative of the existing rules inclusive of the previous question raised by an hon. Member, action has already been taken. FIRs are filed against those App-based companies, which are harassing the depositors. Action has been taken across the country. FIRs are filed across the country.

So, on action being taken and also the legislative support, which is so required to sort out the NBFC related issues that are arising, the IBC related amendments that were brought in recently have been found to be effective and the RBI is certainly monitoring all of it.

SHRI T. R. BAALU : Speaker, Sir, this is the most important question as far as common people are concerned who are the stakeholders of inclusive growth. They are going to the bank to invest the small savings in their hands to plan their future for their family welfare.

Actually, this Government in 2021 have spent money on big industries who had NPA. In 2021, in NPA they have written off about Rs. 2 lakh crore. … (*Interruptions*) and between 2014 and 2021 they have written off Rs. 10.7 lakh crore. … (*Interruptions*) These are all money of investors and interest accrued by way of savings by the common people.

My most important question is this. Will the Government come forward to bring out a statutory provision to safeguard the interest of the common man and salaried class for the small investments made from their savings for the future so that they do not lose the confidence? Moreover, they are just going on investing in land and real estate business. Will the Government come forward to build up the confidence of the investor?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, hon. Member, Baalu ji is a very senior Member and has also seen various Lok Sabhas, and he is quite seized of the realities on the ground.

I would like to humbly submit that writing off is not completely waiving the amount. As a part of the accounting process, banks make a provision for the amount, which is due from the NPA account and in that process, we call it as writing off, but the provisioning is made and the pursuing of that particular defaulter or the NPA, which owes money to the bank, is followed up. That is why I may not be able to say the exact amount now, but several public sector banks have in the recent past -- I am saying over 10,000, but it is much more than that -- and I am not giving you the exact figures, have got the money back, which rightly belongs to them by claiming the assets of those defaulters.

This I would like to say, subject to correction, that for the first time NPAs are being pursued, action is being taken on the promoters, and money is being taken from the securities and assets that they have and given back to the bank.

This has happened under Prime Minister Modi and never before as regards NPAs. NPAs were left by the dozen and tonnes during the UPA rule. … (*Interruptions*) Money was never obtained back from these defaulters to go back to the banks. … (*Interruptions*) Adhir ji, wait a minute. … (*Interruptions*) These are bitter truths. … (*Interruptions*) You will have to hear it. … (*Interruptions*)

Sir, with your permission, today in newspapers there is a complete report on how health of public sector banks is improved and they are in pink of health. … (*Interruptions*) It is because as hon. Member, Baalu ji asked we were able to get it from those phone banking frauds. … (*Interruptions*)

They have … *the banks based on the phone calls made by the UPA Government. … (*Interruptions*) And that money has come back to the public sector banks; they helped us improve; it has come in the public space and media. Please do read it. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या -344, श्री अर्जुन लाल मीणा ।

---

* Not recorded

(Q. 344)

श्री तापिर गाव : ऑनरेबल स्पीकर सर, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से मोर दैन 13 स्कीम्स चल रही हैं । आर्टिकल 275, टीसीए, एसएस, इतनी स्कीम्स हर साल दी जाती हैं, लेकिन रूरल ट्राइबल एरिया में आज तक ट्राइबल जनजाति हैंड टू माउथ जिंदगी जी रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतना पैसा रिलीज करने के बाद क्या आप मिनिस्ट्री की ओर से मॉनीटरिंग और इवैल्युएशन कर रहे हैं?

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को और माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यह बात सही है कि मंत्रालय का जनजातीय क्षेत्रों एवं जनजातियों के लिए अपना एक कार्यक्रम है । इसके साथ-साथ, सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर, जनजातीय क्षेत्र के कार्यों को कैसे हम सही ढंग से करें, जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय लोगों के बीच में योजनाओं को कैसे पहुंचायें, इसके लिए एक मॉनीटरिंग सिस्टम बनाया गया है । आगामी पांच वर्ष के लिए जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उसमें इसकी पूरी व्यवस्था की गई है कि राज्यों के साथ मिलकर या केंद्र सरकार का जो सबप्लान प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत यहां पर एक मॉनीटरिंग सिस्टम डेवलप करते हुए आगामी दिनों में इसको बेहतर तरीके से और ज्यादा कैसे प्रभावी किया जाए, यह सुनिश्चित किया गया है ।

KUMARI RAMYA HARIDAS : Sir, the drop out rate in higher education is a major problem in rural areas among tribal students due to lack of residential facilities. Is the Government planning to establish residential higher education institutions in remote tribal areas in Kerala?

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी शिक्षा मंत्रालय के प्रश्न के दौरान बताया गया कि इस तरह के ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए जगह-जगह पर रेजीडेंशियल स्कूल्स खोले जा रहे हैं । वैसे स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट्स को रोके और उसके लिए भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से राशि आबंटित करती है कि इन सारी चीजों में कैसे रोक लगे । इसके अलावा, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम

से पोषाहार वितरण किया जाता है । बच्चों को सही तरीके से पोषाहार प्राप्त हो और उसके साथ-साथ ही शिक्षा में किसी तरह की कमी न रहे, ड्रॉप आउट्स कम से कम हों, यह कोशिश की जा रही है।

KUMARI GODDETI MADHAVI : Sir, there is a long pending demand from several States across the country for the inclusion of compact ideas with more than 50 per cent tribal population which are adjoining the Fifth Scheduled areas. In my State, Andhra Pradesh, a lot of families belonging to the tribal communities, who are staying outside the areas, is not getting benefits from the ICDS. What steps have been taken by the Government to include these families so that they can receive the benefits of the ICDS? Also, what steps have been taken for the inclusion of these areas under the Fifth Schedule of our Constitution?

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य रहते हैं, उनके लिए योजना बनाने के लिए इस तरह की किसी औपचारिकता की आावश्यकता नहीं है कि वे नहीं बना सकते हैं, वे बना सकते हैं । शेड्यूल्ड एरिया के बारे में जो माननीय सदस्या ने कहा है, उसकी आबादी की प्रक्रिया एवं संवैधानिक व्यवस्था की प्रक्रिया है । उसके तहत राज्य सरकार को जो भी औपचारिकतायें हैं, उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है और उसी के आधार पर फिर भारत सरकार निर्णय लेती है ।

श्रीमती जसकौर मीना : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि जनजातीय क्षेत्रों और जहां ट्राइबल सब-प्लॉन का एरिया है । क्या एनजीओ के माध्यम से सीधे मंत्रालय से कोई अनुदान दिया जाता है? आप उसकी संपूर्ण जानकारी दें कि हमारे संसदीय क्षेत्रों में भारत सरकार से सीधे-सीधे अनुदान दिया जाता है, यह किन-किन संस्थाओं को दिया जाता है और कितना दिया जाता है?

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से संबंधित विषय नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्या को इसकी पूरी सूचना उपलब्ध करा दूंगा । मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि जो भी एनजीओ का चयन होता है, वे सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं । बशर्ते राज्य सरकार के माध्यम से उसकी पूरी सूचना प्राप्त हो कि वह संस्था किस तरह का कार्य कर रही है और किस तरीके से उसकी गतिविधियां चल रही हैं । उसका अनुश्रवण करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या -345, श्री सुब्रत पाठक जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता जी ।

(Q. 345)

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में एनएलएमसी राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम की स्थापना के लिए अनुमोदन कर 9 मार्च, 2022 को माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया । मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और प्रशंसा करता हूं ।

माननीय मत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह उत्तर उद्देश्य बताता है कि रणनीतिक विनिवेश के अधीन भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सीपीएसईएस की सरप्लस भूमि और भवनों को स्वामित्व में लेना, प्रबंधित करना और मौद्रीकृत करना है ।

मेरा प्रश्न है कि एनएलएमसी और दीपम में क्या अंतर है? एनएलएमसी के गठन के पूर्व क्या मौद्रीकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि कोई सीमा तय की गई है । यदि लक्ष्य है तो क्या है और इसे कब तक हासिल करने का समय है?

डॉ. भागवत कराड़: माननीय स्पीकर सर, एनएलएमसी 9 मार्च, 2022 को सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसकी तरफ से गठित हो चुकी है । दीपम डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है । एनएलएमसी में जो सरप्लस लैंड है और उसके साथ नॉन-यूज्ड लैंड है, जो सीपीएसयू क्लोजर होने वाली है, उसके लैंड को इकट्ठा करके मोनिटाइजेशन करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है । यह इसका डिफरेंस है ।

DR. SHASHI THAROOR : Sir, unlike private land and property which can be traded routinely like any other commercial product, publicly owned land is actually managed by the Government which is elected by the public. The authorities elected by the public are responsible which means that that land really belongs to the public. We have had a philosophy for some time that when you have land in the hands of the authorities, the fact remains that you

try and put it to use for public purposes. So, a large portion of land held like this is reserved for low and middle-income households.

Now, I am concerned about the monetisation plans of this Government because with the National Land Monetisation process, some repurposing of the land will happen. That is what you are trying to make money out of. Should public land be devoted to the purposes of profit or should it be devoted to the public purposes of our society? And if it is the latter, should we not have some guarantee from the Government that the interest of low and middle-income families will be protected when it comes to land owned and managed by public companies?

डॉ. भागवत कराड़: माननीय स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट के 100 परसेंट पीएसयूज हैं, उसी को नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपेशन स्कीम में लिया जाएगा । जो आइडियल लैंड पड़ी है, जिससे कोई इनकम नहीं हो रहा है, जो सरप्लस लैंड है, ऐसे लैंड को इकट्ठा करके उसका मोनेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट का प्रयास है । इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगा और गवर्नमेंट को उसका फायदा होगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या -346, श्री बसंत कुमार पंडा ।

(Q. 346)

श्री बसंत कुमार पंडा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है । फिर भी मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, कोविड 19 के समय जो लोग वापस घर चले गए थे ।

नॉन आर्गेनाइज्ड सैक्टर के श्रमिक कोविड-9 के समय वापस घर चले गए थे । माननीय मंत्री जी राज्यवार आंकड़ा बताने की कृपा करें । ओडिशा से कितने श्रमिक गए और कितने वापस आए? क्या इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है?

मेरा एक निवेदन और है । मनरेगा में इंसान को काम करना चाहिए, मनुष्यों को काम करना चाहिए । मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ओडिशा में ज्यादातर काम अधिकारियों की जोड़तोड़ से मशीनों से हो रहा है और लेबर के नाम पर दिखाया जा रहा है । इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है । इसकी मॉनिटरिंग करना अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष: यह ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं । पहला विषय है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर कोविड-19 के दौरान वापस गए थे, उन्हें सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत रोजगार दिया गया था । जहां तक उनकी एग्जैक्ट संख्या का विषय है, कोविड-19 के बाद देश में ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत 27 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, असंगठित क्षेत्र का पूरे तरीके से जिला अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ है । केंद्र सरकार द्वारा लेबर ब्यूरो के अधीन माइग्रेंट लेबर सर्वे तय किया गया है, हमने इस सर्वे को प्रारंभ भी कर दिया है।

जहां तक ओडिशा के लाभार्थियों के बारे में पूछा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि ओडिशा में श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 17,01,612, जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 35,17,734, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 98,73,767 और ई-श्रम योजना के अंतर्गत ओडिशा में 1,32,39,564 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

श्री अरुण साव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है । इस उत्तर के अनुसार वर्ष 2017-18 में सर्वेक्षण संगठन के सर्वे के अनुसार 38,000 असंगठित क्षेत्र में कामगार थे । मार्च 2022 तक ई-श्रम पोर्टल में कुल 26.80 करोड़ लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है । इस प्रकार से बड़ी संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है । क्या सरकार उनके रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाएगी जिसमें इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि असंगठित कामगार योजनाओं का लाभ ले सकें । इसके लिए सरकार क्या करेगी? मनरेगा श्रमिकों को इसका लाभ मिले, क्या इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष, पहले प्रश्न में 38 हजार नहीं 38 करोड़ हैं । इसका सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया जाता है । ई-श्रम के अंतर्गत 27 करोड़ रजिस्ट्रेशन किए गए हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 27 करोड़ का रजिस्ट्रेशन केवल छः महीने की अवधि में किया गया । इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले सात वर्षों में भारत सरकार द्वारा देश भर में चार लाख कॉमन सर्विस सैंटर बनाए गए । कॉमन सर्विस सैंटर हर गांव में बने हैं । इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा आधारभूत ढांचा पहले से ही तैयार किया गया था।

दूसरा विषय है कि सरकार मजदूरों के ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेगी? निश्चित रूप से लेबर वैलफेयर अफसर इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, राज्य सरकार सक्रिय है और देश के सारे मजदूर संगठन ई-श्रम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।

तीसरे विषय के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्रों के लिए इस समय लाभदायी योजनाओं में सरकार द्वारा मजदूरों को पेंशन देने के लिए प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, मजदूरों के एक्सीडेंट के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना को लगातार विभिन्न श्रमिकों की वैलफेयर गतिविधियों द्वारा मजदूरों तक ले जा रहे हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Sir, the hon. Minister has given a very comprehensive reply. He said thirty-one days of protection is being given. E-commerce today is growing exponentially high. This is about Odisha, I appreciate. As regards gig workers, there are a lot of delivery girls and boys. In Maharashtra you see a lot of girls on two wheelers making an effort but there is absolutely no protection for them. Last week, Gadkari ji talked about the number of accidents going up. Is there some mechanism where we could all work to protect these youngsters who are striving to grow in this aspirational India?

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार डिजिटल माध्यम से हो रहा है, उसमें गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की भूमिका है । गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की कॉन्ट्रैक्ट बेस सर्विस होती है । वे लोग ज्यादातर डिजिटल माध्यम से ही एम्प्लॉय करते हैं और अपने कांट्रैक्ट की राशि पाते हैं । ऐसे में उनकी जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, वे पीछे रह जाती हैं । भविष्य में उनका एक्सीडेंट और कार्य स्थल पर होने वाले नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है, जिन्होंने अपनी सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत गिग वर्कर को परिभाषित किया है और मान्यता भी दी है ।

दूसरा, हमने जो ई-श्रम पोर्टल बनाया है, उसमें गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है, ताकि उनकी एग्जैक्ट संख्या का पता चल सके और सरकार के द्वारा जो अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, वह गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी पहुंचाया जा सके ।

श्री सौमित्र खान : अध्यक्ष महोदय, एक समय में बहुत सारे वर्कर्स पश्चिम बंगाल में कार्य करने के लिए आते थे । अभी बहुत सारे वर्कर्स काम करने के लिए बाहर जाते हैं । क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसा कोई आंकड़ा है, जिससे यह पता चल सके कि पश्चिम बंगाल से कितने अन-ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पूरे देश में काम करते हैं? अगर, डिस्ट्रिक्टवाइज जानकारी मिल जाए, तो बहुत अच्छा होगा । हमारे लोक सभा क्षेत्र में दो लाख श्रमिक बाहर काम करते हैं । मुर्शिदाबाद से सात-आठ लाख श्रमिक बाहर काम करते हैं । यदि संख्या की जानकारी मिल जाए, तो अच्छा होगा।

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, 22 मार्च, 2022 तक का जो आंकड़ा है, उसमें पश्चिम बंगाल में 2,78,90,604 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर हुआ है । मैं सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमने कार्य क्षेत्र के हिसाब से लगभग 400 ऑक्यूपेशन में देश के हर डिस्ट्रिक्ट तक रजिस्ट्रेशन किया है । अभी मेरे पास राज्य का आंकड़ा उपलब्ध है । लेकिन, मैं माननीय सदस्य को जिले का आंकड़ा भी उपलब्ध करा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह कर दीजिए कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं ।

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है । ई-श्रम पोर्टल अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जितने भी हमारे कारीगर भाई हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से हम सारे देश के श्रमिकों को दो-लाख रुपये तक प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा योजना का कवर दे रहे हैं । इसके साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठी हैं, देश में अभी तक जो रोजगार था, वह सप्लाई साइट पर होता था । डिमांड साइट पर जो हमारी उपलब्धता है, उसके आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट में घोषणा की गई है कि एमएसएमई क्षेत्र का ई-श्रम पोर्टल और एनसीएस पोर्टल का एक इंटीग्रेशन कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे देश में रोजगार की उपलब्धता, रोजगार पाने वालों की पहचान और उनके स्किल का विकास, तीनों को एक साथ किया जा सकेगा । मुझे लगता है कि सभी सदस्यों के माध्यम से हम असंगठित क्षेत्रों के श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा, उनके व्यावसाय की पहचान और उनको पहचान

पत्र देकर हम उनको एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक अधिकार प्रदान कर सकते हैं । इसमें सभी सदस्य सहयोग करें, माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए आप आह्वान करेंगे, तो अच्छा रहेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 349 को प्रश्न संख्या 347 के साथ क्लब किया जाता है।

श्री संजय काका पाटील जी ।

… (व्यवधान)

(Q. 347 and 349)

SHRI T.R.V.S. RAMESH : Sir, I would like to know whether the hon. Minister can give a rough breakup of the types of companies in which the candidates in Tamil Nadu have been placed. I would like to know what types of companies are recruiting the candidates who have been skilled in Tamil Nadu.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, a comprehensive Answer was given to the hon. Member. In that, it has been pointed out that under the PMKVY, a large number of students have been placed. The number has been given as 68,517 in Maharashtra, and 1,25,532 in Tamil Nadu. The Ministry does not keep information about where the candidate is placed because that placement is a very fluid process. Therefore, what we track is the number of candidates placed after the short-term training programme.

SHRI B. MANICKAM TAGORE : Sir, the hon. Minister has given a detailed reply, and I appreciate that. With regard to the Aspirational District Virudhunagar, I would like to say that it has one-JSS, 12-ITIs, and 58- PMKVY Training Centres. One District One Product Scheme is being run by the Ministry of Food Processing Industry. Will the Government help in skilling the local people working in industries like, firework industry, match industry, printing industry, handloom industry, or textile industry, which are popular industries in Virudhunagar and Madurai? How many people were given skill training in the previous year? Please let me know the number, if you have data in this regard.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, as the hon. Member has acknowledged, we have given a comprehensive answer. The skilling schemes and programmes are being run as demand-driven programmes. For example, in Tamil Nadu the top seven job roles are: self-employed tailors, sewing machine operators, commercial vehicle drivers, unarmed security guards, self-employed retailers, etc. These are demand-driven jobs.

The district skilling requirements are planned by the District Collector in consultation with the District Skilling Committee. The Government of India - through the skilling network - therefore, only allocates the monies for enabling skilling that is projected by the District Skilling Committee and the District Collector. That is the model that has been underway all this while.

However, under SANKALP we are now undertaking a special programme for each district, as the hon. Member has said, which is to address the local economies, both farming and non-farming economies, and skilling aimed at the youth so that they can find opportunities in the local economies.

माननीय अध्यक्ष : श्री रामशिरोमणि वर्मा – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: A Statement is laid on the Table of the House…. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या - 348.

सुश्री देबाश्री चौधरी जी ।

(Q.348)

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI: I would like to mention that high unemployment rates in some States may sometimes contribute to increased poverty rates, and poorer neighbourhood. In addition, the States with high unemployment rates are more likely to have restricted career opportunities, inadequate housing, access to fewer recreational activities, as well as limited access to public services and under-attended schools.

Keeping in view the above, I would like to know from the hon. Minister whether West Bengal is also one of the States with high unemployment rates, if so; the reasons thereof, and the steps taken to reduce the unemployment rate in West Bengal.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में जो रोजगार की स्थिति है, उसके लिए पीएलएफएस का सर्वे किया जाता है । लगातार जो पीएलएफएस का सर्वे है, वह इस बात को दर्शा रहा है कि देश में जो बेराजगारी की दर है, वह कम हो रही है, लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है । यह सप्लाई साइड का है । दूसरा जो डिमांड साइड का सर्वे है, वह सर्वे भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा प्रारंभ किया गया है । लेबर ब्यूरो के द्वारा जो सर्वे प्रारंभ किया गया है, उस सर्वे के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो नौ प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, जिसमें आईटी का क्षेत्र है, जिसमें एजुकेशन का क्षेत्र है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में वर्ष 2013-14 में जो व्यापक सर्वेक्षण हुआ था, उसके मुकाबले रोजगार में काफी वृद्धि की दर देखी गई है । उसके साथ ही साथ जो लेबर ब्यूरो का सर्वे है, उस सर्वे की एक तिमाही रिपोर्ट आ गई है । अभी दूसरी तिमाही रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है, जो यह बता रही है कि ओमिक्रॉन आने के बावजूद भी देश में रोजगार में वृद्धि हुई है ।

जो तीसरा विषय है, जिसको हम रोजगार में वृद्धि के रूप में देख सकते हैं, वह हमारे प्रोविडेंट फंड का रोल है । लगातार पिछले आंकड़े यह दर्शा रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड के रोल में वृद्धि हुई है । जहां तक माननीय सदस्या ने पूछा है कि सरकार के द्वारा रोजगार दिए जाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन का कार्यक्रम, डीआईपीटी के द्वारा मेक इन इंडिया का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्मार्ट सिटीज़ का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलेपमेंट के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्यक्रम, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ के द्वारा स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा स्टार्ट अप इंडिया का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन इत्यादि ।

12.00 hrs

इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' का कार्यक्रम, 'प्रधान मंत्री गति शक्ति' कार्यक्रम तथा सरकार के द्वारा जो अनेकों नई योजनाएं और कार्यक्रम बढ़े हैं, उनके कारण देश में कैपेक्स बढ़ा है और देश में रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं । अगर हम इन कार्यक्रमों को, पीएलएफएस के सर्वे को, लेबर ब्यूरो के सर्वे को और ईपीएफओ के पैरोल को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि देश में रोज़गार के प्रति सरकार के द्वारा संतोषजनक एवं उचित कार्यक्रम किए गए हैं।

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI : I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the proportion of women -- who get employment and who get paid -- is low and continue to decline over the years. Further, I would like to know whether it is also a fact that both in the urban and rural areas, unemployment among women is higher than men, and for women, the average unemployment rate was just double that of men. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न पूछने से समय समाप्त हो गया है । अब उत्तर देने का समय भी समाप्त हो गया है ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है । इसका रिप्लाई होना चाहिए ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप उनके वकील हैं?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, अच्छे दिन आ चुके हैं।… (व्यवधान)

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
(Starred Question Nos.350 to 360
Unstarred Question Nos.3911 to 4084, 4086 to 4140)
(Page No.83 to 776)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं - श्री टी. एन. प्रथापन, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री थोमस चाज़िकाडन, प्रो. सौगत राय, श्री के. मुरलीधरन, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री रितेश पाण्डेय, श्री एम. सेल्वराज, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, कुमारी राम्या हरिदास, श्री बैन्नी बेहनन, श्री एम. के. राघवन, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी., श्री हिबी इडन, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, श्री बी. मणिक्कम टैगोर। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए रुक जाइए। मैं पत्र सभा पटल पर रख देता हूँ।

… (व्यवधान)

12.03hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

राव इंद्रजीत सिंह जी ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 1-CA(7)/198/2021 in Gazette of India dated 7th March, 2022 under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.

[Placed in Libaray, See No. LT 6743/17/22]

(2) A copy of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Third Amendment Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.888(E) published in Gazette of India dated 28th December, 2021 under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Libaray, See No. LT 6744/17/22]

(3) A copy of the Limited Liability Partnership (Second Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.173(E) in Gazette of India dated 4th March, 2022 under sub-section (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

[Placed in Libaray, See No. LT 6745/17/22]

उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण**, **वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री** (**श्री अश्विनी कुमार चौबे**) : महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं **:-**

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 832(अ) जो 23 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी अंडमान और निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के साथ, गठन करना है।

(दो) का.आ. 136(अ) जो 17 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'चूना भट्ठों में पेटकोक के विक्रय और उपयोग' के बारे में है।

[Placed in Libaray, See No. LT 6746/17/22]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 जो 22 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6747/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं **:-**

(1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6748/17/22]

(3) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6749/17/22]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पंकज चौधरी**) **:** महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं **:-**

(1) (एक) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6750/17/22]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ई-सत्यापन योजना, 2021 जो 13 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5187(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) फेसलैस अपील योजना, 2021 जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.5429(अ) में प्रकाशित हुई थी और उसका शुद्धिपत्र, जो 7 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 90(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.15(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.24(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) प्रतिभूति संव्यवहार कर (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.25(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) ''ई-एडवांस रूलिंग स्कीम, 2022'' जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 248(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Libaray, See No. LT 6751/17/22]

(4) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरणियां और वक्तव्य तथा अन्य ब्यौरे) नियम, 2022 जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर) विनियम, 2022 जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी021 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फिनटेक इंसेंटिव) योजना, 2022 जो 4 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/021 में प्रकाशित हुई थी ।

[Placed in Libaray, See No. LT 6752/17/22]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वाल्ट प्रबंधक) विनियम, 2022 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/61 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटान कार्यवाही) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/62 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/62 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/67 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड की मान्यता के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और धोखाधड़ी का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/71 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) पंजीकरण एजेंसी} (संशोधन) विनियम, 2022 जो 28 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/72 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 23 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/73 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 23 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/74 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/63 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/68 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/69 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/70 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच करने और शास्तियां आरोपित करने की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 919(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Libaray, See No. LT 6753/17/22]

(6) प्रतिभूति प्रसंविदा **(**विनियम**)** अधिनियम**, 1956** की धारा **30** की उप**-**धारा **(3)** के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (जांच करने और शास्तियां आरोपित करने की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 931(अ) में प्रकाशित हुए थे**,** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6754/17/22]

(7) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निक्षेपागार (जांच करने और शास्तियां लगाने की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.932(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6755/17/22]

(8) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.193(अ) जो 11 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 02/2017-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.159(अ) जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Libaray, See No. LT 6756/17/22]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.929(अ) जो 31 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 07/2020-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अंतर्गत 2022 का तदर्थ छूट आदेश संख्यांक 1 दिनांक 17 जनवरी, 2022 जो आयातित माल पर सीमा-शुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का.आ.404(अ) जो 31 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) अधिसूचना संख्या 08/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 3 फरवरी, 2022 की जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) का.आ.690(अ) जो 15 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) अधिसूचना संख्या 08/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 17 फरवरी, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) का.आ.900(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) अधिसूचना संख्या 13/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 3 मार्च, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ.1024(अ) जो 8 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.111(अ) जो 12 फरवरी, 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कच्चे पाम ऑयल और लेंटिल्स (मसूर) पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को युक्तिसंगत बनाकर क्रमशः 5% और शून्य किए जाने तथा उक्त सूचनाओं की वैधता को 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाने के लिए 13.10.2021 की अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमा-शुल्क और संख्या 49/2021 सीमा शुल्क में संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Libaray, See No. LT 6757/17/22]

(10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 38(अ) जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से आयातित 'पीवीसी फ्लैक्स फिल्म्स' पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क को हटाने के लिए 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या 42/2016-सीमा-शुल्क (एडीडी) को निरसित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 114(अ) जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम फॉइल, जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक हो" के आयात पर 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 23/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा उक्त प्रतिपाटन शुल्क पर की जा रही सनसेट रिव्यू जांच को पूरा किए जाने के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, एक माह की और अवधि अर्थात 15 जून, 2022 तक के लिए विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 160(अ) जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से आयातित ""ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलीन/विट्रीफाइड टायल्स, जो पोलिश्ड अथवा अन पोलिश्ड हों और जिनकी जल अवशोषण क्षमता 3% से कम हो" पर डीजीटीआर की सिफारिश के आधार पर पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 157(अ) जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण का 30 जून, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Libaray, See No. LT 6758/17/22]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं **:-**

(1) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6759/17/22]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री रामेश्वर तेली**) : महोदय, मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, **1948** की धारा **95** की उप-धारा **(4)** के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा **(**केन्द्रीय**)** संशोधन नियम**, 2022,** जो **7** मार्च**, 2022** के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं**.** सा.का.नि**. 176(**अ**)** में प्रकाशित हुए थे**,** की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Libaray, See No. LT 6760/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती अन्नपुर्णा देवी**) : महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं **:-**

(1) (एक) समग्र शिक्षा- संघ राज्यक्षेत्र अभियान प्राधिकरण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर, के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा- संघ राज्य-क्षेत्र अभियान प्राधिकरण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Libaray, See No. LT 6761/17/22]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6762/17/22]

(5) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6763/17/22]

(7) (एक) समग्र शिक्षा नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6764/17/22]

(9) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6765/17/22]

(11) (एक) समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6766/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) : महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ**:-**

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6769/17/22]

(3) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6770/17/22]

(5) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6771/17/22]

(7) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6772/17/22]

(9) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6773/17/22]

(11) **(**एक**)** हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय**,** महेन्द्रगढ़ के वर्ष **2020-2021** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो**)** हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय**,** महेन्द्रगढ़ के वर्ष **2020-2021** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(12) उपर्युक्त **(11)** में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

[Placed in Libaray, See No. LT 6774/17/22]

(13) **(**एक**)** झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय**,** रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) उपर्युक्त **(**13**)** में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

[Placed in Libaray, See No. LT 6775/17/22]

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6776/17/22]

(17) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6777/17/22]

(19) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6778/17/22]

(21) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6779/17/22]

(23) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6780/17/22]

(25) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6781/17/22]

(27) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6782/17/22]

(29) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6783/17/22]

(31) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6784/17/22]

(33) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, इन्दौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, इन्दौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, इन्दौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6785/17/22]

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड़, पालक्काड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड़, पालक्काड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड़, पालक्काड़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6786/17/22]

(37) (एक) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6787/17/22]

(39) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6788/17/22]

(41) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6789/17/22]

(43) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6790/17/22]

(45) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरूवरूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरूवरूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6791/17/22]

(47) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्र्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्र्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6792/17/22]

(49) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6793/17/22]

(51) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6794/17/22]

(53) (एक) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6795/17/22]

(55) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6796/17/22]

(57) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरत्कल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरत्कल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6797/17/22]

(59) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1005(अ) जो 7 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर के अध्यादेशों को प्रख्यापित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6798/17/22]

(60) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एसीडी/छठा सीपीसी/सीएएस/2016-17/2975 जो 15 जनवरी, 2022 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो छठे सीपीसी के अनुसार अध्यापक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और शिक्षाविद् कैरियर एडवांस्मेंट स्कीम संबंधी अध्यादेश के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Libaray, See No. LT 6799/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Sarva Haryana Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. Ref. No.SHGB/HRDD/2019/1241 in Gazette of India dated 7th May, 2019 under sub-section (2) to Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Libaray, See No. LT 6767/17/22]

(3) A copy of the National Bank for Financing Infrastructure and Development General Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. 02/NaBFID/2021-22 in Gazette of India dated 3rd March, 2022 under Section 33 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021.

[Placed in Libaray, See No. LT 6768/17/22]

12.05 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS
26th to 31st Reports

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के संबंध में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) के प्रबंधन द्वारा सुरक्षा सेवाओं की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में श्री अजय टम्टा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित मैसर्स एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

(2) सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देवली (केकरी), क्षेत्र - अजमेर द्वारा परिपक्वता अवधि पूरी होने पर सावधि जमा का भुगतान न किए जाने और उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(3) देश में कृषि व्यवसाय को सुकर बनाने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधन किए जाने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री मनमोहन कलांत्री के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन । पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खदानों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में श्री धर्मवीर सिंह के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(4) पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खदानों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में धर्मवीर सिंह के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(5) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड दवारा अपात्र बोलीदाता अर्थात मैसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड को परियोजना पी15बी के लिए कॉपर-निकिल पाइपों और कॉपर पाइपों की खरीद के लिए संविदा (संविदाएं) और निविदा (निविदाएं) प्रदान करने पर विचार किए जाने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री योगेश सरदा के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

(6) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मृत कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारियों के कल्याण के बारे में राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा संघ के श्री स्वप्न दास और अन्य के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
Final Action Taken Statements

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): I beg to lay on the Table the Two Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) showing Final Action Taken by the Government on the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers (2021-22):-

1. Twenty-ninth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Review of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana' (Department of Pharmaceuticals).
2. Thirtieth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Status of COVID-19 vaccine production in India' (Department of Pharmaceuticals).

____

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
319th and 320th Reports

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

1. Three Hundred Nineteenth Report on 'Progress made in implementation of Sagarmala Projects'.
2. Three Hundred Twentieth Report on 'Development of Tourism Infrastructure in the country'.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 14, श्री अर्जुन मुंडा जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष : हां, मैं आपको मौका दूंगा ।

12.06 ½ hrs

GOVERNMENT BILLS-Introduced

(i) Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, there are three Bills pending in Lok Sabha and Rajya Sabha relating to insertion of certain castes and tribes in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. इसका मतलब तीन बिल नाम जोड़ने के लिए और इससे बाहर रखने के लिए पड़े हुए हैं I Now, another Bill is being introduced in this House. What we have always been demanding is to bring a comprehensive Bill for insertion in and revision of Scheduled Castes and Scheduled Tribes list. हमारा मतलब यह है कि कम नहीं, व्यापक तरीके से आप इसे लाइए। आज का जो बिल आप ला रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर उस समय लाया गया था, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते पास नहीं हुआ। हमारी मांग है

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 28.03.2022.

कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट एक व्यापक तरीके से लाई जाए, इस तरीके से, पीसमिल तरीके से काम न हो, बल्कि कांप्रिहेंसिव तरीके से हो । इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं**?**

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक उत्तर प्रदेश से संबंधित है और अब वहां चुनाव हो चुके हैं । यह एक औपचारिकता इस दृष्टि से है कि यह पहले सदन में हो चुका है, अनुसूचित जातियां से अनुसूचित जनजातियां, as per anthropological report, बनाने के बारे में सदन ने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस समय जिले का बंटवारा हो गया था । उन जिलों के बंटवारे के आधार पर फिर से संशोधित करते हुए, उन जिलों का जिक्र करते हुए, सदन में यह प्रस्ताव लाया गया है । इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसको पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसका चुनाव से संबंध नहीं था, लेकिन इसे उस समय लाया गया, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है **:**

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं ।

---

* Introduced with the recommendation of the President.

12.09 hrs

(ii) Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों तथा दूसरों की माप को प्राधिकृत करने तथा अभिलेखों के परिरक्षण तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों तथा दूसरों की माप को प्राधिकृत करने तथा अभिलेखों के परिरक्षण तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir. I rise to oppose the Bill as it is in derogation of both Article 20(3) and Article 21 of the of the Constitution of India and, therefore, beyond the legislative competence of this House.

Mr. Speaker, Sir, Article 20(3) explicitly states 'no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself'.

Mr. Speaker, Sir, article 20(3) explicitly states that no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. The words

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 28.03.2022.

`biological samples and their analysis' in clause 2 (i) (b) of the Bill could extend to narco analysis and brain mapping and when it is made coercive in terms of clause 5, it is clearly violative of article 20 (3) of the Constitution of India. Further, the implied use of force in clause 6(1) to take measurements violates the rights of prisoners laid down in a catena of Supreme Court judgements beginning with A K Gopalan, 1950, Kharag Singh, 1964, Charles Sobhraj, 1978, Sheela Barse, 1983, Pramod Kumar Saxena, 2008. Section 4(2) of the Bill states that the record of measurement shall be retained for 75 years from the date of collection. This is in violation of the Right to be Forgotten enshrined in the Right to Life under article 21 of the Constitution in terms of the Puttaswamy Judgement.

Mr. Speaker, Sir, I conclude by saying that this august assembly must, very seriously, deliberate whether it is in the legislative competence of the Treasury to sponsor legislation which squarely hits the Fundamental Rights guaranteed to the citizens of India under Part III of the Constitution and whether it is within the legislative competence of this august House to consider such illegal legislation. That is my objection to the Bill.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I fully support the observations made by hon. Member Shri Manish Tewari ji. I rise to strongly oppose the introduction of this Bill because this is a Draconian legislation being brought forward by this Government. I am saying this because this is in total violation of the Fundamental Rights of the citizens guaranteed in Part III of the Constitution. Clause 3 (c) of the Bill says that if a person who is arrested in

connection with an offence punishable under any law for the time being in force, his biological specimens can be taken for investigation. If I am arrested for picketing for protection of civil rights for any genuine demand, and if a FIR has been launched against me, then a DNA test be taken. What is this? This is violation of the basic right of an individual. What is the logic? What is the reason? What is the intention of the Bill? The Government may kindly explain this. That is why I am saying that this is in direct violation of the Fundamental Right of an individual.

Mr. Speaker, Sir, this is regarding the convict. Now, convict for which offence? Suppose, it is for a penal offence and a sum of Rs. 100 is imposed for that offence and in that case his biological specimen can be taken. Then, how is his Fundamental Right protected? This is in violation of the Fundamental Right of a citizen as enshrined in Part III of the Constitution. That is the first point.

Sir, secondly, this is against the Human Rights Declaration. That is also very specific. Since it is in violation of human rights and also Fundamental Rights, it is not within the legislative competence of this House to pass such a legislation. This definitely will be struck down by the hon. Supreme Court or the High Court. So, I would like to urge upon you not to allow the Government to introduce this Bill since it is violative of the article of the Constitution.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब एक माननीय सदस्य ने एक विषय पर विरोध कर दिया और अपना पूरा वक्तव्य दे दिया है, ऐसे तो इन सारे विषयों में नियम-**72** के अंदर विधायनी क्षमता से परे हो, तब इस डिबेट पर चर्चा की जाती है, लेकिन जब डिटेल चर्चा होगी, तो मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। उस समय आप अपनी बात विषय-वस्तु पर रखिएगा।

अभी यह बिल लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, विधायनी क्षमता संसद की है या नहीं है, सरकार की नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

सौगत राय जी, आप कानून से बोलेंगे। आप बहुत दिनों बाद आए हैं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मुझे बहुत दिनों बाद बोलने का मौका मिला है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बाहर थे ।

… (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, under Rule 72 (1), I rise to oppose the introduction of the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022. I do not want to repeat the arguments put forward by learned Members, Shri Manish Tewari and Shri N. K. Premachandran.

Sir, you will know from common sense that it is the basic principle of law that nobody is found guilty unless proved in a court of law. The second right that people have is, if somebody is arrested, he has to be produced before the court within 24 hours and he has a right to be represented by a lawyer. Now, so far, since when the original Bill is there 1920, it has been going on. Suddenly, it comes to the brain of the Home Minister that he must make it stricter and he must take finger prints, iris photographs and biological samples.

Why? Sir, why should there be narco analysis brain mapping? अचानक क्या जरूरत पड़ गई, क्या अचानक क्राइम बढ़ गया है?

Sir, you know that, from Articles 20 to 24, all the Articles of the Constitution deal with the human rights of the people. This law which allows for narco analysis, which allows for taking biological specimens and taking photographs of iris violates the basic human rights and is against the principles of the Constitution.

सर, आपने अभी कहा कि अपनी बात को बिल पर चर्चा के समय में उठाइए। लेकिन इंट्रोडक्शन के नाम पर एक गलत बिल आपके सामने लाया जाए, तो यह सरासर हाउस के खिलाफ होगा, इससे हाउस का नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन मत होने दीजिए। होम मिनिस्टर आएं, वे एक्सप्लेन करें। श्री टेनी जी क्या समझाएंगे, होम मिनिस्टर को समझाने की जरूरत है।

धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I rise to vehemently oppose, under Rule 72 (1), the introduction of the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022. The reason is as follows.

The law can ask those people who have been convicted by the court to keep their biometric measurements. However, the present Bill, I reiterate, seeks to empower the police and court to take measurements of persons who are under trial or who are suspected to be involved in a case or there is a presumption against some person that he may, in future, do any illegal act.

These provisions are violative of Article 21 of the Constitution that is right to freedom and personal liberty.

The provisions of the Bill also violate the judgements given by the Supreme Court in Puttaswamy case which means the provisions are against the right to privacy as propounded in Puttaswamy case. That is also being violated by this kind of a draconian law.

Sir, given that the cases of custodial violence are high in India, there is a high possibility of forceful measurements resulting in life long stigmatisation and grave violation of human rights.

In the absence of any form of data protection statute, the Bill might do more harm than good. Additionally, in such a highly unregulated area, there is little empirical data supporting the accuracy of criminal profiling in addition to the absence of criteria for what constitutes an expert in the discipline.

There are other small points like lack of technology and margin of grave error. Currently, India does not have any advanced technological equipment to profile offenders. Even in far more technologically advanced countries, there has always been a margin of error in such profiling. There have been several cases where these errors have resulted in incarceration of innocent citizens.

यह क्यों वॉयलेट कर रहा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ।

Clause 7 of the Bill exempts any person or authority from any resulting liability. It states that no action or other proceeding shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith under the Act or any rule issued thereunder.

So, it is clearly vindicating our argument that this Bill is not in accordance with our constitutional provisions and it is certainly a Bill which is a direct affront to our constitutional provisions. Thank you, Sir.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 के इंट्रोडक्शन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। संविधान के आर्टिकल-21 के तहत जो मूल अधिकार हमारे देश के नागरिकों को गारंटीड दिए गए हैं, उनका हनन हो रहा है। इस कारण से हनन हो रहा है, क्योंकि आज भारत सरकार यह चाहती है कि लोगों को एक भय में रखा जाए।

उनके ऊपर यदि कोई नागरिक किसी भी चीज को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने कोई विरोध रखता है और उसके ऊपर कोई केस होता है, तो उसको लेकर भी उनके मेजरमेंट्स यानी उनके फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, डीएनए सैंपल्स आदि तक रखे जा सकते हैं।

इससे पूरी तरह मानसिक रूप से नागरिकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ताकि वे कभी भी अपने अधिकारों के बारे में सामने आने में और लड़ने में हिचकें। इसलिए, आर्टिकल-21 का हनन हो रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या मैं आप लोगों को रूल-**72** पूरा पढ़ाऊं**?**

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नोटिस देने से नहीं होता है, यह मेरा अधिकार है कि मैं किसको बुलाऊं या किसको न बुलाऊं। नोटिस तो पूरा सदन दे सकता है।

… (व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, जो मौजूदा बंदी शिनाख्त अधिनियम है, वह वर्ष 1920 में बना था। … (व्यवधान) उसको बने 102 वर्ष हो गए हैं, उस बंदी अधिनियम में केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने को ही अधिनियमित किया गया था। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इनका फिंगरप्रिंट लेना चाहिए। … (व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी को मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने वर्ष 2019 में भी लोक सभा का पर्चा भरा है। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, एक मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया होऊं, एक मिनट के लिए भी जेल में गया होऊं, तो अभी

राजनीति से सन्यास ले लूंगा। एक मिनट के लिए भी, एक सेकेंड के लिए भी... (व्यवधान) इसलिए ध्यान से सुनिए, यहां बिल की बात हो रही है, आप भी बिल की बात कीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, जो पुराना – मौजूदा अधिनियम है, जो इस समय प्रभावी है, वह 102 वर्ष पूर्व, स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1920 में बनाया गया था। फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने की ही सहमति उस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। अब दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टैक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और पूरी दुनिया में जो अपराधियों द्वारा अपराध करने का ट्रेंड बढ़ा है, उसके अनुसार इसको विस्तारित करने की आवश्यकता थी।

इसीलिए, दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) अधिनियम, 2022 हम लेकर आए हैं, जिसमें न केवल मेजरमेंट की जो प्रक्रिया है, उसको विस्तार देने का काम किया गया है, उसके साथ-साथ उसकी श्रेणियों में भी वृद्धि हो, उसका भी हमने काम किया है। यह छोटा अधिनियम है, जिससे न केवल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फायदा होगा, प्रॉसिक्यूशन बढ़ेगा और प्रॉसिक्यूशन के साथ-साथ कोर्ट में कनविक्शन का प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्ट के माध्यम से हमको प्राप्त होंगी। इसमें प्रत्येक उस चीज का ध्यान रखा गया है, जिससे हमारे समस्त अधिकार भी सुरक्षित रहें और संवैधानिक भी रहें। हमने लॉ मिनिस्ट्री और लजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के साथ पूरी तरह से विचार करने के बाद, इसके साथ-साथ हमारी एनसीआरबी जो रिकॉर्ड एकत्रित करती है, उसने राज्य, संघ-राज्य क्षेत्रों और सारे स्टेकहोल्डर्स के साथ लंबी चर्चा करने के बाद हम यह अधिनियम लेकर आए हैं।

इन लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके विषय में मैं कहना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के अनुसार "निजता के मौलिक अधिकार को निरपेक्ष नहीं माना जा सकता और इसे अनिवार्य जनहित के सामने हम लोगों को स्वीकार करना ही होगा। मौजूद प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से मनमाना नहीं है। बढ़ते हुए अपराधों पर नकेल कसने और दोषसिद्धि को सुदृढ़ करने, इनवेस्टिगेशन एजेंसियों के हाथों को मजबूत करने के लिए हम यह अधिनियम लेकर आए हैं।"

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले वर्ष 1980 में भी विधि आयोग ने इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था, परंतु उसको भी 42 साल हो गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने यह काम करने का प्रयास किया है, जिसके बारे में अभी श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी ने 53 और 53A का डीएनए से संबंधित सवाल उठाया। वह पहले से सीआरपीसी में जारी है। … (व्यवधान) आपको पता होगा, आप इतने अच्छे अधिवक्ता हैं। अत: यह सारी जानकारियां आपको हैं।

जहां तक बायोलॉजिकल सैंपल की बात है, अगर आपने अधिनियम पढ़ा होगा, हमने उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है। हमने यह प्रावधान किया है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका अपराधों में मेजरमेंट का सैंपल लिया है, जिसमें सात वर्ष से कम की सजा है, महिलाओं और बच्चों के अपराधों से संबंधित बातों को छोड़कर, उनको सहमति है कि अगर वे बायोलॉजिक सैंपल देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो न दें।

अध्यक्ष जी, ऐसी व्यवस्था हमने उसके साथ की है। डेटा प्रोटेक्शन के लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है। इसमें केंद्रीय और राज्य एजेंसी,दोनों को अपने-अपने नियम बनाने का अधिकार है और डेटा प्रोटेक्शन करने का भी अधिकार है। हमने एनसीआरवी को केंद्रीय एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है, जो पहले से ही फिंगर प्रिंट के काम को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित करने का काम कर रही है। हमने पूरी तरह से चर्चा करने के बाद यह तय किया है कि ऐसे जो भी व्यक्ति, जो कंविक्ट नहीं होते हैं, जो किसी कारण न्यायालय से छोड़ दिए जाते हैं या जिन पर मुकदमा नहीं चलता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का डेटा किसी भी स्थिति में, जब तक न्यायालय स्पष्ट आदेश न दे, वह नहीं रखा जाएगा।… (व्यवधान)

वह नहीं रखा जाएगा, आप अधिनियम को पढ़िए। उसके साथ-साथ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह एक छोटा अधिनियम है, जो इसलिए लाया गया है कि दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, अपराध की श्रेणी और अपराधियों की श्रेणी में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसमें इनवेस्टिगेशन के पारम्परिक तरीकों के अलावा वैज्ञानिक तरीके और टेक्नोलॉजी का उपयोग

करना भी आवश्यक हो गया है । पूरी दुनिया के सभी विकसित देशों में ऐसा हो रहा है । हमारा उद्देश्य केवल न्याय के लिए ऐसा अधिनियम बनाना है, जिसमें इनवेस्टिगेशन में सहायता मिल सके । आपने देखा होगा कि हमने आईसीएस-4 के द्वारा भी, जिसमें हमने पांच स्तम्भों को जोड़ा है, हमने पुलिस, फोरेंसिक, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, इन पांचों स्तम्भों को जोड़ा है । इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डेटा एकत्रित कर रहे हैं और वे सारे प्रोटेक्टेड हैं । वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन हैं । सर्वोच्च न्यायालय और हमारी संवैधानिक गतिविधियों का लॉ मिनिस्ट्री, लेजिस्लेटिव द्वारा पूरा ध्यान रखा गया है, पूरी चर्चा की गई है । प्रत्येक प्रदेश ने और केंद्र शासित राज्यों ने इसमें सहमति जताई है । दूसरे स्टेक होल्डर्स भी, जो इससे संबंधित हैं या ऐसी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी सहमति जताई है । यह एक अच्छा बिल है, जो हमारे देश में अपराधों के विरुद्ध आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, जिसमें अपराधियों को पकड़ना भी आसान होगा, इनवेस्टीगेशन आसान होगी तथा सही अपराधी पकड़े जाएंगे । मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बहुत छोटा बिल है । आप सभी साथ में आएं और इस बिल को पारित कीजिए । आप अपनी चर्चा के दौरान जिन बातों को भी रखेंगे, उनका पूरा जवाब हम आपको सदन में देंगे और आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे ।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष जी, हम इसमें डिविजन चाहते हैं ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, डिविजन का समय आने दीजिए । इसे पढ़ने दीजिए ।

प्रश्न यह है**:**

"कि अपराधिक मामलों में पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों तथा दूसरों की माप को प्राधिकृत करने तथा अभिलेखों के परिरक्षण तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

… (व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): अध्यक्ष जी, हम डिविजन चाहते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाए।

... (व्यवधान)

12.29 hrs (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

... (व्यवधान)

12.31hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : अब लॉबी खाली हो चुकी है।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Secretary-General, please

SECRETARY-GENERAL: I have to inform the hon. Members that Division will take place under Rule 367AA by distribution of slips. All Members seated in the Lok Sabha Chamber and Lok Sabha Galleries will be supplied at their seats, with 'Ayes'/'Noes' printed slips for recording their votes. 'Ayes' slips are printed on one side in green, both in English and Hindi, and 'Noes' in red on its reverse.

On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, Division Numbers and date. Members who desire to record 'Abstention' may ask for the 'Abstention' slip. Immediately after recording one's vote, each Member should pass on the slip to the Division Officials who will come to their seat to collect the same for handing over to the Officers at the Table. Members are requested to fill in only one slip for Division. Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Officials.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि अपराधिक मामलों में पहचान और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों तथा दूसरों की माप को प्राधिकृत करने तथा अभिलेखों के परिरक्षण तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ **:**</u>

DIVISION AYES 12:36 HRS.

Agrawal, Shri Rajendra

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Bachegowda, Shri B.N.

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Baruah, Shri Pradan

Bhatt, Shrimati Ranjanben

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bohra, Shri Ramcharan

Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Chandra Prakash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Darbar, Shri Chattar Singh

Deol, Shri Sunny

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devi, Shrimati Annpurna

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Gao, Shri Tapir

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Goswami, Shri Dulal Chandra

Hembram, Shri Kunar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri Pralhad

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Kaswan, Shri Rahul

Khan, Shri Saumitra

Khuba, Shri Bhagwanth

Kol, Shri Pakauri Lal

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Sunil

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Ramesh Chandra

Mandavi, Shri Mohan

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Murmu, Kumari Chandrani

Nagar, Shri Rodmal

Paswan, Shri Chhedi

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr. K.C.

Patel, Shri Hasmukhbhai S.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Pfoze, Dr. Lorho

Pintu, Shri Sunil Kumar

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Ravi Shankar

Raghavendra, Shri B.Y.

Rai, Shri Nityanand

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rana, Shrimati Navneet Ravi

Rangaiah, Dr. Talari

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P.V. Midhun

Roy, Dr. Rajdeep

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Singari, Dr. Sanjeev Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Sushil Kumar

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Subba, Shri Indra Hang

Suman, Dr. Alok Kumar

Tadas, Shri Ramdas

Teni, Shri Ajay Misra

Tiwari, Shri Manoj

Tripura, Shri Rebati

Udasi, Shri S. C.

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Vardhan, Dr. Harsh

Verma, Shrimati Rekha Arun

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Krishnapalsingh

Yepthomi, Shri Tokheho

NOES

Antony, Shri Anto

Ariff, Adv. A. M.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baij, Shri Deepak

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Barne, Shri Shrirang Appa

Barq, Dr. Shafiqur Rahman

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Bordoloi, Shri Pradyut

Chandra, Shri Girish

Chazhikadan, Shri Thomas

Chinraj, Shri A.K.P.

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Dhanorkar, Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan

Eden, Shri Hibi

Gogoi, Shri Gaurav

Haridas, Kumari Ramya

Kaur, Shrimati Preneet

Khaleque, Shri Abdul

Kuriakose, Adv. Dean

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Manickam Tagore, Shri B.

Mondal, Shrimati Pratima

Muraleedharan, Shri K.

Paarivendhar, Dr. T. R.

Pandey, Shri Ritesh

Poddar, Shrimati Aparupa

Prakash, Adv. Adoor

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Ramesh, Shri T. R. V . S.

Ray, Prof. Sougata

Reddy, Shri Anumula Revanth

Roy(Banerjee), Shrimati Satabdi

Roy, Shrimati Mala

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Sawant, Shri Arvind

Senthilkumar S., Dr. DNV

Sigamani, Dr. Pon Gautham

Singh, Dr. Amar

Singh, Shrimati Pratibha

Sreekandan, Shri V. K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri Kodikunnil

Tewari, Shri Manish

Thangapandian, Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Vaithilingam, Shri Ve.

Velusamy, Shri P.

Verma, Shri Ramshiromani

Yadav, Shri Shyam Singh

माननीय अध्यक्ष : मत-विभाजन का परिणाम यह है **:**

हाँ : 120

नहीं : 58

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

... (व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज़ खोल दी जाएं।

... (व्यवधान)

<u>13.00 hrs</u>

माननीय अध्यक्ष: अब शून्यकाल।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको मौका दूंगा, आप बैठ जाइए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान के आम लोग बदहाल हो रहे हैं। जिस तरह से सारे हिन्दुस्तान के आम लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, इस विषय को सामने रखने हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारी पार्टी की सभानेत्री मैडम सोनिया गांधी जी भी निर्णय ले चुकी हैं कि सारे हिन्दुस्तान में हम लोग महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएंगे।

इसकी वजह यह है कि लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में एक के बाद एक रोजाना बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसके साथ-साथ आग में घी डालने वाला है कि **1** अप्रैल से 800 आवश्यक दवाओं पर भी नए तरीके से सारी सुविधाओं को वापस करते हुए अब सरकार इसका दाम अदा करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सारे हिन्दुस्तान में आम लोगों की जेब पर डाका डालते हुए घर-घर में आग लगाने का प्रयास हो रहा है।

यह फिजूल दुहाई दी जा रही है कि रूस में जंग हो रही है इसलिए दाम बढ़ाया जा रहा है। रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम रूस से केवल आधा फीसद के आसपास तेल का आयात करते हैं। इस तरीके से सरकार ने पिछले **7-8** सालों में 26 लाख करोड़ रुपये कमाये हैं। यह आम लोगों के घर उजाड़ने और आम लोगों को परेशानियां पैदा कर रहे हैं। मुंह से कहते हैं कि हम अच्छे दिन ला रहे हैं लेकिन आम लोगों के लिए इससे ज्यादा बुरा दिन नहीं हो सकता है। इसलिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि सारी चीजों के दामों में जो इजाफा हो रहा है, उसको वापस लिया जाए।

इस विषय पर सरकार सदन में खुले आम चर्चा करे। अगर सरकार की हिम्मत है तो सरकार इस पर खुले आम चर्चा करे, हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं क्योंकि यह आम जनता का मुद्दा है। इस मुद्दे को आम लोगों को रोजाना झेलना पड़ता है। महंगाई मुक्त भारत का निर्णय लेते हुए सदन के अंदर और बाहर महंगाई के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। नमस्कार।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, day in day out, the common man and salaried class people are very much affected because of the price rise. That is why at the start of the problem itself, my leader, Dr. M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu had reduced the price of petrol by Rs 3 per litre.

But how come, every day, prices of petrol and diesel are rising? For the past one week, there has been an increase of more than Rs. 4 per litre on the price of petrol, and diesel also. This is not fair on the part of this Government.

During the elections time, Modi Saheb himself had said: “We will reduce the prices of petrol by 50 per cent.” But now, he is keeping quiet. He is keeping lukewarm. During the past one week, entire India is under fire.

Initially, special cess had been levied on petroleum sector. Here, they have mopped up Rs. 22 lakh crore for the past four years. Similarly, for the past seven years, ever since the inception of this Government, they have mopped up Rs. 26 lakh crore towards taxes and dividends.

Sir, they are mopping up a huge amount of money. Is it not possible for the Government to see that the petrol prices are reduced? Or, they may do just like what the UPA Government had done during their period when they gave Rs. 10 lakh crore as subsidy and kept the prices of petrol under check.

Otherwise, let them bring back the Administrative Price Mechanism (APM) so that as and when prices are raised, the petroleum sector would take care of it.

Sir, kindly see that the petrol prices are reduced. The Government should come forward to see that prices of petroleum are checked and brought under control immediately. Otherwise, common people will suffer like anything.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the Opposition Party Members are raising very important issues, but Cabinet Ministers are not there, and the Parliamentary Affairs Minister is also not there. … (*Interruptions*) We are raising very important matters. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप उनको बोलने नहीं देना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी, यह आपको बोलने नहीं दे रहे हैं।

… (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Hon. Speaker, you must take a decision. … (*Interruptions*) I am requesting you. … (*Interruptions*) Otherwise, what is the meaning of this '*Zero Hour*'. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I think that the whole House is concerned about the price hike issue of diesel, petrol and gas. I apprehend that the range of price of petrol, diesel and domestic gas can go up to the number one position in the world also as it is increasing very fast. Nobody is replying about the reasons for it.

Commonly, it is said that the oil companies take the decision on their own and the Government does not interfere in the matter. This is the common saying of the Government. But during elections to a few States including Uttar Pradesh, it was appearing then that price hike of fuel was totally stopped and it was the apprehension of the common people that the moment election results are out prices will skyrocket and their apprehensions came true.

Such type of issues should be discussed on the floor of the House at least once, and we want to hear from the hon. Prime Minister as to where it will go and stop; how far up it can go; and where we can stop it? It is because this has become the most crucial issue nowadays. Price hike is the most serious and burning issue. So, the Government should take it with all priority and come to the House to address the House.

श्री सौमित्र खान (**बिष्णुपुर**): माननीय अध्यक्ष जी**,** संसद में हम लोग आते हैं**,** कभी एक सांसद रहते हैं**,** कभी **300** सांसद रहते हैं। मैंने सात साल में कभी नहीं देखा कि किसी सांसद पर आक्रमण हुआ हो। … **(**व्यवधान**)** लेकिन पश्चिम बंगाल में आज सुभेन्दु अधिकारी**,** मनोज टिग्गा के ऊपर आक्रमण हुआ है**,** विधान सभा के अंदर।… **(**व्यवधान**)** जो पूरे भारत में नजर नहीं आया है। … (व्यवधान) हमें आर्टिकल 355 चाहिए, … (व्यवधान) क्योंकिपश्चिम बंगाल में कोई शासन तंत्र नहीं है, कोई सरकार नहीं है। … (व्यवधान) विधान सभा के …* ने बोला है कि उसको …*, उसको …*। … (व्यवधान) भारत में * का राज्य हो गया। … (व्यवधान) हमें इसके ऊपर आर्टिकल 355 चाहिए। … (व्यवधान)

---

* Not recorded.

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं। … (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है। … (व्यवधान) मैं इसके ऊपर राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं।… (व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shri Sudip Bandyopadhyay	Shrimati Aparupa Poddar Shrimati Supriya Sadanand Sule
Shri T.R. Baalu Shri Adhir Ranjan Chowdhury	Shrimati Supriya Sadanand Sule

माननीय अध्यक्ष: आज नियम 377 के अधीन मामले माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित होती है।

13.08 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.

14.13 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi *in the Chair)*

14.13 ½ hrs

MATTER UNDER RULE 377

माननीय सभापति: आइटम नम्बर.16, नियम 377 के अधीन मामले ।

श्री अनुराग शर्मा जी ।

(i) Regarding special package for Bundelkhand.

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): Sir, the economy of Jhansi is agrarian and a larger population is dependent on agriculture. In spite of having rivers as sources of rainfall, the region is having a serious water deficit. The common perception of agriculture in Bundelkhand is that it has been suffering from inadequate and untimely rainfall which has adversely affected the agricultural production, the only source of livelihood.

Due to the lack of income and absence of alternative sources of income, the workers, especially the marginalized sections, have started migrating to other cities in search of employment.

Districts like Chitrakoot, Jhansi, Lalitpur, Hamirpur should be declared as aspirational district, special package should be given for these areas and should be headed by an officer of Secretary rank. The works of various

departments under the package should be monitored and the local business of Gudda doll, basket making, need to be provided government protection by connecting all these to MSME Sector.

(ii) Need to expedite four-laning of NH-75

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है । यह सड़क रांची-वाराणसी तक फोर लेन होनी है । दुर्भाग्यवश प्रारम्भ में इस सड़क का निर्माण कार्य जिस कम्पनी को मिला, उस कम्पनी ने इस सड़क का इतना घटिया निर्माण किया कि आज यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गयी है । एक ओर जहां एनएचएआई द्वारा एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनएच-75 की यह दुर्दशा अविश्वसनीय, अकल्पनीय है । मुझे इस बात की जानकारी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को 5 चरणों में बांटकर बनाने की योजना है । परन्तु कब तक यह सबसे बड़ा प्रश्न है और कब तक इस नारकीय दशा में हमारे संसदीय क्षेत्र पलामू के लोगों को रहना पड़ेगा । वर्तमान में इस सड़क पर ओवरलेयिंग का कार्य चल रहा है, परन्तु वह प्रर्याप्त नहीं है ।

अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध है कि उक्त सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र निदेश देने का कष्ट करें, ताकि एनएच-75 का फोरलेनिंग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके।

(iii) Regarding creation of a separate ‘Adivasi’ regiment in the Indian Army.

SHRI BALUBHAU *ALIAS* SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): The tribal population of our country has been traditionally backward and marginalised and has always been oppressed and humiliated by the majority community. In this regard, some terms are used to refer to the tribal people which is highly demeaning, objectionable and insulting. Referring to the tribal people as 'Vanvasi', 'Girijan' and such other terms are insulting to these communities. They must be called ‘Adivasis' as they are the original inhabitants of this land. The Government must take legal steps to ensure that the use of such demeaning words for tribal people is banned just like the use of word ‘Harijan' to refer to the SC people has been banned.

Also, in this regard, I would like to add that the Indian Army has many regiments which are named after certain communities/sub-communities like the Sikh Regiment, Gorkha Regiment, Rajput Regiment, Jat Regiment etc. I appeal to the Government to create a separate "Adivasi" regiment for the tribal people. This will show proper respect to the marginalised tribal community and also encourage more and more tribal youths to join the Army and work towards the security of the nation.

(iv) Need for expansion of railway track in Raigarh Parliamentary Constituency, Chhattisgarh

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): आदरणीय सभापति महोदया, मैं जोहार में अपने संसदीय क्षेत्र रायगढ़ (छतीसगढ़) के जिला जशपुर के निवासियों के आवागमन में हो रही भारी असुविधा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी । महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है व रेल मार्ग से काफी दूर है । जशपुर जिला रायगढ़ रेलवे लाईन से 200 किलोमीटर व अंबिकापुर रेलवे लाईन से भी 200 किलोमीटर दूर है व पूर्व में कोरबा-लोहरदगा रेल लाईन विस्तार हेतु सर्वे भी किया गया था, किंतु अभी तक इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा कोई परिणामजनक कार्य नहीं हुआ है । नेशनल हाईवे की खराब स्थिति के कारण यहां के निवासियों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है । अतः आदरणीय महोदया, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल लाईन के विस्तार के लिए तत्काल पहल करने की कृपा करें, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को हो रही असुविधा को दूर किया जा सके । धन्यवाद ।

माननीय सभापति: श्री राजू बिष्ट – उपस्थित नहीं ।

श्री नरेन्द्र कुमार – उपस्थित नहीं ।

श्री कुनार हेम्ब्रम जी.

(v) Need for establishment of a National Tribal University in Eastern region

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): Madam, Santali language has its unique distinct script called ‘Ol Chiki’ invented and developed by late Pandit Raghunath Murmu, a great scholar and philosopher. The speakers of Santali language are largely inhabitants of the States of West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar, Assam and Tripura. The Santali language is enlisted in the 8th Schedule of the Constitution. In spite of that the Santali language and script has not got its due and, therefore, not developed to the desirable level. Reason being there is no any national level Tribal University in the country fully devoted to the higher studies and research activities. However, Indira Gandhi National Tribal University has been established in 2007 at Amarkantak in Madhya Pradesh which is at a far-off distance from these Santal dominated States. On the other hand, there are no facilities of studies on Santali language and literature. Consequently, the students, speaking Santali language find it much difficult to study Santali Literature and take up their research activities.

Therefore, it is my demand to the Government of India for the establishment of a National Tribal University after the name of Pandit Raghunath Murmu, the inventor of Santali script ‘Ol Chiki in the Eastern region of India.

Thank you.

माननीय सभापति: श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर – उपस्थित नहीं ।

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे – उपस्थित नहीं।

श्री राजीव प्रताप रूडी – उपस्थित नहीं।

(vi) Regarding airport at Forbesganj in Araria district Bihar

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): महोदया, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना 4.1 और 'गति शक्ति योजना' कार्यक्रम के तहत फॉरबिसगंज हवाई अड्डे को पुन: शुरू करने की बात कही गई । उसके बाद इसके निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा भी स्वीकृत करने की बात कही गई थी । करीब 3 वर्ष बीत जाने के वाबजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । विगत 58 वर्षों से जिले के लोग इस हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार की राह देख रहे हैं।

महोदया, अररिया, नेपाल से व बांग्लादेश से सटा इलाका है । यहां सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध के पश्चात इस हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था । वर्तमान में भारत-चीन के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण, सुरक्षात्मक दृष्टि से इस हवाई पट्टी को फिर से संचालित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

महोदया, इस हवाईपट्टी के शुरू हो जाने से फॉरबिसगंज से नेपाल की राजधानी काठमांडू, जनकपुर, पोखरा के अलावा पटना, दिल्ली, लखनऊ, रांची, भारत की सांस्कृतिक व धार्मिक नगरी वाराणसी एंव अन्य स्थानों पर जाना आसान हो जाएगा।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्षों से लंबित इस हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

माननीय सभापति : आपने जो लिखित रूप में दिया है, केवल वही बोलना होता है।

(vii) Need to classify cold storage under 'White Category'

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी मिशन, 2020 तक किसानों की आय दुगुनी हो, इसमें कोल्ड स्टोरेज यूनिट किसानों को उनकी उपज का उचित व अधिकतम मूल्य दिलाने में वरदान साबित हो रहे हैं । "यह न्यूनतम प्रदूषणकारी उद्योग है" इसलिए कोल्ड स्टोरेज को "व्हाइट श्रेणी" में डाला जाए, जिससे कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के द्वारा लगाए जाने वाले सम्मति व सम्मति नवीनीकरण शुल्क के दायरे में न आते हुए कोल्ड स्टोरेज इस शुल्क से शुल्क-मुक्त हो जाए ।

(viii) Need to include Kampli in Farrukhabad Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh in the proposed Jain circuit

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): माननीय सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में महाभारत कालीन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जैन तीर्थ स्थल कंपिल स्थित है । जैन धर्मग्रन्थों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी ने इस नगर को बसाया तथा यहीं पर अपना पहला उपदेश दिया था । जैन धर्म के तेरहवें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ के चारों कल्याणक संस्कार गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान हुए थे एवं यहीं पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी का प्रवास उपदेश आदि हुए हैं । इसलिए वर्ष भर देश-विदेश से हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबियों का यहां आवागमन बना रहता है । महोदय, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पौराणिक नगरी कंपिल आज भी विकास की दृष्टि से काफी पीछे है । महोदय, यह कंपिल नगरी राजा द्रुपद राजधानी हुआ करती थी, यहीं राजकुमारी द्रोपदी का स्वयंवर भी हुआ था । यहीं गंगा तट पर महर्षि कपिल मुनि जी का आश्रम है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इस कंपिल नगरी को प्रस्तावित जैन परिपथ से जोड़ने की कृपा करें, जिससे कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आवागमन में सुविधा हो एवं इस पिछड़े सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्र का विकास भी संभव हो सके।

(ix) Need to declare State Highway No. 14 in Maharashtra as a National Highway

श्री रामदास तडस (वर्धा): सभापति महोदया, अमरावती जिल्हा के अंतर्गत मध्य प्रदेश बॉर्डर से प्रारंभ होकर, धारणी-अचलपूर-अमरावती-नांदगाव, खंडेश्वर-यवतमाळ जिले में समाप्त होनेवाला राज्यमार्ग क्रमांक 14 राज्य सरकार के अधीन आता हैं, इस प्रमुख सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता हैं । कुल 303 किलोमीटर लंबाई का यह मार्ग मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य को जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण रास्ता हैं, जो पर्यटन केंद्र चिखलदारा, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, आदिवासी बहुल धारणी तहसील के साथ अचलपूर तहसील को भी सड़क से जोड़ने का प्रमुख माध्यम हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र के नांदगाव खंडेश्वर तहसील में गुजरने वाली यह सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटनाओ मे वृद्धि हुई हैं । राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर न होने के कारण, इस सड़क की आवश्यक मरम्मत नही हो रही हैं, प्रवासी वर्ग को यातायात करते समय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । जनता तथा प्रवासी वर्ग के हित ध्यान में रखकर, सदन के माध्यम से मेरा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन हैं कि मध्य प्रदेश बॉर्डर से प्रारंभ होकर, धारणी- अचलपूर-अमरावती-नांदगाव खंडेश्वर-यवतमाळ जिले में समाप्त होनेवाले राजमार्ग क्रमांक 14 को राष्ट्रीय महामार्ग अधिसूचित करने की कृपा करें ।

(x) Regarding the issue of education of medical students who returned due to Rusia-Ukraine conflict

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): सभापति महोदया, जैसा कि सबको ज्ञात है, अभी यूक्रेन व रूस के मध्य युद्ध चल रहा है । टकराव शुरू होने के समय हमारे देश के करीब 20 हजार बच्चे यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा के लिए वहां पर गये हुए थे । दूसरे देशों के बच्चे भी इसी कारणवश वहाँ पर गये हुए थे । लेकिन हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे पहले नेता है जिन्होंने इन बच्चों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित अपने वतन लाने के बारे में सोचा और इसे कार्यान्वित करने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की । ये हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व का ही कमाल है कि दोनों देशों ने न केवल हमारे हवाई जहाजों को लैंड करने की इजाजत दी, बल्कि घंटो तक युद्ध विराम भी किए रखा । इसके साथ ही बच्चों की निकासी के लिए सेफ कॉरिडोर भी उपलब्ध करवाए, जिसका नतीजा ये है कि आज करीब-करीब सभी बच्चों को सकुशल उनके माता-पिता के पास पहुंचा दिया गया है और इसके लिए किसी भी बच्चे या उनके अभिभावकों से कोई भी पैसा वसूल नहीं किया गया है जो एक बहुत बड़ी बात है । मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ।

सभापति महोदया, इससे पहले भी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अनेकों बार ऐसे ही ऑपरेशन के तहत, मुसीबत में फंसे भारतीयों को विदेशों से अपने देश सुरक्षित लाया गया है फिर चाहे वो यमन युद्ध के समय 2015 की “ऑपरेशन राहत" हो, कोविड काल 2021 की ऑपरेशन "वन्दे भारत मिशन" हो या फिर अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में चलाई गई "ऑपरेशन देवी शक्ति" हो । आज पूरा विश्व हमारे देश के सशक्त नेतृत्व का लोहा मान रहा है और भारतीय होने के नाते मुझे इस बात पर गर्व है।

सभापति महोदया, अब इन युवाओं की अधूरी शिक्षा को किस प्रकार से पूरा कराया जाये ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और मै आपके माध्यम से, माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में जरूर विचार किया जाये, ताकि इन दो देशों के आपसी टकराव का प्रभाव

इन बच्चों के कैरियर पर पड़ने से रोका जाये । जो बच्चे एमबीबीएस फाइनल वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़ कर वापिस देश लौटना पड़ा, उन बच्चों के लिए भी कोई रास्ता निकाला जाये।

(xi) Need to establish a Horticulture University in Manawar Tehsil in Dhar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री छतर सिंह दरबार (धार): माननीय सभापति महोदया, मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र धार के लोगों का मुख्य पेशा कृषि एवं पशुपालन है । इस क्षेत्र में पानी की प्रचुर उपलब्धता होने के कारण किसानों को समुन्नत बनाने के लिए बागवानी तथा औषधीय पौधों को उगाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं । यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण धरती का सम्यक उपयोग करके हम किसानों के जीवन में संपन्नता और शुशहाली ला सकते हैं । इसके लिए धार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मनावर तहसील में यदि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, तो इससे न केवल मालवा के संपूर्ण क्षेत्र में खुशहाली लायी जा सकती है, बल्कि पूरे देश में बागवानी मिशन को एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है । इससे न केवल बेरोजगारी खत्म होगी, बल्कि युवाओं का पलायन भी रुकेगा । इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि मनावर तहसील में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में तत्काल पहल की जाए।

माननीय सभापति : श्रीमती अपराजिता सारंगी-उपस्थित नहीं।

(xii) Need to start skill development programme in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति महोदया, कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है । आज हर क्षेत्र में उन्नत तकनीक एवं कुशल प्रशिक्षण के कारण तीव्र विकास व आर्थिक लाभकारी व्यवस्था बन रही है । अत: मेरे संसदीय क्षेत्र के कृषक युवक/युवतियों को कृषि में कौशल विकास के माध्यम से सक्षम बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है । मैं संसदीय क्षेत्र में यह महसूस करती हूँ कि किसान परिवारों के युवक कुशल प्रशिक्षण के अभाव में कृषि कार्यों से विमुख होते जा रहे हैं । भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूर्ण करने के लक्ष्य को कृषि क्षेत्र में कौशल विकास प्रकल्प चलाने में विशेष ध्यान दें । कृषि व पशुपालन तथा प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि से जुड़े कौशल विकास के कार्यक्रम राजस्थान के कृषि प्रमुख जिलों में संचालित करें । मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा, जयपुर ग्रामीण में शीघ्र कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करें । युवा शक्ति कृषि व बागवानी का ज्ञान अर्जित कर आत्मसम्मान से अपना जीवनयापन कर सकेगी ।

(xiii) Regarding silver line project in Kerala

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government not to give any approval for implementation of proposed silver line high speed Railway corridor from Thiruvananthapuram to Kasargod in Kerala and necessary instructions may be given to the State Government to stop the implementation activities as it is totally against the interest of the State. The proposed project, if implemented, will divide the State into two parts due to the construction of protection wall for the railway line. The Government has started the implementation work and now saying that it will conduct required studies such as environmental, socio-economic, etc., for the project. Large-scale protest is going on in Kerala on a daily basis. State Government is allegedly trying to bulldoze all the agitation and filing criminal cases against agitators, including women and children. As we all are aware, during the last few years, the State faced unprecedented flood situation and several thousands lost their livelihood and everything due to waterlogging after the flood. Implementation of this project will cause environmental impact as it requires to construct protection wall for safety. This will lead to further floods.

(xiv) Regarding rail coach factory at Kanjikode, Palakkad.

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The foundation stone was laid for the proposed Rail Coach Factory at Kanjikode in Palakkad, under Public Private Participation for manufacture of fuel efficient and lightweight aluminium coaches at an estimated cost of Rs.550 crore, a long ago. A total of 236 acres of land had been acquired for the project and a sum of nearly Rs.7 crore was also spent for construction of boundary wall. This project appears in the pink book of railways and even a token amount of Rs.1,000 is earmarked every year. Production has already commenced in the units for which foundation stones were laid along with the proposed rail coach factory at Kanjikode. The Kanjikode unit is yet to be put on track. The acquired 236 acres of land is lying unutilised. This proposed project was also found in PRAGATI and this was debated in the 38th meeting of the PRAGATI. Therefore, it is urged that the said proposed project be brought under Gati Shakti scheme to expedite it or make use of the said land and infrastructure for any other project of railways. This will create employment for the people and also meet the requirement of railways of any goods whatsoever.

(xv) Regarding direct train connectivity between Chennai and Tiruvannamalai.

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): There is a demand by a large number of public for direct train connectivity between Chennai and Tiruvannamalai. Tiruvannamalai Railway Station in Tamil Nadu is 125 years old. The Passenger Train from Tambaram to Tiruvannamalai was running till 2007 on narrow gauge. The work relating to conversion of narrow gauge to broad gauge commenced in the year 2007 which temporarily disrupted the railway connectivity to Tiruvannamalai. After completion of conversion of railway track, the daily passenger train which was operating between Tambaram to Tiruvannamalai has not been restored. Needless to reiterate that the Temple city of Tiruvannamalai attracts lakhs of visitors for Dharshan of Lord Arunachaleshwarar and Girivalam. The hon. Railway Minister, may, therefore, take necessary action to resume daily direct train between Chennai to Tiruvannamalai without any delay.

(xvi) Regarding reducing the net borrowing limit of Andhra Pradesh.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Sir, I wish to highlight the plight of the state of Andhra Pradesh which must be immediately mitigated by the Central Government. The ruling Government of Andhra Pradesh is trying its best to recover from the impact on finances of an unjust bifurcation. However, the Central Government's move of reducing the net borrowing limit of the state by Rs 17,923.24 crores on account of "over-borrowing" of the state during 2016-17 is further increasing the plight caused by stressed finances. The originally fixed limit was Rs 42,472 crores, which has now been significantly reduced. This is a gross injustice as "over-borrowing" mentioned was done by the previous Government of the State during the financial year 2016-17, after which the borrowing limit for the previous Government should have been adjusted for the years 2017-18 and 2018-19. The same was not done, and it is at a critical juncture of reeling from the financial losses of the COVID-19 pandemic and an unjust bifurcation for which the current ruling regime is being punished.

Since the current Government had no involvement in this over-borrowing, the Central Government has set a dangerous precedent by curtailing our finances. Despite multiple requests by the State Government to correct this, the Ministry of Finance has not accepted our request. I urge the concerned Ministry to immediately resolve this issue and ensure that the State Government of Andhra Pradesh does not have to suffer another injustice.

(xvii) Regarding policy intervention to retain students graduating from Indian Institute of Space Science and Technology (IIST)

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Madam, Indian Institute of Space Science and Technology (IIST) was founded in 2007 to launch new generation of young space scientists into the control rooms of the Indian Space Research Organisation. It comes under the aegis of the Department of Space and offers both B. Tech and integrated M. Tech courses focussed around three main areas of aerospace engineering, avionics and physical sciences. Upon Graduation, the students are typically absorbed by ISRO, subject to available positions. They are contractually obligated to work at the agency for a minimum of three years, a necessary condition for acceptance into IIST. Starting from the very first batch that joined ISRO in 2011, former IIST students have been quitting the organisation even before their stipulated contract ends, paying lakhs out of their pocket to leave. The absence of a culture of innovation and a lack of focus on research were among the issues along with no choice in picking the area of specialisation they wish to work on. This has resulted in many graduating with one specialisation and ending up working in another. I request the Government to kindly intervene and take suitable policy measures to retain our home-grown talent and control the unusual high rate of attrition of students graduating from IIST in order to bolster our space programme.

माननीय सभापति : श्री सदाशिव किसान लोखंडे – उपस्थित नहीं।

श्री दिनेश चन्द्र यादव जी।

(xviii) Regarding passenger train services between Saharsa and Purnia in Bihar

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): महोदया, बिहार राज्य के पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन का सहरसा-पूर्णियां रेलखंड व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है । यह अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित है । सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णियां के बीच दैनिक रेलयात्री काफी संख्या में सफर करते हैं, जिससे सहरसा और मधेपुरा के यात्रियों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है । लम्बे समय से ट्रेन की उपलब्धता नहीं रहने से इन क्षेत्रों के रेलयात्रियों को बस एवं टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, जो काफी महंगा ही नहीं होता है, बल्कि इससे समय की भी बरबादी होती है । पूर्णियां से सहरसा के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी जो पूर्णियां से दिन के 11 बजे खुलती है और सहरसा 1.40 बजे अपराह्न तक पहुंचती है । उसके बाद पूर्णियां से सहरसा के लिए अगले दिन सुबह 6 बजे ही पैसेंजर ट्रेन खुलती है । उसी तरह सहरसा से सुबह 6 बजे के बाद शाम 6 बजे ही दूसरी गाड़ी बनमनखी, पूर्णियां के लिए खुलती है । इसलिए पूर्णियां से शाम 4 बजे सहरसा के लिए पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए और सहरसा से पूर्णियां के लिए भी दोपहर में पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए।

अत: माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि सहरसा-पूर्णियां के बीच पर्याप्त संख्या में पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए ।

माननीय सभापति : श्री महेश साहू – उपस्थित नहीं।

श्री श्याम यादव सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी – उपस्थित नहीं।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील – उपस्थित नहीं।

(xix) Regarding allocation and release of funds for AMU Centre, Malappuram

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Madam, I hereby draw the attention of the Government towards the pathetic condition of AMU Centre, Malappuram and request for saving an ambitious higher education project of the country. The Centre was established with the approval of the President of India in 2010. The DPR envisaged acquiring of autonomy by 2018 and becoming an independent Centre by 2020. But it is very unfortunate that the Centre is running only three Departments and it has fewer than 500 students at present. All the hurdles are due to lack of funding by the Government. Although the DPR had proposed for Rs. 1200 crore, appraisals for Rs. 104.93 crore only was sanctioned initially. The concerned Departments released only Rs. 60 crore till 2017 and there was no further allocation of funds for the development of the Centre.

AMU Malappuram Centre deserves special consideration in the context of National Education Policy which recommends that regions with significantly larger populations from the socio-economically disadvantaged groups should be declared Special Education Zones. Malappuram Centre of AMU was established following the Sachar Committee findings.

I request the Government to do the needful for the immediate allocation and release of at least 500 crore and for more programmes from the UGC as per the DPR for saving this great Centre of higher education.

(xx) Regarding urban revitalization of Municipalities in Darjeeling and Kalimgpong districts

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The districts of Darjeeling and Kalimpong comprise of four Municipalities, namely, Darjeeling, Kurseong, Mirik, Kalimpong and One Municipal Corporation Siliguri.

The urban population in these two districts nearly touch ten lakh people. Among these, Darjeeling holds the distinction of being the first Municipality among mountain towns in India, established in 1850. Siliguri is the only Municipal Corporation in the entire North Bengal region.

Through decades, these Municipalities have not received adequate share of financial and infrastructural support needed to cater to the ever-increasing urban population.

This has resulted in massive under development, urban sprawl and unplanned growth. These towns suffer from massive traffic congestions, lack of solid waste management, lack of drainage and sewerage facilities, provisioning of drinking water and lack of health care facilities.

Sir, there is an urgent need for the Central Government to intervene to change this sorry state.

I, therefore, request the Ministry of Urban Development to kindly develop a plan for the urban revitalization of all the Municipalities in the districts of Darjeeling and Kalimpong.

I also request the Central Government to allocate special grants and funds for the development of Darjeeling, Kurseong, Mirik, Kalimpong and Siliguri Municipalities.

(xxi) Need to provide water to Jhunjhunu district, Rajasthan from Yamuna canal

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र झुन्झुनू में गिरते भू-जल स्तर के कारण सिंचाई लगभग बंद हो चुकी है । झुन्झुनू जिला कृषि आधारित जिला है । यहां कुंओं का पानी सूख रहा है । पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो रहा है । यमुना नहर का पानी झुन्झुनू जिले में लाने के लिए राजस्थान के सिंचाई विभाग ने यमुना नदी के ताजे वाले हैड से आवंटित जल पर दिनांक 27.10.2020 को केन्द्रीय जल आयोग के साथ हुई वी.सी. में परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया । जिसके अंतर्गत पेयजल हेतु प्रथम चरण में कार्य किया जाएगा तथा सिंचाई हेतु परियोजना का कार्य द्वितीय चरण में किया जाएगा । परियोजना की डी.पी.आर. केन्द्रीय जल आयोग को दिनांक 08.01.2021 को प्रेषित कर दी गई है । डी.पी.आर. के अनुसार प्रथम चरण की लागत रु.14204.81 करोड़ रुपये एवं द्वितीय चरण की लागत राशि रु.17162.04 करोड़ रुपये कुल लागत राशि रु. 31366.86 करोड़ रुपये आंकी गई है । कई बार जिसके लिए उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं, लेकिन परिणाम शून्य है । अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के झुन्झुनू जिले को जल्द से जल्द यमुना नहर के ताजेवाता हेड से पानी दिलवाया जावें ।

(xxii) Need to categorise Sickle Cell Anemia as permanent disability.

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): महोदया, सिकलसेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमारी (जेनेटिक डिसऑर्डर) है । आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अब तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका है । अब तक हुए शोध से पता चलता है कि सिकलसेल एनीमिया बीमारी प्रमुखता से अनुसूचित जनजातियों में पाई जाती है । यह माता-पिता के जीन से संतान को मिलती है । सिकलसेल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रक्त आनुवांशिक रोग है । समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करके ही इस रोग का निराकरण किया जा सकता है । कैंसर, मधुमेह (डायबिटीज), एड्स आदि के लिए भी कोई निश्चित उपचार नहीं है, इसके बावजूद इनके संबंध में जनजागरण किया जाता है और इनकी रोकथाम और लक्षणों के उपचार की व्यवस्था की जाती है । सिकलसेल के साथ यह न्याय नहीं किया गया । सिकलसेल से प्रभावित लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था है, जो हर एक/दो साल में रिन्यू कराना पड़ता है ।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सिकलसेल से प्रभावित लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी की व्याख्या में लाया जाये, जिससे ऐसे सिकलसेल एनीमिया अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित लोगों को बार-बार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यू कराने से राहत मिलेगी तथा परमानेंट डिसेबिलिटी की सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा । सिकलसेल की रोकथाम और लक्षणों के उपचार की व्यवस्था कराने का निवेदन भी मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से करती हूँ ।

(xxiii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Satara Parliamentary Constituency, Maharashtra.

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (सतारा): महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र सतारा (**महाराष्ट्र**) में केन्द्रीय विद्यालय हो, ऐसी माँग पिछले कई सालों से हो रही है ।

अत**:** केंद्र सरकार से निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सतारा (महाराष्ट्र) में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए ।

14.58 hrs

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2022

माननीय सभापति : आइटम नंबर -17, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022, माननीय मंत्री जी ।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संधोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, आज लोक सभा में त्रिपुरा राज्य से संबंधित इस विधेयक को विचार हेतु लाया गया है । आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य हो रहे हैं । उसी कड़ी में इस तरह के संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) विधेयक के माध्यम से त्रिपुरा से संबंधित, जिसमें "कुकी" समुदाय, जो "कुकी" समुदाय है, राज्य के क्रमांक 9 में अंकित है, उसी के सब-कास्ट के रूप में "डार्लोंग" को सम्मिलित करने के संबंध में लाया गया है और वह इसलिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे एक ही समुदाय के लोग विभिन्न सब-कास्ट की दृष्टि से हैं और ये कहीं न कहीं लंबे अरसे से छूटे हुए थे।

15.00 hrs

इस कारण यह विधेयक इस सदन में लाया गया है । आप जानते हैं कि ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी की लगातार रुचि रही है । जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो इस अमृत महोत्सव के समय हम इस संकल्प के साथ ऐसी समस्याओं का निदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे जनजातीय समुदाय को विकास के लिए तीव्र गति से आगे लाया जाए । निश्चित रूप से इस देश में खासकर जनजातीय समुदाय अपने आपको काफी गौरवान्वित महसूस

करते हैं कि आज़ादी के लम्बे कालखंड के बाद इस देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एक तिथि निर्धारित की गई है । यह इस बात को दर्शाता है कि जहां एक तरफ हम जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय लोगों के प्राइड को, उनके स्वाभिमान को और दूसरी तरफ इसके साथ ही उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करें । यह मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम उसका अच्छा परिणाम देख सकें, चाहे वह स्वास्थ्य में हो, चाहे वह शिक्षा में हो, चाहे वह रोजगार में हो।

अभी नियम 377 के अधीन मैं सुन रहा था कि जो ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में एक बड़ी आनुवांशिक समस्या है । उस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार और यह मंत्रालय संवेदनशील है । इस पर रिसर्च का काम आईएमसीआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हमारा मंत्रालय पूरे देश भर में राज्यों के अंदर सब के साथ मिलकर किस तरीके से बेहतर एवं प्रभावी व्यवस्था खड़ी की जाए, उसके लिए काम कर रही है ।

उसी तरीके से आपको जानकारी है कि भारत सरकार का यह मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहा है, ताकि शिक्षा में खासकर उन सारे समुदायों को, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका एक करेक्टर है, एक चरित्र है और एक जीवन पद्धति है । उस जीवन पद्धति के साथ आदिकाल से रहने वाले लोग, जिन्होंने विविध क्षेत्रों में रहकर अपने आपको लम्बे अर्से तक सांस्कृतिक विरासत के साथ जीने और परम्परा का निर्वहन किया है, जो अछूता है । आज आपके सामने जो यह विधेयक लाया गया है, यह विधेयक उसी दृष्टि से है और जिसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी राज्य के ऐसे लोग, जो राज्य सरकार की एक व्यवस्था है तथा राज्य सरकार द्वारा उसकी रिसर्च की जाती है और रिसर्च के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें जो ट्राइबल करेक्टर है, वह ट्राइबल करेक्टर मेन्टेन हो । वह उसके चारित्रिक गुणों में आए और उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को भेजी जाती है । भारत सरकर की जो प्रविधियां हैं, जो व्यवस्था है, उसके तहत विभिन्न स्तरों पर इसकी समीक्षा उपरांत, वेटिंग

करने के बाद, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद और मंत्री परिषद की स्वीकृति के उपरांत सदन में लाया जाता है । आज बेहद प्रसन्नता है कि आज त्रिपुरा के ऐसे लोग, जो पिछले कई वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, जो कुकी कास्ट के हैं और सब-कास्ट के रूप में डार्लोंग कम्युनिटी है, उसके बारे में यह सदन विचार कर रहा है । मैं यह आशा रखूंगा कि यह सदन इसको पारित करे और जो डार्लोंग कम्युनिटी है, उसको न्याय दे।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Madam Chairperson, as the hon. Minister said, this Bill seeks to amend Part 15 of the Constitution (Schedule Tribes) Order, 1950 which specifies the civil tribes in the State of Tripura.

Tripura has 19 very distinct, recognised ethnic tribal groups and among these 19 distinct ethnic tribal groups, there are also 9 distinct tribal languages used by these tribal people.

The Bill seeks to recognize the Darlong community as a sub-tribe of the Kuki tribe in the list of STs in the State of Tripura. It is heartening to know that this particular tribal group, the Darlong community, is comparatively more advanced in Tripura because the literacy rate of the Darlong community is higher in comparison to other tribes. Let me tell you one thing. There is no question of not supporting this move of the Government but what is intriguing about this sudden move of the Government to bring this Bill and having it passed in the Parliament is this. The State of Tripura is about to go in for elections very soon. It is known that the Government is a past master of giving out different election-oriented measures. There is nothing harm in it. But actually, that is what is intriguing. The Government is probably hoping to reap political benefits by singling out Tripura just before the elections that are going to take place in a couple of months. यह बिल तो अच्छी बात है । यह ट्राइबल स्टेटस देने में हम लोगों का सपोर्ट तो होगा, लेकिन इस मूव में जो खोखलापन है, मैं यही बताना चाहूंगा कि यह जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है, the current Bill has not estimated the expenditure for the welfare of the proposed inclusion of the tribe or accounted for the budget outlay. There is a decreasing accountability. Mere recognition is not sufficient.

There is a need to commit funds and concrete policies. The Financial Memorandum of the Bill says:

> “It is not possible to estimate the likely additional expenditure to be incurred on this account at this stage. However, the expenditure, if any, shall be accommodated within the approved budgetary outlay of the Government.”

जो एग्ज़िस्टिंग पैसा है, जो प्रावधान है, उसी में से इस ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर खर्चा किया जाएगा ।

Madam, I just want to point out that according to the NITI Aayog’s Allocation for the Welfare of Scheduled Tribes Guidelines, जिसको एडब्ल्यूएसटी बोलते हैं, वहां नीति आयोग ने यह मेंडेटरी बोला है कि it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to the tribal population. The allocation in the Financial Year 2022-23 was not proportionate at all, and the SC and ST Budgets actually have a shortfall of Rs. 40,634 crore and Rs. 9,399 crore respectively. यह बहुत दुख की बात है । आप लोग ट्राइबल स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन ट्राइबल के बेनिफिट्स के लिए, डेवल्पमेंट के लिए जो प्रावधान करना चाहिए, वह तो आप लोग नहीं कर रहे हैं । The budget for schemes aimed at creating jobs for Scheduled Tribes in the Union Budget of 2022-23 has been substantially decreased from Rs. 89.5 crore last year to Rs. 11.3 crore this year. यह ज्यादा कम हो गया है । Is it not very grave matter? It is actually *khokhalapan.*

The current year's labour welfare schemes for STs saw a decrease from the previous year's Rs. 12.9 crore to Rs. 10.66 crore this year. The budget for STs also lacked significant funding in areas like education and women safety.

मैं यही बात दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ रिकॉग्निशन देने से नहीं होगा । इसके लिए आपको सिन्सियरिटी भी दिखानी होगी । इलेक्शन से पहले आप ट्राइबल्स को रिकॉग्निशन दे दीजिए, सीडलिंग दे दीजिए, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए, उन्हें ऊपर लाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, यह तो बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है या लिखा नहीं जा रहा है।

मैं यही बात बताना चाहूंगा । The Union Government must do many more things than recognition of the works of the Scheduled Tribes, in the direction of their well-being and development.

आर्टिकल सिर्फ टोकेनिज्म से नहीं चलता । Article 46 of the Constitution provides that the State shall promote, with special care, the education and economic interest of the weaker sections of the society, and in particular, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

महोदया, सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बेजबरूआ कमेटी का गठन किया । In the context of the North-East, there is a need to meaningfully implement the Bezbaruah Committee Report for the safety and security of the North-East tribal communities. This Bezbaruah Committee was formed by the Government of India, by the Government here, in Delhi. The Bezbaruah Committee submitted the Report. But this Government never showed any sincerity in the implementation of the Report of the Bezbaruah Committee.

Similarly, I just want to point out, Madam Chairperson, that the Standing Committee on Social Justice and Empowerment has found that the National Commission for Scheduled Tribes has been dysfunctional for the last four years. Do you not think it is shameful? About the National Commission for Scheduled Tribes, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि the National Commission for Scheduled Tribes has been dysfunctional for the last four years and has not delivered a single report to the Parliament. माननीय मंत्री जी, What do you have to say, क्योंकि यह जो नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन्होंने कोई रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की और न ही पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है । हमारे ट्राइबल्स के बारे में आप लोगों की जो सिन्सियरिटी है, क्या यह सही है, क्या यह सही दिखाई दे रही है?

The Standing Committee found that these reports, though finalised by the Commission, are withheld by the Union Ministry of Tribal Affairs. I am very sorry to say, hon. Minister, that your Ministry has withheld these reports. That is what the Standing Committee has said कि शायद आपने उसको परमिशन भी नहीं दी । जो भी हो, I think there is some explanation to be made on this by your Ministry. So, there is a need to expedite the working and presentation of reports and address the Commission's manpower and budget shortages, so that it can actively work towards the welfare of the Scheduled Tribes community.

दूसरी बात है कि आप ऐसे जो स्ट्रक्चरल रिवीजन्स, कैटेगॉरिकल रिवीजन्स कर रहे हैं, इसमें data on caste is very important. We all know that no Caste Census has taken place ever since 1931. अगर कास्ट सेन्सस नहीं होगा, अगर डेटा नहीं होगा कि

कौन-सी ट्राइबल एथनिक कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है तो उसका रिवीजन, स्ट्रक्चरल रिवीजन कैसे किया जाता है कि यह एस.सी. में आएगा, एस.टी. में आएगा? So, this data is also very important. The data on caste is imperative for enabling reasonable conversations on categorical revisions within the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Class categories, the legitimacy of the economically weaker section category, targeted development programmes for the marginalised, and so on. It is very, very important.

मैडम, गवर्नमेंट ने कोई सिन्सियरिटी नहीं दिखाई है । मैं यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि there are many ethnic groups in our country and these ethnic groups have to be recognised. क्योंकि ये जो एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं । इन्हें न सिर्फ रिजर्वेशन देना है, बल्कि उन्हें कन्जर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है । मैडम, ट्राइबल एथनिसिटी के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा । The tribal population in our country, we all know, has endured historic and systematic discrimination over the ages.

According to the Tribal Health Report of 2018, 55 per cent of our country's tribal population now resides outside its traditional habitats. पहले जो वहां रहते थे, उनको वहां से भगा दिया जाता है । The Report cites the Consensus of 2011, that found a 32 per cent decline in their villages. पहले 100 पर्सेंट ट्राइबल पॉपुलेशन थी । जो इल्लीट्रेसी की रेट है, ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट ने बताया है । The Tribal Health Report also states that 41 per cent of the tribal population is illiterate in comparison to 31 per cent of the non-tribal population.

मैडम, इसके बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा । हमारे असम क्षेत्र में 6 कम्युनिटीज़ हैं । ये 6 कम्युनिटीज हैं, Tai Ahom, Koch-Rajbongshi, Sootea, Moran, Muttock and Tea tribes. इन 6 कम्युनिटीज़ को लगातार बीजेपी सरकार आश्वासन दे रही है । मैं बताना चाहूंगा कि the Ruling Party in the run up for 2014, वर्ष 2014 का जो लोक सभा इलेक्शन हुआ था, उस समय आप लोगों के बड़े-बड़े नेतागण द्वारा उन कम्युनिटीज़ को आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की शेड्यूलिंग हम करेंगे । वर्ष 2016 में असम के असेंबली इलेक्शंस से पहले फिर पार्टी के टॉप लीडर्स ने जाकर कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग की और उन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों की शेड्यूलिंग की जाएगी ।

यही नहीं वर्ष 2016 में जो बीजेपी का विजन डाक्यूमेंट दिया गया था, उसमें भी प्रॉमिस किया था कि 6 कम्युनिटीज़ को शेड्यूलिंग किया जाएगा । असम की जो बीजेपी सरकार है, उसने रिपोर्ट देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 14 जनवरी, 2019 को फॉर्म किया था । मैंने आपके उत्तर में देखा कि अभी तक वह रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी गई ।

यह जो इनसिंसियरिटी है, वर्ष 2014 से 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 6 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो कैरेक्टरस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, असम का इंडिजेनस कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल ट्रेड्स हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उन लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया । मैं बोलना चाहूंगा कि justice should be given to these communities including the six communities of Assam.

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व): सभापति महोदया, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब्स, 1950, जो यहां ऑनरेबल मिनिस्टर मुंडा साहब लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । त्रिपुरा स्टेट के दरलोंग ट्राइब को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी के नेतृत्व में और अर्जुन मुंडा साहब ने इनीशिएट करके, इसे एसटी स्टेटस में लाने के लिए यह बिल लाए हैं । मैं कहना चाहूंगा कि त्रिपुरा एक ट्राइबल स्टेट था । यहां एक जमाने में ट्राइबल राजा राज किया करता था । वर्ष 1949 में जब त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हुआ, तब से लेकर अब तक यह एक ट्राइबल स्टेट था । आज मार्जिनलाइज होकर त्रिपुरा के ट्राइबल्स 31 पर्सेंट रह गए हैं । हो सकता है कि वर्ष 1971 वॉर की वजह से बांग्लादेश से हमारे हिंदू आए और डेवलपमेंट गतिविधियां बढ़ने के कारण पॉपुलेशन का यह डेमोग्राफिक चेंज हो रहा होगा । मैं अपने मित्र बोरदोलोई साहब को कुछ बताना चाहूंगा । दरलोंग ट्राइब को ट्राइबल स्टेटस मिलने पर मैं इन लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं और यह बताना भी चाहूंगा कि इसमें 75 वर्ष लगे । आप अभी कह रहे थे किअसम में भी 6 ट्राइब्स हैं । 75 वर्ष में असम में कांग्रेस की ही सरकार थी । आपने जो नहीं किया, हमारी सरकार उसे जरूर करेगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए । असम में जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स दिए गए, आगे भी हम इसे देखेंगे । मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में हम यह जरूर करेंगे, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है ।

थंगा दरलोंग को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, उसको फॉल्क, उसका कल्चरल एक्टिविटीज, के नाम से कुकी ट्राइब्स को दिया गया था । लेकिन दरलोंग ट्राइब्स को आज मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में रिक्गनाइजेशन दिया जा रहा है । त्रिपुरा में टोटल पोपुलेशन का 2.15 परसेंट ही दरलोंग रह गए हैं । वहां लिटरेसी भी अच्छी है, वहां का कल्चरल ट्रेडिशन्स मेन कुकीज से अलग है । इसलिए आज रिक्गनाइजेशन दिया जा रहा है । मैं मोदी सरकार और मंत्री जी को इस कम्युनिटी को रिक्गनाइज देने के लिए धन्यवाद देता हूं । आज त्रिपुरा में एक टीटीएएडीसी 31 परसेंट ट्राइब्स रह गए हैं, उसके लिए 6 शेड्यूल है, त्रिपुरा में ट्राइबल एरिया में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल है ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा और भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे असम में कार्बी ऑटोनमस काउन्सिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से फाइनेन्शियल अस्सिटेंस दिया जाता है । वहां 100 परसेंट ट्राइब्स हैं, बोडो काउन्सिल को 500 करोड़ रुपये से अधिक दिया गया था । कार्बी आंगलांग में भी दिया जाता है ।

मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ट्राइबल स्टेट्स देना कोई बुरी बात नहीं है । लेकिन ट्राइबल को रिग्नाइज करने या जिन लोगों को ऑलरेडी रिक्गनाइज कर लिया गया है, उसके सोशियो-इकोनॉमिकल, लिटरेसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए । स्पेशल टीटीएएडीसी का स्टेट गवर्नमेंट का बजट बहुत कम है । त्रिपुरा में अभी 100 परसेंट में से 31 परसेंट ट्राइबल अभी भी बसा है, जिसमें 6 शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेन्शिएल अस्सिटेंस देना चाहिए । मैं इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं ।

आज मैं मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं । अरूणाचल प्रदेश में 12 ट्राइब्स को इस सरकार ने लास्ट ईयर रिक्गनाइज किया था । उसके लिए हम और अरूणाचल प्रदेश तड़पता रहा कि 12 ट्राइब्स को रिक्गनाइज किया जाए । आज अरूणाचल प्रदेश में 12 ट्राइब्स को स्टेट ने 75 ईयर के बाद रिक्गनाइज दे दिया ।

मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में आर्टिकल 275 एससीए, टीएसएस में बहुत फंडिंग होता है । इसके साथ ही 100 स्कीम्स हैं, जिससे हमारा ट्राइब्स इकोनॉमिकली, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ सकता है ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इसका एक मैकेनज्म बनाना होगा ताकि मोनिटरिंग और इवैल्यूशन हो । आज आदिवासी ट्राइबल से उठ चुके हैं लेकिन बहुत सारे रूरल इलाके में जैसे त्रिपुरा में दरलोंग कम्युनिटी है, वहां रहने की सुविधा, मेडिकल, बच्चो के लिए एजुकेशन, रोड एंड कम्युनिकेशन्स जरूरी है ।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आपके माध्यम से स्पेशली जितनी भी रूरल इलाके में फंडिंग होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक मोनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि सही में जंगल में जो ट्राइब्स हैं, उसको सुविधा मिले । जहां ट्राइब्स हैं वहां वन है, जहां वन है, वहां ट्राइब्स हैं ।

आदिवासियों की जिंदगी बिना जंगल नहीं है । जनरेशन ऑफ जनरेशन जंगल को संभालने और देखरेख सदियों से करती आई हैं । जंगल हिंदुस्तान में वहीं बसे हैं जहां ट्राइबल्स हैं । बाहर की इकोनामिक इन्फ्लुयंस में जंगल काटे जाते हैं, नदियों को बर्बाद किया जाता है । ऑनरेबल मिनिस्टर इस पर ध्यान दें कि जहां जंगल हैं, वहां फोरेस्ट डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है । मोदी साहब ने मेडल और अवार्ड दिए हैं । बेयरफुट में राष्ट्रपति भवन में आए, जिन्होंने जंगल को बसाए रखा है । हमें इसमें एक स्कीम जोड़नी होगी कि ट्राइबल्स की जगह पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है । जहां फोरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पेड़-पौधे काटे जाते हैं । जहां ट्राइबल्स हैं, वहां लोगों को कैसे इकोनामिकली एन्हांस किया जाए, कैसे मेडिकली, एजुकेशनली और टेलीकॉम्युनिकेशनली बढ़ावा दिया जाए, यह देखना चाहिए।

मैं आज इस बिल का समर्थन करता हूं । दरलोंग आदिवासियों को, जो त्रिपुरा में बसे हैं, कुकी नाम से जाने जाते थे, 75 वर्षों के बाद पहचान दी जा रही है । मैं त्रिपुरावासियों और दरलोंगवासियों को मुबारकबाद देता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आपको इकोनामिकली डेवपलमेंट के साथ जंगल बचाने हैं और ट्राइबल्स को पीसऑफ देना है । आपको उनकी आइडेंटी, कल्चर, सोश्यो-इकोनामिक ग्रोथ को साथ लेकर चलना है । ट्राइबल्स प्रोटेक्ट होंगे तो वन बसेंगे, ट्राइबल्स प्रोटेक्शन होंगे तो नदियां बचेंगी ।

यही बातें कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Madam Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022.

Though the legislation came into existence by virtue of the constitutional provision in the year 1950, it is a shock and surprise for the House – not only for me – after 70 years, still this exercise is going on, on the part of the Government as to who is Scheduled Caste and who is Scheduled Tribe. Is it not a shame on our part, whoever be in the Government, notwithstanding the political integrity so far for 70 years? Is it not a shame on our part to say after 70 years a tribal community is being identified by this House and the discussion is going on?

My submission is, this exercise is not final and holistic. More demands are also there. That is why I wanted to speak on this Bill. Of course, this type of exercise was started not only after Independence but even before Independence, the British people were so humanitarian to us. They wanted to identify who are Scheduled Castes, untouchables, unseeable, unapproachable, and tribals. They wanted to have upliftment of these people on par with the rest of the people in the society. I welcome this Bill. I appreciate the Minister for taking these efforts, at least, to bring this Bill at this belated time. But does it mean that it is holistic? We are having a National Commission for SCs & STs. We are having so many mechanisms in the Government. But yet, the social topography of this country has not been reviewed and redressal

mechanism is not at all fully addressed. That is why this Bill came into existence. As the time passes, some more Bills will come. I will come to it later.

I do not want to speak much. I am having only one demand for my State. Our hon. Chief Minister, Dr. MK Stalin, who is also the President of our DMK Party, wrote recently to the Prime Minister to include Narikuravar community in Tamil Nadu whose social and cultural identifications are not only unique but something distinct. They have been completely neglected in terms of education and other basic facilities. Even basic amenities are not at all provided to them.

They are landless poor. The literacy rate is around one per cent. There is no representation in the Government service at all. So, these communities are almost neglected so far for more than 70 years. In 1965, the State of Tamil Nadu demanded to include Narikuravar community in the Tribal list. On the basis of the State Government's demand in 1969 – when our beloved leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu – again the attention of the Central Government was drawn to this. On the basis of the recommendation made by the State Government, a Lokur Commission was constituted and its report was also referred to the Joint Parliamentary Committee as to whether these two communities can be included in the Tribal list. The JPC gave the recommendation; the Lokur Commission gave the recommendation; the Director of Tribal Affairs gave the recommendation; and also, the National Commission for Tribals gave the recommendation. What else do you need? National Commission, State Government, your Director, your Ministry, and your Cabinet, all recommended to include the Narikuravar

community in Tamil Nadu and Kurumba community in Ooty, Nilgris, which in my constituency, in the Tribal list. In spite of that, no fruitful result came. Of course, in 2016, the credit may go to this Government, a Bill was brought before this House to include these communities on the recommendation of the DMK Government but for reasons best known to you, the Bill was lapsed.

My only submission is this. You were fully aware that a draft Bill was submitted before this House to include two communities from Tamil Nadu, Narikuravar and Kurumba but the Bill was allowed to lapse, and now you are bringing another Bill. What does it mean? Where is the parity? You must be fair to everybody. That is what I am saying. I am not saying that it should be withdrawn. I have a high regard for the hon. Minister and the Government but at least, on the floor of the House you must give the assurance that the Narikuravar community of Tamil Nadu and the Kurumba and Kuruman community of Nilgiris must be listed in the Tribal list since the recommendation has already been made to you.

My another demand is this. In my own constituency, Badaga community is demanding the same status. I am representing those people. They are having unique and separate cultural values, and customary laws.

They are also associated with forest lands. They are having their own customary laws which cannot be equated even with Hindu laws. Some unique features are in the society. They demanded for the ST status. Similarly, fishermen in some parts of Tamil Nadu demanded for ST status. They are also very poor. Their social status is also very low.

So, what I am submitting before the House is this. Your intention is good but it must be holistic throughout the country. You are having your own system in the name of the Commission for SCs & STs. You are even having a separate ST Commission. The National Commission has a constitutional status. It is having its own mechanism. Please get the details from all over the country, not only from Tripura or Tamil Nadu or Andhra or Gujarat. Have a holistic study. After the study, you list out what other communities can be included in the Tribal list or in the Scheduled Castes list. That is why the accusation came from my hon. friend, Shri Praduyt from Congress that you are politically motivated for this exercise. You may be genuine but unnecessarily you are giving it political colour on your part because it is a piecemeal legislation. So, do not have a piecemeal exercise. Be fair to every part or section of this country. Otherwise, I welcome this Bill. Please take my demand into consideration and give some assurance.

Thank you.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, Madam, for the opportunity to speak on such an important Bill.

The Scheduled Tribes have been one of the most deprived and neglected sections of India for thousands of years. After the country got Independence, our Constitution makers provided constitutional protection to the deprived classes to get rid of discrimination. Constitutional provisions under articles 15, 16, 46, 330, 332, 335, and 342 were made to give reservation to the marginalised classes in education and jobs, but despite many social security schemes by the Government, Scheduled Tribes are living in deprivation and poverty.

Now that our country is preparing to celebrate the 75th anniversary of its Independence, there is an urgent need to take concrete and meaningful steps to bring the above-mentioned sections into the mainstream of the country's development.

Madam, it is a progressive Bill, as it ensures that the tribal Darlong community are recognized under Article 342 of the Constitution. It will attract several benefits including reservation in jobs and education, scholarships after passing class X, national overseas scholarship for studies, national fellowships, soft loans, free residential and food facilities in the student hostels for the community. There is no denying the fact that societies must not only feel a collective responsibility for injustice done to communities, but also attempt to atone for it in concrete ways. The Bill is a significant step in the direction of establishing tribal rights. Tribal youth in India are facing inequality

in terms of educational attainment, employment opportunities, healthcare infrastructure and facilities, stigmatization, lack of proper awareness, and ecological constraints. Both tribal men and women are suffering from vulnerability during the pandemic. While the men are suffering from loss of jobs and economic sustenance, the women are suffering from the burden of the family's economic conditions, nutrition, hunger problems, and domestic violence. Unlike initiatives taken by other countries like Australia, Costa Rica, New Zealand, the initiatives taken by the Indian government are very few. Without the help of SHGs, and cooperative efforts at the village level, it is very difficult to conceive that the tribals could handle the precariousness during the pandemic.

Tribals are the most vulnerable community to food insecurity, malnutrition and illness. In 2019, India ranked 102 out of 117 countries in the Global Hunger Index, and falls under the serious hunger category. COVID-19 and the subsequent lockdown have threatened the livelihood of tribals. Tribals are having inherited diseases and there is a need for deep study for its permanent eradication. Imparting employability and training skills to tribal migrants will improve their skills and empower them to look for other income-generating opportunities. The skill-mapping approach will help in the assignment of jobs as per their unique skill set. Employment creation via start-ups and small and medium enterprises should be encouraged by engaging tribals to make local products. The promotion of tribal products in collaboration with public figures will quickly push sales.

Ekalavya Model Residential Schools have been started with the support of the Government of India. The objective of EMRS is to provide quality and high-level education to Scheduled Tribe students in remote areas, not only to enable them to avail of reservation in higher and professional education courses as also jobs in the Government, public and private sectors, but also to have access to the best opportunities in education at par with non-ST population. The Ministry has sanctioned 28 EMRSs for the State of Andhra Pradesh, out of which seven EMRSs in Visakhapatnam and two schools in East Godavari are yet non-functional. Efforts should be made to make all the EMRSs functional for the comprehensive physical, mental and social development of all students enrolled in each and every EMRS.

I would also like to request the Central Government to consider the setting up of Special Educational Zones in scheduled areas for better educational facilities for students from the tribal community especially when EMRS schools cannot cater to all the students. This creation of Special Educational Zones would be extremely beneficial for the current generation of students from the community to compete with other students.

There has been a successive decrease in the funds released to the State of Andhra Pradesh under the Grants-in-aid under Article 275(1) of the Constitution, from Rs. 63.9 crore in 2018-19 to Rs. 20.5 crore in 2020-21. To achieve the basic objective of the scheme to support the State Government in bridging the gap of tribal population, the Centre must ensure the release of

funds, especially for the States in the Fifth Schedule, having more tribal population like the State of Andhra Pradesh.

The AP State Government too recently has a specific ST Sub-Plan of Rs. 6,145 crore and such a system can also be followed at the national level.

I would like to bring to the notice of this House the support that the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has extended to the tribal community, especially for women. The Deputy-Chief Minister of Andhra Pradesh is a woman from the tribal community, and he also provides all the schemes, especially for the development of women.

I would like to request the Government to support the tribal communities in all the States, and especially ensure that the budget allocated for welfare programmes do not get lapsed and are implemented effectively. Furthermore, I would like to request the Government to ensure that public sector institutions are not shut down. I would like to mention the example of Vizag Steel Plant as disinvesting this Plant would result in a loss of jobs to 4,000 people from the SC and ST community. If the Government instead of starting new institutions begins to shut down institutions, then the last hope of people from the community to get jobs also gets lost.

Hence, I would request the Government to create more Government jobs in the Government sector for comprehensive development of the tribal community and not to close down institutions. With these suggestions, I support the Bill. Thank you for giving me this opportunity.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, I am not a Doctor. I am only Pratima Mondal.

Thank you, Madam. I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022.

The Bill seeks to include Darlong community as a sub tribe of Kuki tribe of Tripura into the Scheduled Tribes list. But the problems lying at the core cannot be solved just by including more categories into the list. The Government has to make progressive changes in order to ensure development of Scheduled Tribe population. I say this because the Scheduled Tribes fall under the category of India's poorest people with five out of 10 people falling into the lowest wealth bracket. This poverty-stricken state leads to all sorts of problems that they face be it lack of education, dependency on forest produces or resorting to Maoist activities.

Here, I would like to take the opportunity to mention that under the Leadership of our hon. Chief Minister, Mamata Bandhopadhyay, the Government of West Bengal has been largely successful in abolishing Maoist activities by bringing about development in the districts. Not only this, districts with highest population of Scheduled Tribes like Bankura, Birbhum, Jhargram, Purulia and others have reflected a significant rise in education and employment levels. Further, women from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are receiving Rs. 1,000 per month under Laxmi Bhandar scheme as a symbol of women empowerment, and people above the age of 60 years are also receiving Rs. 1,000 per month under Jai Johar scheme for

Scheduled Tribes and Taposili Bandhu for Scheduled Castes. This has to be ensured in all the areas dominated by Scheduled Tribes and also Scheduled Castes across the nation.

The unending miseries related to land for tribal population began with the increasing pressure on extracting minerals from these areas. This led to displacement of people from their own homeland. The growth led to springing up of industries by depleting forests, thus worsening the scenario. Currently, the status of our tribal men and women -- affected by rampant industrialisation -- is not even being studied. This clearly depicts the lack of concern from the Government's end.

The railway connectivity project in the North West areas is being opposed by numerous groups of tribal people as they are fearful of being uprooted from their cultural habitats and with no secure means of livelihood.

Why should any person be fearful in a democratic county? Just ponder upon that question. I would like to put forth my views that it is because the Government is taking steps which instead of helping people is affecting them negatively.

I would like to request the hon. Minister that before using or getting the lands of tribals, permission from panchayats must be made compulsory and the Government should take necessary steps in this regard.

Madam, it is because of economic backwardness and insecure livelihood, the tribals face health problems, such as prevalence of diseases, like malaria, cholera, tuberculosis, diarrhoea and jaundice, problems

associated with malnutrition like iron deficiency and anaemia, high infant mortality rates, low levels of life expectancy, etc. The Government must allot more funds and set up at least one major hospital having best facilities in all the remote areas inhabited by the tribes.

The degradation of the natural environment, particularly through the destruction of forests and a rapidly shrinking resource base, has had its impact on the status of women. The opening of the tribal belts to mining, industries and commercialisation has exposed tribal men and women to the ruthless operations of the market economy, giving rise to consumerism. This must be combatted by promoting women self-help groups, MSMEs, which does not impact environment negatively.

The most critical and delicate problem faced by the tribal population of the nation is related to their identity. Increasingly the traditional institutions and laws of tribals are coming into conflict with modern institutions which create apprehensions among the tribals about preserving their identity. Extinction of tribal dialects and languages is another cause of concern as it indicates an erosion of tribal identity in certain areas.

So, the Government must go beyond the listed languages and promote the protection of hundreds of languages spoken in the country. But along with that I seriously believe that English must be taught to not only Scheduled Tribes people but every citizen or at least youth and children of India. The language is very critical to enhance their pool of knowledge and required for every Government examination as well.

Madam, I would like to conclude by saying that the object of the Bill is very positive but the Government cannot shrug off its duty by doing just this. It has to address the real problem and bring about positive changes. The Government must bring a comprehensive Bill to include more tribes to the list after good research.

I, on behalf of my Party, All India Trinamool Congress, support the Bill.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय चेयरमैन मैडम, एक अच्छा बिल सरकार लेकर आई है, मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी लेकर आए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं । मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण हैं । श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, तब इसमें वह आरक्षण का मुद्दा लेकर आए । क्यों लाए? पिछड़े वर्ग, जाति से, समाज से, ऐसे पिछड़े वर्गों का उद्धार करने के लिए उन्होंने इसका प्रावधान संविधान में किया । 70 वर्षों के बाद कुछ लोग आज भी पिछड़े हुए हैं और आज भी हम उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं । मैंने अभी-अभी अपने मित्र अर्जुन मुंडा जी से पूछा कि हम रोज एक-एक बिल क्यों ला रहे हैं, आज त्रिपुरा के लिए, कल उत्तर प्रदेश के लिए लाएंगे । मैं इस बारे में बहुत बार बोलता आया हूं कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था - Spiritualise the politics. हम लोग तो कास्टिज्म को पोलिटिसाइज कर रहे हैं । We are also politicising spiritualism. Both these things are being politicised. हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से निर्णय लेना चाहिए । स्वराज्य, समता और बन्धुत्व अर्थात फ्रीडम, इक्वैलिटी और फ्रैटरनिटी के प्रिंसिपल को लेकर संविधान में सारे प्रावधान आए हैं । आज हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, मैंने बहुत बार बोला है । अर्जुन जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे मित्र हैं, यह जो स्थिति है, अगर उसे आप देखेंगे तो हर राज्य में जाति के नाम, उच्चारण, शब्द, अक्षर में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन काम वही करते हैं।

चर्मकार, चर्मकार हैं, बौद्ध, बौद्ध हैं, उनकी जाति के नाम में अगर अक्षरों का थोड़ा-बहुत फर्क हुआ, तो उनको उनकी सहूलियतें नहीं मिलती हैं । जैसे महाराष्ट्र में धनगर, यहां धनगड़, अंग्रेजी में शेफर्ड कहा जाता है । महाराष्ट्र में धनगर समाज कितने सालों से बात कर रहा है कि हमें उसमें आरक्षण मिलना चाहिए । उन्हें एससी में आरक्षण मिलना चाहिए या एसटी में आरक्षण मिलना चाहिए, उसे आप देखिए कि कैसे करना है । धोबी समाज है, ऐसे बहुत सारे समाज हैं ।

सभापति महोदया, कॉंस्टिटूशन प्रोविजन कहता है कि गवर्नर साहब के जरिए आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी पूछेंगे और उसका प्रावधान करेंगे । गवर्नर साहब को कौन बताएगा, उन्हें राज्य, राज्य की सरकार बताएगी । मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार आपकी तरफ से एक पत्र सभी राज्यों को भेजिए और सभी राज्यों से पूछिए कि कौन-सी जातियां पिछड़े वर्गों में है, जिनको आज भी हमारे संविधान के तहत सहूलियतें नहीं मिलती हैं । जैसा कि मैंने धनगर और धोबी समाज की बात की है । हमने सारी चीजें किस लिए की थीं? भारत रत्न बाबासाहेब अम्बेडकर की सोच थी कि वे शिक्षा में आगे बढ़ें, उनका समाज में आर्थिक स्थान ऊपर हो जाए । अब जब शिक्षा ही नहीं, तो नौकरी कहां से आएगी, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, तो आर्थिक स्थान कहां से आएगा? शिक्षा मूलभूत होती है । मराठी में उन्होंने कहा था कि "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा", पहले सीख लो, संगठन बनाओ और बाद में संघर्ष करो, वे जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहेंगे, तो वे इससे कब बाहर आएंगे? उन्होंने एक सोच दी है, कि उनको इससे बाहर निकलना चाहिए।

सभापति महोदया, बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं निजीकरण की बात करूंगा । हम ने जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ली है, आप यह सोचिए कि आप समाज को आरक्षण देकर क्या करने वाले हैं? एजुकेशन में थोड़ा आरक्षण मिल सकता है । अगर एजुकेशन में आरक्षण मिलेगा, तो नौकरी कहां मिलेगी, सबका निजीकरण हो गया । Where is reservation for that? अगर गर्वनमेंट कंपनीज हैं, तो वे रिजर्वेशन देंगी । बाहर प्राइवेट में कौन रिजर्वेशन देता है? निजीकरण में भी सारे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अभी कोई परमनैंट जॉब नहीं रहा, इतना दूर आने के बाद भी उनको क्या मिलेगा?

हमारे महाराष्ट्र में मराठा समाज बहुसंख्यक है । वे रास्ते पर आ गए हैं । वे एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं । उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन आपको below five acres of land वाले लोग मराठा समाज में सबसे ज्यादा मिलेंगे । पहले कभी उनके पास 25-50 एकड़ जमीन थी, उनका परिवार बढ़ता गया, उनके बंटवारे हुए, तो उनके पास पांच एकड़ से भी कम जमीन है, लेकिन जाति ऊंची है, तो उनको शिक्षा नहीं मिलती है और नौकरी नहीं मिलती है । वे सोशली

बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वे रास्ते पर आ गए हैं । लाखों मराठा रास्ते पर आ गए हैं, वे ओबीसी की आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते । मेरी आपसे यह प्रार्थना है।

बाला साहेब अलग विचार के थे । वे जाति नहीं मानते थे । इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया था । जाति की दीवारें धूड़ होंगी । मैं और अर्जुन एक थाली में खाते थे, लेकिन आज मुझे याद आता है कि अर्जुन के बेटे को एडमिशन मिला, लेकिन मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिला । मेरे बेटे को उससे ज्यादा अंक मिले, फिर भी एडमिशन नहीं मिला । मेरे मन में आपके प्रति द्वेष पैदा हो रहा है । हम जो ये दीवारें खड़ी कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोचिए – अमीर और गरीब । गरीब किसी भी जात-पात, पंथ-धर्म का हो, वह गरीब है । गरीब के उद्धार करने की बात आती है । यह ठीक है कि हम जाति न्याय कर रहे हैं, हम शेड्युल्ड कास्ट से शेड्युल्ड ट्राइब कर सकते हैं, शेड्युल कास्ट में इनकारपोरेट कर सकते हैं । ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं । यह आपको सोचना है।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार राज्यों को पत्र लिखिए । आप हर राज्य को पत्र लिखिए । आप एक बार बता दीजिए, सिर्फ जाति नहीं बताइए, उनकी जनसंख्या बताइए, उनका पिछड़ापन बताइए । आप ऐसा काम करिए और उस पर एक बिल लेकर आइए । हम 70 सालों तक इसी चीज पर बात करते रहें, राज्य सरकार कोई भी हो, हमें इससे बाहर निकलना है या नहीं? अगर इससे बाहर निकलना है तो एक ही वार करिए । समस्या आगे है कि आरक्षण देने के बाद क्या होगा? उनका उद्धार कैसे होगा? आज भी शिक्षा के लिए नदियों के पीछे, पहाड़ों और जंगलों में स्कूल्स नहीं हैं । न तो आपका डिजिटल नेट है और न ही ऑनलाइन क्लासेज हैं, वे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बड़े होंगे? सिर्फ जाति का आरक्षण देकर, राजनीति नहीं होनी चाहिए ।

यदि सही मायने में उद्धार करना है, तो राज्य को भी जिम्मेवार बनाओ । केन्द्र की जिम्मेवारी है आरक्षण देना, वह दे दिया गया, अब उनको फैसिलिटेट करो, उनको पढ़ाओ । जब पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे होगा? जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कहते हैं, तो पढ़ाओ तभी बढ़ेगा न, पढ़ेगा ही नहीं, तो बढ़ेगा क्या? उसके पिछड़ेपन को लेकर इस विषय को लाएंगे, तो मैं इसका

स्वागत करता हूँ । लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि यह रोज़ाना नहीं चलना चाहिए । जितनी भी पिछड़ी जातियाँ हैं, अगर उनको न्याय देना है, तो आप एक बार अच्छा बिल लेकर आइए ।

देखिए, आपका नाम भी अर्जुन है । लोग कहेंगे कि लोक सभा के इतिहास में भी एक ऐसा अर्जुन निकला, जिसने लक्ष्य पर बाण मारा और सभी जातियों को न्याय दिया । ऐसा कार्य आपके शुभ कार्यकाल में हो जाए, मैं ऐसी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

जय हिन्द।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you, Madam, for allowing me participate in this discussion on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022, and I am thankful for my party for giving me this opportunity. I was listening to the hon. Minister's introductory speech. He was very vociferously saying that these Bills are for the development and upliftment of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people across the country.

At the outset, I would like to say that I very well support this Bill, there is no doubt about that, and our Party is in support of this. At the same time, I would like to reiterate what Mr. Raja has said here. Being a Member of Parliament from Lakshadweep, this is my second term, I also had the same issue. This is a simple issue. I was listening to my colleagues talking about including a group of communities in this. But my point is that in Lakshadweep there are nearly 3,000 children whose either father or mother belongs to a Scheduled Tribe. The Act says that if Scheduled Tribe status should be granted to the offspring, both the parents should belong to Scheduled Tribe. Hence, the fate of those children in Lakshadweep is left in suspense. वे लगभग 3 हजार के आसपास हैं । आज उनको न तो शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जा सकता है, न शेड्यूल्ड कास्ट कहा जा सकता है, न ओबीसी कहा जा सकता है । इन लोगों के लिए जो एजुकेशनल एड देना चाहते हैं, वे भी नहीं दे पा रहे हैं । एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रिज़र्वेशन होता है, वह भी नहीं हो पा रहा है । आपके पहले श्री जुएल ओराम जी थे, तब भी मैंने पत्र लिखा था । जहाँ तक मैं जानता हूँ, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन से उसके लिए प्रपोजल भी भेजा गया था।

जब इस तरह का कोई अमेंडमेंट लेकर आते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से यह गुजारिश करता हूँ कि पूरे भारत को मद्देनज़र रखते हुए, कौन-सी जातियाँ सफर कर रही हैं, किस-किस एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यदि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बिल लाया गया होता, अगर एक कंप्रिहेंसिव पैन इंडिया बिल लाते तो हम इसका पूरी तरह से सपोर्ट करते । अभी भी लेट नहीं हुआ है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि लक्षद्वीप के इश्यूज हैं, इसी प्रकार से, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में भी इश्यूज हैं । हर राज्य में अपने-अपने डिमांड्स हैं । उन डिमांड्स को कंसॉलिडेट करके, जिनको दर्जा देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए, We are celebrating the Azadi Ka Amrut Mahotsav on the occasion of 75 years of our Independence. Today also we are bringing in a piecemeal legislation like this. आज त्रिपुरा का हो रहा है, कल यूपी का होगा, परसों तमिलनाडु का होगा, इसके बाद महाराष्ट्र का होगा । इस तरह से इसे लाने से अच्छा होगा कि एक साथ मिलकर इसे लाया जाना चाहिए ।

Let us keep the politics aside because this is for the future of our children. जिनको दर्जा मिलना चाहिए, उनको देने के लिए आप कृपा कीजिए । यह मेरी आपसे पहली इंट्रोडक्टरी रिक्वेस्ट है । आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट के बारे में बताया । हमारा लक्षद्वीप एक बॉडरिंग स्टेट है । सर, अगर आप पूछेंगे कि पिछले एक साल में वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितना जेनरेट हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भी एम्प्लॉयमेंट जेनरेट नहीं हुआ है । जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, इसमें दो हजार के आसपास, यानी डॉक्टर से लेकर पंचायत के कर्मचारी तक, जिनको कांट्रैक्ट या कैजुअल लेबर कहा जाता है ।

16.00 hrs

दो हजार के ऊपर लोगों को रीट्रेंच किया जा चुका है । मैं इसके आंकड़े भी बताना चाहूंगा । एक महीने में लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था से 2.5 करोड़ रुपये हट गए, यानी लक्षद्वीप के इकोनॉमिक सर्किल से एक महीने में 2.5 करोड़ रुपये हट गए । यदि एक महीने में यदि 2.5 करोड़

रुपये लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह से हटते हैं, जिसकी आबादी 70 हजार है, तो वहां उत्पन्न हुए इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं।

वहां घर-दुकान बनाना, बच्चों की एजुकेशन, सब कामों में इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है कि लोग अब बच्चों की एजुकेशन, स्कॉलरशिप को लेकर डीमोटिवेट होने लगे हैं । पहले टाइमली मिलती थी, लेकिन अब एक साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है । एक अन्य विषय छोटी-मोटी दुकान के लिए परमिशन/लाइसेंस का है । लाइसेंस की परमिशन रिन्यू करने का काम, जो पंचायत को दिया गया था, अब पंचायत से वह पूरा अधिकार वापस लेकर डीएम को दे दिया गया है । पंचायत को जो परमिशन कांस्टिट्यूशनली दी गई थी, पांच और डिपार्टमेंट्स की पावर पंचायत को दी गई थी, उसे पूरी तरह वापस लेकर डीएम को दे दी गई है, जिसके कारण रिन्यूअल नहीं हो रहा है।

सबसे बड़ा इश्यू है कि वहां का लैंड-मास 32 स्कॉयर किलोमीटर्स है । इसके बारे में मैंने आपको और एसटी कमीशन को एक चिट्ठी भी लिखी है । बिना वर्ष 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रोसेस के गरीबों के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 52,000 लाख स्कॉयर मीटर के लैंड पर कब्जा करने का नोटिफिकेशन हो चुका है । आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप अगर एसटी कम्युनिटी के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट एक कमेटी वहां, लक्षद्वीप में जाकर देख ले कि वहां क्या हो रहा है । … (व्यवधान) मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं ।

मैं इस बिल को बिलकुल सपोर्ट करता हूं । मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि लक्षद्वीप में तीन हजार के आसपास जो बच्चे हैं, जो एसटी सर्टिफिकेट से डिप्राइव्ड हैं, उनके प्रपोजल को मद्देनजर रखते हुए उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट्स दिया जाए । Thank you very much.

16.03 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : चेयरपर्सन साहिबा, बहुत-बहुत शुक्रिया।

गवर्नमेंट की मंशा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर में एक अमेंडमेंट किया जाए, तरमीम की जाए और डार्लोंग नाम की एक जाति है, उसको इस फेहरिस्त में शामिल किया जाए । नाइंसाफी दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाएं, उनकी सराहना करनी चाहिए और यह भी ऐसा ही कदम है । क्या यह खुद में एक लक्ष्य है? खुद में एक अंत है? Is it an end in itself? आपने सिंपली किसी को नॉमिनेट किया या किसी को इंक्लूड किया, क्या वह अपने आप में एक एंड है?

हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि जिस तरह से ऑनरेबल मेंबर्स ने एक साथ कहा कि इन लोगों की बेहतरी के लिए जो करना चाहिए, हम वह नहीं कर रहे हैं । यह महज एक रस्म हो जाती है, एक फॉर्मेल्टी हो जाती है कि इनको इंक्लूड किया गया । यह पहली बात है । आप प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाइए । आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखिए । इस साल आप सभी ने जम्मू कश्मीर की सैर की, जज साहिबान आए थे । जम्मू से करीब पांच लाख से ज्यादा ट्राइबल आबादी बकरवाल और गूजर अपना लाइवस्टॉक लेकर छ: महीनों के लिए कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं ।

आपने सोनमर्ग से ऊपर वाला इलाका देखा होगा, जहां आप सैर के लिए गए थे । पहलगाम से ऊपर वाले इलाके में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं और गोंडोला-गुलमर्ग से आगे वाले इलाके में ये लोग अपने माल-मवेशी, लाइवस्टॉक लेकर जाते हैं । न ही इनके लिए और न ही इनके बच्चों के लिए कोई तालीम का इंतजाम है, अगर इंतजाम है, तो वह टेम्परेरी इंतजाम है और जो भी टीचर्स हैं, वे सीजनल हैं । सीजन के बाद उनकी छुट्टी कर दी जाती है और अगला आधा सीजन टीचर्स ढूंढने में खत्म हो जाता है ।

प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है – उज्ज्वला योजना, लेकिन इस कम्युनिटी की हमारी जो बहनें हैं, उनको एलपीजी सिलेंडर्स मयस्सर ही नहीं हैं । न ही इन लोगों के जो चरागाहें हैं, वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनको सिलेंडर्स की डिलीवरी हो जाए,

क्योंकि ज्यादातर इनको ही जंगलों में कुकिंग वगैरह का काम करना होता है । इन लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स के बगैर काम करना होता है और इसके जो सारे मुजर-असरात हैं, वे उनको सहने पड़ते हैं।

महोदय, इसी तरह से इनके बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है । आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि इन बच्चों की गिनती करवाकर एक स्मार्ट फोन दिलवाएं । आप टीचर्स को परमिट करें, उन्हें इंटीग्रेट कीजिए । हमारा जो मकसद है कि ये भी तरक्की की दौड़ में शामिल हों, इसके लिए इन्हें तमाम सहूलियतें देने की जरूरत है, जो हमारे पास हैं । इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है । जोजिला टनल बन रही है इसलिए वहां की जो लोकल ट्राइबल आबादी है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए । हमारा एक माइंड सेट बन गया है कि ट्राइबल को हमेशा जंगलों में ही रखना है । ज्यों ही ये जंगल से बाहर आए, उसी समय इनकी सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाती हैं । क्या उन्हें शहरी इलाकों में रहने का हक नहीं है?

जम्मू में रूप नगर एरिया में इनकी पचास साल से एक बस्ती थी । उसे रातों रात डेमोलिश किया गया । यह नहीं देखा गया कि उनका रोजगार वहां है । इन्हें पालिटिकल टूल मत बनाइए बल्कि इन ट्राइबल्स के फायदे को देखना चाहिए । मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, वे देखें कि रूप नगर में रातों रात जो डेमोलिशन किया गया है, उसका क्या कारण है । वे लोग धरने पर बैठे हैं । उनके रिहेबिलिटेशन का कोई अरेंजमेंट कीजिए । यदि वे ट्राइबल हैं तो क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? होलिस्टिक अप्रोच की बात है, सारे मुल्क से आपके पास जो प्रपोजल्स आए हैं, आप उन्हें कंसिडर कीजिए । सर्वे करने की जरूरत है । जो फैक्ट्स हैं, उन्हें देखते हुए ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है । आपको सारे मुल्क में कंप्रिहेंसिव्ली काम करने की जरूरत है । ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका दिल करेगा, तभी आप उनकी नाइंसाफी दूर करेंगे ।

महोदय, बजट में भी देख सकते हैं कि इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया है । आप यूटी का बजट भी देखिए । हम न ही इनकी तालीम की तरफ ध्यान दे रहे हैं और न ही इनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं । वहां जो टीचर्स हैं, उन्हें पर्मानेंट करने के लिए भी कुछ नहीं कर

रहे हैं । इनके लिए व्यवसाय के साधन मजबूत करने की जरूरत है । आप देखिए कि डिसेबिलिटी पेंशन देश में एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन जम्मू-कश्मीर में एक हजार रुपये और दिल्ली में पांच हजार रुपये हैं । ऐसा क्यों है?

मेरी गुजारिश है कि आप इस विषय में इंटरवीन करें । इसी तरह सोलर एनर्जी, रिन्युएबल एनर्जी के जो गेजेट्स हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले ट्राइबल्स डिजर्व करते हैं कि उनके यहां सोलर लाइट्स हों ताकि जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहां उन्हें सारी सुविधाएं मिलें । यदि आपके पास इनपुट्स हैं, आपने जांच की होगी और सर्वे किए होंगे, तो ऐसा करना चाहिए और डार्लोंग कम्युनिटी है इसे शामिल किया जाना चाहिए, इसके लिए कम्प्रिहेंसिव पालिसी तैयार करनी चाहिए । मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसी जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, उनके साथ भी इंसाफ हो और खासकर जम्मू में डेमोलिशन हुई है, उसे जरूर देखा जाए।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairperson, Sir. I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022. महोदय, हम इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन मेरे दो-तीन सुझाव भी हैं । मेरा कहना है कि आप हर स्टेट से पूछिए कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं, जिन्हें ट्राइबल में शामिल किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । मैं ओडिशा का उदाहरण देना चाहता हूं । There are three tribes: Jhodia community in Kashipur block, Dharua community in Koraput district, and Dora also in Koraput district. People from these communities have already met the Minister of State, when we visited him. They are well-deserved people. मैं झोडिया कम्युनिटी का उदाहरण देना चाहूंगा । ये वर्ष 1997 तक आदिवासी थे । वे साथ वाली जगह कलांडी में आदिवासी हैं लेकिन काशीपुर में आदिवासी नहीं हैं । The same holds good with Dharua and Dora communities. स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वे छूट गए हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय को रिव्यू कीजिएगा।

People from these communities are very deserving. The tribals -- with all the rich culture and everything -- should be literally included.

सर, एक और रिक्वेस्ट सोरा लैंग्वेज है । The primitive Sora language -- having been given by our ancestors -- is now supported with a unique script known as 'Sorang Sompeng'. It was created in the year 1936 by the late Sora Pandit, Mangei Gomango. It is a long pending demand that the language should be included in the 8th Schedule of the Indian Constitution. सोरा लैंग्वेज हम लोगों की अपनी स्क्रिप्ट है । यह 1936 में इनवेंट हुई थी । इसकी हम लोग कई बार डिमांड कर चुके हैं । इसको अगर आप संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ेंगे तो यह बहुत हेल्पफुल होगा ।

सर, हम सभी जानते हैं कि ट्राइबल्स सबसे गरीब हैं । एक और समस्या यह है कि आपने किसी अमीर ट्राइबल को नहीं देखा होगा, किसी ट्राइबल बिजनेसमैन को नहीं देखा होगा, किसी ट्राइबल एंटरप्रेन्योर को नहीं देखा होगा । आपके जो वेरियस एक्ट्स हैं, वे उसका एक कारण हैं । मान लीजिए कि मेरे पास 5 एकड़ के अंदर जमीन है, तो उसे मैं बेच नहीं सकता हूं । बैंक हमें लोन नहीं देती है । हम उसे मॉर्टगेज नहीं कर सकते हैं । हम लोगों का डेवलपमेंट फिर कैसे होगा? ऐसे बहुत से परिवार हैं, जिनके पास 1 से 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उनका कोई उद्धार ही नहीं होता है । जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट या माइनिंग का कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई फैक्ट्री बनाने का प्रोजेक्ट आता है, तो सरकार उसी लैंड को एक्वायर करती है । उदाहरण के लिए कोरापुट में एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, जिसका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है । उसके दाम बहुत कम हैं । जो मार्केट वैल्यू है, वह बहुत ही कम है । 30 हजार रुपये प्रति एकड़ है ।

आप आंध्र प्रदेश में जाएं तो उतनी ही जमीन का दाम एक करोड़ प्रति एकड़ है । यह गड़बड़ी है, इसी वजह से कोई आदिवासी अमीर, व्यापारी या एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है । इसका समाधान होना चाहिए । सर, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को इसके लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा । वह भगवान कृष्ण को बुलाएं ताकि आदिवासी एंटरप्रेन्योर बन पाएं । इनको कम से कम बैंक से लोन मिलना चाहिए । ये अपनी जगह को मॉर्टगेज के लिए दे सकें । इनके पास अपनी जगह को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है । वह जमीन ऐसे ही पड़ी रहती है । अंतत: सरकार किसी फैक्ट्री का प्रोजेक्ट लेकर आती है और उसे एनक्रोच कर लेती है या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उसे एक्वायर कर लेती है । भारतीय संविधान में यह प्रॉविजन है कि ट्राइबल्स सब प्लान्स के अंतर्गत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों को इस हेतु पैसा खर्च करने की आवश्यकता है । मैं एक उदाहरण देता हूं । आईआईटी के लिए 250 करोड़ रुपये का सैंक्शन हुआ है, लेकिन कितने आईआईटी वाले पीएचडी या पीजी कर रहे हैं । 90 परसेंट से अधिक सीट्स खाली हैं । यह पैसा आप ट्राइबल के नाम पर लेते हैं, लेकिन वह पैसा व्यय नहीं होता है । कितने ट्राइबल्स की वैकेंसी खाली हैं, लेकिन कोई ट्राइबल पढ़ ही नहीं पाता है, ज्वाइन ही नहीं कर पाता है ।

सर, इस तरह की विभिन्न समस्याएं हैं। आदिवासियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट है । हम लोग जंगलों की जमीन पर हजारों सालों से रहते हुए आ रहे हैं । अब सब खत्म हो गया, तो आप माइनिंग के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में हम आदिवासियों के पास आते हैं । हमारी जमीन लेने की आप कोशिश करते हैं । जो डिस्प्लेसमेंट या रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, वह ठीक नहीं है । पोलावरम प्रोजेक्ट अगर आएगा तो हजारों आदिवासी मलखानगिरी में डूब जाएंगे । नाल्को को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं । आदिवासियों ने अपनी जमीनें दी हैं, जो वहां रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, वे कहां जाएंगे? समस्या यह है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत नाल्को ने कई परिवारों की हजारों एकड़ जमीनें ली हैं, लेकिन एक परिवार के केवल एक सदस्य को नौकरी दी है । यदि किसी परिवार में 5 लोग हैं और अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति मर गया, तो उनके पास कुछ नहीं बचता है ।

सर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इसे देखें । एक नौकरी देना काफी नहीं है । पीढ़ी के बाद पीढ़ी का कैसे आप उद्धार कर सकते हैं, उसे आप देखिए । मेरा यह सुझाव है कि इसे एक शेयरिंग मॉडल में कर दें, जैसे कि मैं अपनी जमीन किसी फैक्ट्री के लिए दे रहा हूं, तो मुझे शेयर होल्डर बना दीजिए ताकि मैं जिंदगी भर कमाता रहूंगा । बहुत सारी समस्याएं हैं । भारत में 10 करोड़ आदिवासी हैं । 47 एमपीज हैं । मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी तथा अर्जुन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी एक दिन चर्चा कीजिए कि आदिवासियों की क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? हम सभी सांसद बताएंगे कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम्स हैं । केवल रिजर्वेशन देने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा । इस पर चर्चा होनी चाहिए और संसद से बड़ी कोई जगह नहीं है । मैं अनुरोध करता हूं कि आप हम आदिवासियों की डिमांड कैसे फुलफिल कर सकते हैं । एक दिन की चर्चा कराइए । हम सब मिलकर डिस्कशन करेंगे । क्या केवल रिजर्वेशन ही हमारी समस्या का हल है? मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, माननीय अर्जुन मुंडा जी डार्लोंग ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूजन के लिए जो अमेंडमेंट बिल लाए हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, मेन चर्चा में जाने से पहले मैं त्रिपुरा का थोड़ा सा इतिहास दोहराना चाहता हूँ । यहाँ बहुत सारे एमपीज ने पूरे इंडिया के ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की है । मैं बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में भी ट्राइबल लोगों का ऐसा ही हाल है । मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, एक समय ऐसा था कि जो अभी ट्राइबल या जनजाति हम लोग बोलते हैं, त्रिपुरा में पहले 183 राजाओं ने राज किया । जब भारत स्वाधीन हुआ, उस समय त्रिपुरा एक स्वाधीन राज्य के तौर पर इंडिया से अलग था । वर्ष 1949 में त्रिपुरा ने इंडिया के साथ मर्ज किया और उसी दिन से त्रिपुरा इंडिया के एक स्टेट के रूप में इंडिया में है । अगर वर्ष 1949 के बाद वर्ष 1971 तक देखा जाए, बांग्लादेश फ्रीडम के लिए जब मूवमेंट चल रहा था, वर्ष 1950-51 से लेकर वर्ष 1971 तक बांग्लादेश से बहुत माइग्रेंट त्रिपुरा में हुआ और जहाँ एक समय त्रिपुरा में जनजातियों की संख्या 80 से 85 परसेंट थी, वह कम होते-होते अभी सिर्फ 31 परसेंट हो गई है । अभी त्रिपुरा में 19 कम्युनिटीज हैं और 19 कम्युनिटीज में से कुकी कम्युनिटी भी एक है । अभी जो बिल लाया गया है, जो डार्लोंग ट्राइब है, जो डार्लोंग समुदाय है, यह खुद को कुकी बोलने से राजी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें कुकी का मतलब अनसिविलाइज्ड होता है । इसीलिए बहुत सालों से इन लोगों की माँग थी कि इनको एक अलग स्टेट्स दिया जाए और शेड्यूल ट्राइब में भी इन लोगों को इनक्लूड किया जाए । त्रिपुरा सरकार ने, खासकर वर्ष 2018 से, जब से बीजेपी सरकार त्रिपुरा में आई है, हम लोगों ने जनजातियों के विकास के लिए काम करना शुरू किया है । एक समय यह भी देखा गया, यहाँ कांग्रेस के एक-दो साथियों ने, खासकर के प्रद्युत बोरदोलोई जी और जम्मू-कश्मीर से मसूदी जी ने भी चर्चा में भाग लिया और इन लोगों ने बहुत सारे उदाहरण दिए । मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर

कांग्रेस और बाकी जितनी भी सरकारें चाहे केन्द्र में रही हों या त्रिपुरा में रही हों, अगर ये लोग शुरू से इस विषय को गंभीरता से देखते तो और बहुत साल पहले यह काम हो सकता था । त्रिपुरा में सिर्फ वर्ष 2018 से बीजेपी की सरकार है, मात्र चार साल हुए हैं, बाकी 25 साल त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का शासन था और बाकी समय कांग्रेस का राज था, लेकिन कभी भी, सीपीएम हो या कांग्रेस हो, इन्होंने कभी भी जनजातियों के विकास के लिए काम नहीं किया । इसीलिए एक समय त्रिपुरा में यह माँग भी उठी कि वर्ष 1949 में हम लोग इंडिया के साथ मर्ज किया था, लेकिन यह भूल थी और इसीलिए यह माँग भी उठी थी कि हम लोग फिर अलग होंगे ।

महोदय, अभी भी त्रिपुरा में कुछ लोगों की तरफ से, कोई त्रिपरालैंड के लिए, कोई ग्रेटर त्रिपरालैंड के लिए माँग आ रही है ।

यह क्यों हो रहा है? कांग्रेस और बाकी जितने भी दलों ने त्रिपुरा में शासन किया है, उन लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ । मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा खासकर बिप्लब देब जी के नेतृत्व में वहां अभी जो राज्य सरकार काम कर रही है । राज्य सरकार ने इससे पहले एक फील्ड स्डटी की और इस डार्लोंग कम्युनिटी के बारे में रिसर्च किया । इसमें जो रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि डार्लोंग कम्युनिटी में शिक्षितों की संख्या बहुत ज्यादा है।… (व्यवधान) तापिर गाव जी ने भी बोला कि थंगा डारलोंग जी का कल्चर के क्षेत्र में जो योगदान है, उसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया ।

यह अच्छी बात है । मैं यह बोलना चाहता हूं कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में टीटीएएडीसी के बारे में तापिर गाव जी ने भी बोला है । वहां पंचायत में जो थ्री टियर सिस्टम है, उसके तहत फंड दिया जाता है, वह टीटीएएडीसी में नहीं दिया जा रहा है । जो 125वां कॉन्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट है, वह भी पेंडिंग है । उसे देखना चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Scheduled Tribes Orders (Constitution Amendment) Bill, 2022. I rise to support this Bill which seeks to recognise the Darlong community as a Scheduled Tribe in Tripura.

Sir, on behalf of the Sikkim *Krantikari Morcha* and our leader Shri P. S. Tamang, I would like to congratulate the Darlong community for being included in the list of Scheduled Tribes. At the same time, I belong to a small State and I am the lone member representing my State in this House. Sikkim was merged into the Indian Union in 1975. Before that every community in Sikkim was equal though they had different cultures and traditions of their own, but all of them belonged to the tribal communities. After 1975, of the three major communities, Sikkimese Bhutia, Lepcha and Sikkimese Nepali, only Sikkimese Bhutia and Lepcha were included in the Scheduled Tribes list in 1978. Later on, in 2002, two more Tribes, Limboo and Tamang were included in the Scheduled Tribes list. I am sure, the hon. Minister is well aware that people belonging to these two communities are yet to have seat reservation in the Sikkim Legislative Assembly. Despite a number of requests from the State Government, people belonging to these two communities are yet to have reservation in the State Assembly. At the same time, we have other communities within the Sikkimese Nepali community which do have traits of tribals, however they have not been recognised as tribals in the Constitution of India. These twelve communities are Gurung, Mangar, Bhujel, Thami, Bahun,

Chhetri, Sanyasi (Jogi), Newar, Kirat Khambu Rai, Kirat Dewan, Sunwar, Majhi. The people belonging to these communities share the same socio-economic status and cultural traditions as that of the other Sikkimese communities. They also deserve to be given the status of Scheduled Tribes. But they are yet to get their share and be recognised as Scheduled Tribes. So, I take this opportunity to request the hon. Minister and the Government of India to take into account these two very important issues of Sikkim, namely, the issue of the Limboo and Tamang communities which are yet to get their share of seat reservation in Sikkim Legislative Assembly; and the remaining 12 communities, as I mentioned above, which share the same tradition and culture as other tribal groups in Sikkim but have not been recognised as Scheduled Tribes.

So, I take this opportunity to request the hon. Minister and the Government and also thank the Government for all the policies that they have taken up to uplift the tribal communities. With these words, I support the Bill.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद । माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी डार्लोंग कम्युनिटी को शेड्युल्ड ट्राइब लिस्ट में इनक्लूड करने के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ । मेरी तरफ से उनको हार्दिक बधाई भी देना चाहता हूँ । सर, जैसा डार्लोंग कम्युनिटी को अभी इनक्लूड किया है, कूकी से हट कर, हमारे असम में भी ऐसा इश्यू है । स्पेशली थेंगाल कचारी, सरनीया कचारी और मधेसी कचारी भी पहले से, जब से यह ऑर्डर निकला है, उससे पहले वे ट्राइबल स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं । लेकिन बीच-बीच में ये जो मंगोलियन ग्रुप का, लार्जर कचारी ग्रुप के लोग हैं, बीच-बीच में उनमें विवाद होता है । क्योंकि सरनीया कचारी लोग पहले से ही ट्राइबल स्टेटस ले रहे थे, सर्टिफिकेट ले रहे थे, लेकिन बीच-बीच में निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया था ।

सर, मैंने जब वर्ष 2014 में इलेक्शन जीता था, तब मेरे ऊपर भी इलेक्शन पिटीशन लग गयी, उसके बाद रिट पिटीशन लग गयी । मैं हाई कोर्ट में केस जीत गया, सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत गया, फिर वर्ष 2019 में हमारे ऊपर केस आ गया । फिर अभी रिट पिटीशन केस चल रहा है । एसटी कमीशन में चल रहा है । ऐसे बहुत साल हो गए, ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है । आज इस पार्लियामेंट के माध्यम से मुंडा जी और असम गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो थेंगाल कचारी है, सरनीया कचारी है या मधेशी कचारी है, उनको भी लालुंग जैसा बनाना चाहिए ।

सर, हमारे असम में 6 कम्युनिटी और हैं, कोच राजबंसी आदिवासी, जो टी ट्राइब्स है, मरन, मटक, उनको एसटी करने वाले हैं । पहले से उधर के जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्राइबल्स हैं, उन लोगों का विरोध था । अभी हम लोगों ने मान लिया है । अगर एग्जिस्टिंग ट्राइबल को कुछ नुकसान नहीं होगा तो उसको सेंट्रल लिस्ट में लाना चाहिए । सर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि असम सरकार के साथ मिल कर यह करना चाहिए।

सर, दूसरे एरिया से भी, कुछ-कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जिनको गलती से ट्राइबल में डाला गया है । मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए । अभी ट्राइबल लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनको रिज़र्वेशन का कोटा भी नहीं मिल रहा है । हमारे यहां तो सब मुद्दा आया है ।

सर, इसलिए मेरी विनती है कि जो भी ऐसी गलती है, उसको ठीक करना है । अभी बहुत लेट हो गया है । अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि असम के सरनीया कचारी, मधेसी कचारी और थेंगाल कचारी को जल्द से जल्द इसमें इनक्लूड होना चाहिए ।

कुमारी अगाथा के. संगमा (तुरा): चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पर पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया है।

Sir, at the outset, on behalf of my political party, the National People's Party, I would like give our support to this amendment that is being brought in order to include the Darlong community into the list of Scheduled Tribes by the Constitution (Scheduled Tribe) Order, (Amendment) Bill, 1950.

While we support this amendment, I would like to say that there are very important issues regarding Scheduled Tribes in this country that need to be given due attention.

According to the NITI Aayog's Allocation for the Welfare of Scheduled Tribes (AWST) guidelines, it is mandatory to allocate an amount which is proportionate to the tribal population. Initially the budgetary allocation of Rs. 7355.76 crore and Rs. 7084.07 crore were made for the Ministry of Tribal Affairs for the year 2020-21 and 2021-22 respectively to administer the Central Sector and Centrally Sponsored Schemes, besides two official programmes, Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme and the Grants-in-Aid under Article 275(1) of the Constitution.

However, the allocation was reduced to Rs.5,470.50 crore in 2020-21 and Rs.6,126.46 crore in 2021-22 at the RE stage. The Ministry of Tribal Affairs could not fully spend the RE allocation in 2020-21 and have been able to spend only Rs.4070.04 crore in 2021-22 up to 15th February, 2022, leaving apart the cut in allocation made by the Ministry of Finance for all the Ministries due to COVID-19.

Sir, in the National Commission for Scheduled Tribes Report, the Standing Committee on Social Justice and Empowerment has found that the Commission has been dysfunctional for the last four years and has not delivered a single report to the Parliament. The Standing Committee found that these reports, though finalised by the Commission, are withheld with the Union Ministry of Tribal Affairs, as was pointed out by Shri Pradyut Bordoloi. The Ministry needs to expedite the working and presentation of the reports and address the issue of the Commission's manpower and budget shortages so that it can actively work towards the welfare of ST communities.

Regarding the Tribal Health Report, as I said, we need to look at the holistic development of the Scheduled Tribe communities. The Expert Committee on Tribal Health was constituted jointly by the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Tribal Affairs in 2013. The report was submitted in 2018, 'Tribal Health: Tribal Health in India – Bridging the gap and the roadmap for the future'. It was India's first comprehensive report on tribal health. It is still awaiting implementation. The tribal population has endured historic and systematic discrimination which needs to be corrected.... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: मैडम, माननीय मंत्री जी का जवाब 4.45 बजे है । आपसे और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी बात संक्षेप में रखें।

KUMARI AGATHA K. SANGMA : Sir, according to the Tribal Health Report of 2018, about 55 per cent of the country's tribal population now resides outside their traditional habitats. The report cites that the Census of 2011 found that

there was 32 per cent decline in the number of villages with 100 per cent tribal population between 2001 and 2011.

The impact of displacement and denial of access to forests have impacted the lives and health, especially of the particularly vulnerable tribal groups. These communities have lived in forests and are traditionally dependent on forest resources for subsistence, as identified by the Government of India itself. In the absence of adequate access to the forests, Adivasi and other communities are deprived of their food security and livelihood's security, which inevitably results in poor health outcome. Studies on women's experiences of such displacements in India have shown that their ordeals include vulnerability to violence and early marriage. According to the Tribal Health Report, about 41 per cent of the tribal population is illiterate.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

KUMARI AGATHA K. SANGMA: Sir, in conclusion, I would just like to say that my Party, the National People's Party, welcomes the amendment to include Darlong Community in the Scheduled Tribe List. We urge upon the Government to look at the holistic well-being of the tribal communities. In order to ensure that, I want to request the hon. Minister to look into the various aspects that have already been pointed out. That would give us a holistic indicator of the well-being of the tribal communities.

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी बात संक्षेप में रखें, माननीय मंत्री जी का जवाब 4.45 बजे होना है ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I will make just three points relating to this Bill. This Bill was introduced in the month of February of this year. Article 46 of the Constitutions enjoins the State to take special care in promoting the educational and economic interests of the weaker sections. The State of Tripura has requested to include Darlong Community as a sub-tribe of Kuki in Entry 9 in the Scheduled Tribe List in respect of the State Tripura.

That is why, this Bill is confined to that issue only. But taking advantage of this Bill being discussed here, every State has their own issue to bring forth before the Government through this House and I have a perspective of Odisha.

The Scheduled Tribes identified from Odisha are 62 in number including the tribes of Gadaba, Ghara, Kharia, Khond, Matya, Oraons, Rajuar, Santhals, etc. As far as the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) are concerned, Odisha has the highest number of PVTGs. In 2020, the Government of Odisha further identified 888 villages/hamlets inhabited by PVTGs. Since 1978 onwards, 169 proposals have been sent to the Ministry of Tribal Affairs of Government of India at different points of time for inclusion in the ST List of Odisha. At present, 149 proposals, which includes 140 new proposals and 9 resubmitted proposals, are pending with the Ministry of Tribal Affairs for inclusion in the ST List of Odisha. The hon. Chief Minister of Odisha had written a letter to the Ministry of Tribal Affairs dated 19th February, 2021 for

consideration of these tribes to be included in the ST List. Some of these communities proposed for inclusion are actually subsets or phonetic variations of the name of the existing ST communities, but are still deprived of the benefits availed by the Scheduled Tribes with similar tribal characteristics residing in different parts of the State who have since been notified as Scheduled Tribes. Inclusion of the left-out communities will give them their much-needed recognition as Scheduled Tribe and ensure them social justice in accordance with the provisions of the Constitution of India. The Ruling Party in the State, Biju Janata Dal, has also been pressing for its longstanding demand for a caste-based census to ascertain the actual population of the various classes and, as a result, take up several developmental activities for their all-round development. Odisha Cabinet passed a resolution in 2020 to that effect.

Sir, I would like to place my demands here on behalf of my State. The Task Force constituted by the Ministry of Tribal Affairs examined the proposals for inclusion of communities from various States including 107 proposals from Odisha and, in its report of 2014, had recommended the following 10 communities of Odisha for inclusion in the ST List of the State on priority basis. They are inclusion of Bhanja Puran, Tamadia, Tamudia, Tamaria, Tamuria, Puran, Bhagata, Bhukta, Bhogta or Bhokta. These are only spelling differences. Then, they also recommended that Durua, Kalanga, Nakasia, Paba, Khandayat Bhuyan, Tamudia or Tamadia, Chapua Kamar and Kandhia have to be included in this list. Some other changes sought are, Kandha Kumbhar as Subset of Kandha at S. No. 31 of the ST List of Odisha. Then,

there is the community called Jodia or Jhodia. When we pronounce it, both are same. It can be written as Jadia or Jhadia also. These are all synonyms. Similarly, Chuktia Bhunjia and Saara have also to be included in this list. I would like to mention here that earlier also I have repeatedly drawn the attention of the Minister that the Revenue Inspector, who goes out for enumeration, writes the name as he hears it and that is the main problem that these communities get excluded from the benefits that a Scheduled Tribe is expected to get. Similarly, Mankidia should be included as a synonym of Mankridiaat in S.No. 47 of the ST List of Odisha. All these lists have been provided to the Government of India by the Government of Odisha. All these are still pending with the Ministry of Tribal Affairs. Of course, the Minister will say that it has to do with the census and with the population register.

Paudi Bhuyan and Chukta Bhunjia Tribes are also to be included. Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister regarding a judgment of the Supreme Court. Perhaps day before, the Supreme Court has come out with a judgment. It said: “The Supreme Court wants to fix fool-proof parameters to determine if a person belongs to a Schedule Tribe category and is entitled to the benefits due to the community.”

In its judgment, it has further said: “The Judiciary is no longer sure about an affinity test.” Earlier what was being done was that ‘yes, he is similar to the other Tribe.’ So, that was an affinity test. But the Supreme Court has, day before yesterday, only last week, has said that ‘this affinity test will not do because they migrate.

They are in urban areas. In that respect, the anthropological and ethnological traits to link a person to a Tribe, is not complete. So, a separate method has to be done."

So, now, the Supreme Court has taken the onus on itself – not allowing the Parliament to determine – that a larger Bench will decide.

I hope, the Government will respond to it through this deliberation today. If they want to do it later, that is for them to decide. But this is what is happening in the Supreme Court.

With these words, I conclude. Thank you very much.

माननीय सभापति : सभी से निवेदन है कि अपनी बात दो या तीन मिनटों में समाप्त कीजिए । हमारे पास और भी चार-पांच मेंबर्स हैं, इसलिए दो-तीन मिनटों में आप अपनी बात को समाप्त कीजिए ।

श्री गिरीश चन्द्र जी।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान संशोधन अनुसूचित जनजाति आदेश बिल, 2022 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

महोदय, समय-समय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन किया जाता रहा है । पहले यह परिवर्तन वास्तविक रूप से उन जातियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता रहा है, जो वास्तविक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई हैं । परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था इसलिए की थी कि देश में कोई भी व्यक्तियों का समूह, वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित जातियों के साथ सद्भाव और सम्भाव की स्थिति कायम की जा सके । इसमें सबसे अधिक शोषित व अछूत जातियों को अनुसूचित जाति और आदिवासी जातियों को जनजाति की सूची में रखा गया है । आरक्षण प्राप्त करने के कारण इन समुदायों का थोड़ा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास हुआ है।

महोदय, यह भी परिपाटी चली आ रही है कि देश की तमाम जातियां अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने को आतुर रहती है । अब यह आतुरता ही कुछ राजनैतिक दलों का वोट लेने का हथियार बन चुकी है । कहने का आशय यह है कि यह देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी वर्ग विशेष को शामिल करना उस वर्ग विशेष के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने दल के वोट बैंक के लिए किया जा रहा है । बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का यह मानना है कि यदि कोई जाति किसी भी श्रेणी से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति में, पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल की जाती है तो उस जाति के मूल वर्ग में पा रहे आरक्षण के कोटे को उसकी जनगणना के अनुसार मूल वर्ग से काटकर उस श्रेणी में जोड़ दिया जाना चाहिए, जिसमें उसे शामिल किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । हम सभी को ज्ञात है कि देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का शोषण हुआ है । इसी शोषण से मुक्ति के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के ऊपर शोषण न हो, इसके लिए विधि का निर्माण किया है । बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं । इसका जीता-जागता, उदाहरण के तौर पर, अभी हाल में राजस्थान की तमाम घटनाएं आपने देखी होंगी । परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान का निर्माण तो हो गया है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी कायम होगी, जब इसको भली-भांति अमल में लाया जाएगा।

महोदय, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार शिक्षा के अच्छे प्रबंध करे, जिससे यह समाज पूर्ण रूप से शिक्षित बन सके । बाबा साहब ने संविधान में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था दी है, उसी के आधार पर वे अपनी पूर्ण भागीदारी ले सकें । बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : कृपया, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें ।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति महोदय, आप पहले ही संक्षिप्त में बोलने के लिए बोल रहे हैं । हमारी पार्टी की तरफ से दो ही लोग बोले हैं ।

त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची कतिपय समुदाय को शामिल करने के लिए संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 का संशोधन पेश किया गया है । मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से कुछ जातियां पिछड़ी हुई हैं।

हमारी सरकार उन सभी वर्गों को मुख्यधारा में लाने हेतु संविधान में संशोधन करती आई है । विगत समय में संशोधन अरूणाचल प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ और मध्य प्रदेश में भी संशोधन हुए । आज त्रिपुरा में कुकी जनजाति के भाइयों को नौवीं सूची में जोड़ा जा रहा है । ये भूली-बिसरी जातियां, जिस तरह से जल, जंगल और जमीन में अपना गुजर-बसर करती रही हैं । उसी संदर्भ में माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी त्रिपुरा के लिए बहुत अच्छा विधेयक लेकर आए हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने का प्रयास हमारी सरकार सदैव से करती आई है ।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आपको ध्यान होगा कि जब मंत्रालय अलग हुए, आयोग अलग हुए ताकि जनजातियों के बारे सही-सही जानकारियां प्राप्त होने के लिए सुगम रास्ता बन सके । इसके बाद मैं माननीय सभापति जी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सदन में कुछ विद्वान साथियों ने इस बिल में भी राजनीति को जोड़ा है जबकि राजनीति को जोड़ना इनका ही कर्म था ।

एससी/एसटी दोनों को केवल कांग्रेस की सरकार वोट बैंक मानती थी, वोट बैंक मानने के कारण ही न तो इनका विकास हआ न ही इन्हें मुख्यधारा में लाने के प्रयास हुए । आज भी जिन राज्यों के अंदर ये सरकारें हैं, उन राज्यों में जनजातियों पर होने वाले भारत सरकार का बजट खर्च नहीं किया जाता । आप राजस्थान को देख लें, छत्तीसगढ़ को देख लें या अन्य राज्यों को देखें,

महाराष्ट्र को भी देखेंगे तो आपको विसंगति मिलेगी । जो हमारे बारे में एक घृणित सोच बनी हुई है कि केवल वोट बैंक के लिए हमें पूछा जाता है, यह बिल्कुल गलत है ।

यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर सवर्ण जातियों को भी दस प्रतिशत आरक्षण दिया । लेकिन इस आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है । जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में इस तरह की सरकारें हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को ही वोट बैंक मानती हैं, उस बजट की समीक्षा होनी चाहिए । त्रिपुरा में आज कुकी भाइयों को सम्मान मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन का साधन मिलेगा, इनको एक दर्जा मिलेगा ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल के बारे में सभी को मन से सहमत होना चाहिए । एक समय था, आज भी मैं कहूंगी,

कुत्तों को मिलता दूध-वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं।
माँ की हड्डी से चिपट-निठुर जाड़े की रात बिताते हैं ।

यह किसी कवि ने गलत नहीं कहा, आज भी दूरस्थ, दुर्गम और जंगल के क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो हमारे जनजाति भाइयों का यही हाल है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने फिर एक बार ललकार दी है:

अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ एक दीप जलाएं, आओ एक दीप जलाएं ।

मैं इसके साथ ही माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगी कि जो लोग अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके आरक्षण के सारे लाभ बंद कर देने चाहिए, क्योंकि वे दोहरा लाभ लेते हैं । दोहरा लाभ लेने के कारण हमारे जनजातियों की असली जातियों को लाभ नहीं मिलता । धन्यवाद ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Constitution (Schedule Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022.

Sir, of course, this Bill is related to inclusion of certain communities in the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Tripura. But at the same time, throughout the country, the Scheduled Tribes community is facing so many problems.

But in the House, we are not getting the chance to expose the problems of the Scheduled Tribes. Whenever these types of Bills come to the House, at that time only, the Scheduled Caste MPs or the Scheduled Tribe MPs get an opportunity to expose the problems of these deprived communities. Now, you are in a hurry to pass this Bill. Of course, we are ready to allow you to pass this Bill. But at the same time, you have to give us sufficient time to discuss this subject. As I said earlier, of course, this matter is related to Tripura. But throughout the country, the Scheduled Tribe people face problem. Sir, you are also very much aware of it in Gujarat. So, I would like to request the hon. Minister and also the Parliamentary Affairs Minister to give us sufficient time. In this House, we are not discussing the Demands for Grants of the Tribal Affairs Ministry. We are not getting any other opportunity to raise the tribal issues. We are only getting these types of Bills.

So, I would like to request the hon. Chair and the hon. Speaker to please give us sufficient time to participate in the discussion. From time to time, various Governments, either this Government or that Government or every

Government, have been inserting various communities into the Scheduled Tribes List. I have no objection. The Government can include or insert any eligible community in the Scheduled Tribes List. I am not against it. But at the same time, what is the reservation for the Scheduled Tribes? They are getting two per cent or three per cent or four per cent. The existing tribal communities are not getting benefit out of the present Reservation Policy. It is due to the compulsion of various Governments, various political parties and due to vote bank politics, we are including, from time to time, so many communities in the Scheduled Tribes List. But you are not enhancing the reservation.

The existing reservation is not being enhanced, but in every Session, you are inserting more and more communities. It is a very, very serious matter.

Also, the allocation for the Tribal Sub-Plan is not increasing. The allocation for the various Ministries under this plan is also not increasing. So, without increasing the allocation and without increasing the reservation, how will these people survive? Sir, you are also very much aware of this. So, I would like to appeal to the Government that you may insert any community in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List but at the same time, you have to enhance the reservation; and you have to enhance the allocation for the tribal fund. … (*Interruptions*)

I am concluding, Sir. Initially, I told you about the importance of giving sufficient time. In my State, Kerala, there is one ‘Vedar’ community. Their living conditions, their backwardness, and everything comes under the category of Scheduled Tribes. Unfortunately, this community is still in the Scheduled

Castes List. The Government of Kerala has already recommended about this to the Department of Tribal Affairs, Government of India. Also, the Registrar of Government of India has also recommended about this. But the proposal has been lying in the Ministry of Tribal Affairs since long years back because there is no compulsion; there is no political pressure. That is why, the Vedar community from Kerala has not been inserted into the Scheduled Tribes List.

I would like to appeal to the hon. Minister of Tribal Affairs, Munda Ji to look into this. You also gave assurances so many times in the House but you did not do it. I would like to appeal to you to include Vedar community from Kerala into the ST list.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am going to conclude.

माननीय सभापति : अभी अधीर रंजन जी भी बाद में बोलने वाले हैं।

… (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: He is our leader. His time is not related to mine. He is the Leader of the single largest Opposition Party. *....(Interruptions)* He can speak any time. *....(Interruptions)* Why are you including his time with mine? *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Both of you are from the same party.

....(Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: We are entirely different. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: The time is allotted party-wise.

....(Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am taking only my time and not anybody's else. *....(Interruptions)*

माननीय सभापति: आप अपनी बात रखिए । उसके बाद, मैं अगला नाम पुकारता हूं।

… (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, in Kerela, there is an important area called Attappadi which falls in Palakkad district. It is a tribal area. The tribes living in Attappadi are facing a lot of problems. The hon. Minister is also aware of it. The infant mortality rate is increasing day by day among these tribes.

I would like the hon. Minister for Tribal Affairs to investigate into the reasons why it is happening in Attappadi. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much, K. Suresh ji. Please conclude.

....(Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Hon. Minister, Sir, you are very much aware of the problems being faced by the tribal people in Attappadi area in Palakkad district of Kerala. *....(Interruptions)* Therefore, I would request the hon. Minister to also consider about the tribes living in Attappadi area. Thank you, Sir.

श्री कुनार हेम्ब्रम (झाडग्राम): धन्यवाद सभापति महोदय।

*Thank you Hon'ble Chairman Sir, today I take the floor to support the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022 which Hon'ble Tribal Affairs Minister has brought. There are more than 750 tribal groups in our country. The first list was out in the year 1950, as per proviso 342, we know that the tribals are closely associated with nature. Wherever there is forestland or hilly area, tribal people are found. They reside in difficult terrain. But proper survey has not taken place in such difficult terrain. The officials, the staffs who are entrusted with the duty of conducting survey do not want to go to the far flung areas very often. Therefore in our country many tribals do not figure or find mention in the list. I thank Hon'ble Arjun Munda ji whole-heartedly for bringing the Bill to include Tripura's Darlong tribe in the Scheduled Tribes category. I also thank Hon'ble Prime Minister Narendra Modi for reassuring that this government will continue to work for the backward communities, dalits and tribals. This Bill is a step towards achieving the objective. We know that there are many tribals who are treated as tribe in one state but do not get the same status in another state. Like in Jharkhand, Odisha, West Bengal, Tripura, Santhals are tribals, but Santhals of Assam are not treated as tribals. During British period they were taken from Bihar, West Bengal, Odisha to work as labourers in the tea gardens of Assam. They still inhabit the region but do not

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

get any privileges due to them, as they do not figure in the ST list. Similarly many other tribes have not been included in the list. Thus we need to find out how many tribal people are actually there in the country, incorporate them in the list and extend the benefits to them. In West Bengal, the problem is that numerous fake ST certificates are being distributed. The general category people are enjoying the benefits of the tribes. The Ministry therefore should identify the fake certificate holders and remove them from the ST list at the earliest, so that the real beneficiaries can get their due. Thank you.

17.00 hrs

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, Sir, this Bill seeks to amend the List of Scheduled Tribes in respect of Tripura. They have fulfilled all the formalities and sent it to the Parliament and we are making an enactment on that. Of course, it is okay. That is welcome also.

While participating in this discussion, I would like to mention certain general things in brief. Firstly, programmes are there, legislations are there and various kinds of Commission Reports are also there. Despite all these things, things are going from bad to worse as far as tribals are concerned. My learned friend Mr. Suresh has mentioned certain things. I would like to support them. I wish to mention here the Action Taken Report on the 26th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Monitoring of the Scheduled Tribes Sub Plan (STSP) now called as Scheduled Tribe Component (STC) by the Ministry of Tribal Affairs and its implementation for Development and Welfare of Scheduled Tribes.' I wish to quote certain things, because there is not much time, from the authentic report of the Parliamentary Standing Committee with regard to implementation of the schemes for the welfare of the tribals. I will just quote:

> "The Committee is sad to note that most of the Central Ministries/Departments and States/UTs have not followed the guidelines in letter and spirit. The Committee note that most of the Central Ministries have not earmarked allocation of funds according to the guidelines. The earmarked funds are much less than the

stipulated allocation of fund e.g. Ministry of Rural Development has earmarked only 5.45 per cent for TSP whereas the TSP earmarking for this Ministry is 17.5 per cent. The Committee feel that this utter disregard and non-compliance by most of the Central Ministries and States/Union Territories in implementing the extant guidelines is one reason for which the TSP strategy is not able to achieve its objectives as originally envisaged."

Sir, it is a sad thing that this section of society is neglected like anything and they are not getting the benefits of the schemes we have passed.

My second point is about the false SC/ST certificates. That is also a bad thing going on. However, they also say that known sections of the tribals also obtain, in a wrong way, the caste certificates. That is a misuse which needs to be curbed. That is what I want to suggest.

17.04 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Lastly, I would submit that TSP fund is lapsable. In this regard, I would suggest that there must be a non-lapsable pool for TSP. If that is not there, its misuse and re-appropriation will continue to take place in future also. I would humbly request the hon. Minister and the Government to ensure justice to this section of the society.

Thank you.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, बात यह है कि मैंने पहले भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे बंगाल में जो कुर्मी समाज के लोग रहते हैं, उनकी मांग है कि उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए । मेरा इस बिल पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 342 के तहत त्रिपुरा की डार्लोंग कम्युनिटी को कुकी सबकास्ट में सम्मिलित किया जा रहा है । हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

हमने आज सुबह भी कहा था कि आप व्यापक तरीके से इस बिल को लेकर आइए । संक्षिप्त तरीके से नहीं, बल्कि व्यापक तरीके से लाइए । मैं इस बिल के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि हमारे कुर्मी समुदाय के लोग सदियों से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल किया जाए । मैंने इसके पक्ष में पहले भी कुछ तर्क रखा था । आपने कहा था कि इसमें ये कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने कुछ और तथ्य पेश करना चाहता हूँ।

सर, कुर्मी एक डिस्टिंक्टिव कास्ट है । Along with cultural and demographic data, it has been proved as a distinctive caste in the Census format/Code in the forthcoming Census 2021. In order to execute the demand, it is noted that West Bengal has passed the West Bengal Official Language (Amendment) Bill, 2018 accepting Kurmali as one of the official State languages of Bengal. In Jharkhand, Kurmali language has been given the status of second State language. हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी को इसकी जानकारी है ।

Kurmi is one of the most primitive tribes of old Chhotanagpur region of India as well as the State of West Bengal, particularly in the Jangal Mahal region. In the British Census of 1872, Kurmis were analysed as “Kudmis of Woods” or “Jhari Kurmi”, produced in support of the report on the Census of Bengal, 1872 by H. Beverly, Inspector-General of Registration, Bengal. It describes: “Colonel Dalton mentions some Jhari Kurmis or Kurmis of the

Woods in Chhotanagpur are said to worship strange gods." Descriptive Ethnology of Bengal, 1872 by Edward Dalton describes: "In the province of Chhotanagpur, the ancestors of the people now called Kurmis…".

सर, यह मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ । During 1911-1921, they were again classified as "Aboriginal Tribe" by the Census of India, 1911, Vol. V. Bihar, Orissa and Sikkim Part-I describe: "Koiri and Kurmi are the two great cultivating castes of Bihar, but the latter is also the name of an aboriginal tribe in Chhotanagpur and Odisha State.

सर, मुंडा जी वहां से आते हैं । Hindu Tribe, 1941 by Anthropological Survey in British India, suffice to say that their caste in unison of language, religion, culture, rites and rituals, fairs and festivals still continues and till today by its own custom, culture and tradition, they are still considered as a distinctive caste. It is to be noted that the West Bengal Government – as the information I have gathered – have supported and referred it to you but I do not know where the lacuna lies. I think you are generous enough to spell it out that these are the problems for which you are not being able to include Kurmi in the Scheduled Tribes list.

मैं आपसे दोबारा यह मांग कर रहा हूँ कि आप कुर्मी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल करें । मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हिन्दुस्तान में बहुत सारे ट्राइब्स हैं । करीब 645 ट्राइब्स हैं । ये लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं । इनके लिए बहुत सी योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर तब्दील नहीं होती हैं । यह मुंडा जी भी जानते हैं । इसी के मद्देनजर हम चाहते हैं कि इंडियन ट्राइब्स पर सही ढंग से चर्चा हो और जैसे आप त्रिपुरा के एक

छोटे से तबके को इसमें शामिल कर रहे हैं, वैसे ही इसमें कुर्मी को भी शामिल करके, कुर्मी लोगों की दशकों से जो मांग है, उसको पूरा करें ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सर, मुझे भी इस बिल पर बोलने के लिए दो मिनट दीजिए ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हनुमान बेनीवाल जी, आपका इसमें क्या लेना-देना है । सभी बोल रहे हैं इसलिए बोलना है ।

… (व्यवधान)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज त्रिपुरा के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हुई है और इसमें हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है।

विभिन्न दलों के सांसदगण प्रद्युत बोरदोलोई जी, तापिर गाव जी, ए. राजा जी, कुमारी गोड्डेति माधवी जी, श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी, अरविंद सावंत जी, मोहम्मद फैजल जी, हसनैन मसूदी जी, सप्तगिरी शंकर उलाका जी, रेबती त्रिपुरा जी, इंद्रा हांग सुब्बा जी, सरनीया जी, अगाथा संगमा जी, भर्तृहरि महताब जी, गिरीश चन्द्र जी, जसकौर मीना जी, सुरेश जी, कुनार हेम्ब्रम जी, ई. टी. मोहम्मद बशीर जी और अधीर रंजन चौधरी जी ने अभी हम सबके बीच में विभिन्न प्रदेशों की ऐसी समस्याओं, जो जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों से जुड़ी हुई हैं, पर चर्चा की ।

यह त्रिपुरा से संबंधित विधेयक है, जिसमें कूकी की सब-कास्ट के रूप में डारलोंग कम्युनिटी को एक सब-कास्ट की दृष्टि से संशोधन के लिए लाया गया है । यह आलरेडी कूकी ट्राइब के रूप में ट्राइबल लिस्ट में है, लेकिन यह शब्द नहीं होने के कारण उनको कई बार और कई बार उनकी तरफ से भी यह विषय सामने आया है । इसकी सारी औपचारिकताएं राज्य सरकार ने पूरी करते हुए, भारत सरकार को भेजा है । भारत सरकार के जो विभिन्न तय मापदण्ड हैं, उनके आधार पर मंत्रि परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे लाया गया है ।

इसके अलावा, आज चर्चा में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बात की शंका जाहिर की कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट समुचित नहीं है । कुछ माननीय सदस्यों ने लक्षद्वीप के संबंध में, वहां के शिड्यूल्ड ट्राइब के संबंध में कहा है, क्योंकि वहां एक व्यवस्था है, जिसके तहत वहां के पेरेंट्स के जो बच्चे आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड लक्षद्वीप होते हैं तो उनके लिए बहुत सारी औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं । ऐसे बहुत से विषय इस सदन में चर्चा के माध्यम से लाए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात पर बल दिया है कि ट्राइबल और ट्राइबल एरिया का विकास किए बगैर हम देश के विकास का जो सपना देख रहे हैं, वह समुचित रूप से पूरा नहीं हो सकेगा । इसलिए हमें इस पर बहुत ज्यादा जोर देना है, ध्यान देना है और मानव विकास सूचकांक के जो विभिन्न पैरामीटर्स हैं, उनको पूरा करना है । इस दृष्टि से यदि आप देखें तो वर्ष 2014 के बाद से लगातार फण्ड की दृष्टि से, निर्णयों की दृष्टि से, कार्यक्रमों की दृष्टि से और कार्यान्वयन की दृष्टि से राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर कैसे कार्यक्रमों को सफल बनाया जाए, एक तरफ इसकी कोशिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों को आवंटित राशि में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है । यदि आप वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक देखें, जो एसटीसी कम्पोंनेंट है, उसमें कई गुना वृद्धि हुई है । इसी दृष्टि से राज्यों को भी प्रेरित किया गया कि जो सब-प्लान प्रोग्राम है, भारत सरकार एसटीसी कम्पोनेंट के माध्यम से सभी मंत्रालयों के साथ यह कोशिश करती है कि उन राशियों से राज्यों की नोडल एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स अच्छे ढंग से काम करें । इसलिए जहां वर्ष 2014-15 में 16 हजार 111 करोड़ रुपये आवंटन था, वहीं वर्ष 2021-22 में 87 हजार 585 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई है।

यह उत्तरोतर वृद्धि का क्रम जारी है और हम लोग उसी ढंग से राज्य सरकार को इस बात के लिए जो ट्राइबल सब प्लान बना है, वह ट्राइबल सब प्लान, व्यवस्था है कि उसके अनुपात में बनाएं, जो वहां की आबादी है । यह सुनिश्चित करें कि उस राशि का उपयोग उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं लोगों के बीच में हो, जिनके लिए राशि की व्यवस्था कर्णांकित की गई है । इस दृष्टि से हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं । पहले इसको प्लानिंग कमीशन मॉनिटरिंग करता था, अब यह मंत्रालय कर रहा है, क्योंकि प्रधान मंत्री जी चाहते हैं, प्रधान मंत्री जी की इच्छा है और प्रधान मंत्री जी उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, कार्य को आगे बढ़ाने के संकल्प को हमेशा दोहराते हैं, जिससे हमारा आउटकम अच्छे ढंग से आए । मानव विकास सूचकांक का जो मूल उद्देश्य है, वह पूरा हो । चाहे वह एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, इम्प्लायमेंट में हो या अन्य विभिन्न कार्ययोजना हो । अभी एक

माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां नेटवर्क की स्थिति अच्छी नहीं है और आप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं । मैं आपको इस सदन में बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों आईटी मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है और हमारे पास उसकी सूची है कि एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के माध्यम से एक नयी कार्य योजना तैयार की गई है और उस कार्य योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी गांवों में ब्रॉडबैंड और 4G कैसे पहुंचे । उसके लिए एसटी कम्पोनैंट के अंदर लगभग साढ़े सात हजार की व्यवस्था अलग से की गई है । गांवों से अंत्योदय डेटा लिया गया कि किस गांव में किस चीज की कमी है और उसको कैसे पूरा किया जाए ।

हम अमृतकाल मना रहे हैं, तो हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है – प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसमें हम ने लक्ष्य रखा है कि जिस गांव को हम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम के माध्यम से लेंगे, जो गैप्स हैं, उन गांवों को हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किया है । जिन गांवों की आबादी अधिक है और जहां गैप्स ज्यादा हैं, जहां सुविधाएं कम हैं, हम उनको सैचुरेटेड मोड में कैसे लेकर आएं, उन गांवों की सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, मानव प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सके । वहां शिक्षा और स्वास्थ्य का भी गैप न रहे एवं उनमें आधारभूत संरचनाओं की भी कमी न हो । प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से इस अमृत काल में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम ने उसमें 36,000 गांवों को सम्मिलित करके, इस बार साढ़े सात हजार गांवों के लिए राशि भी आवंटित कर दी है । उन गांवों को चयन करने के बाद, राज्य सरकार के साथ मिल कर, क्योंकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से राशि आवंटित की जा रही है । रूरल डेवलपमेंट की कई योजनाएं हैं, जिनमें यदि किसी गांव में प्रधान मंत्री आवास की आवश्यकता है, तो पूर्ण रूप से उस प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत सारे गांव के जो भी पात्रता रखने वाले लोग हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, वहां डिमांड पूर्ण हो जाए, ताकि वहां की डिमांड खत्म हो जाए ।

इसी तरीके से जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पेय जल की व्यवस्था हो, जो माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प उस योजना के माध्यम से हर घर नल का जल पहुंचे, क्योंकि अधिकतर ट्राइबल एरियाज में बीमारियां जल के कारण होती हैं ।

शुद्ध पेय जल लक्ष्य के साथ पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया गया है । इसी तरह से हेल्थ से संबंधित एक विषय आया था, जिसमें हम ने जिक्र भी किया कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां इस तरह की कुछ आनुवांशिक समस्याएं हैं, जिनको लेकर प्रधान मंत्री जी ने स्वयं विभिन्न स्थानों पर चर्चा की है । उन्होंने सारे वैज्ञानिकों से बातचीत की है । हम आईसीएमआर के साथ लगातार संपर्क में हैं । हम देश के हेमैटोलॉजिस्ट्स के कांफ्रेंस लगातार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं । हम ने इस बार आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिल कर अलग से रिसर्च की राशि भी आवंटित की है । हेल्थ इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए, यह भारत सरकार और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्राथमिकता में है । एजुकेशन में यदि आप आंकड़ों को देखेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा । एकलव्य मॉडल स्कूल, जब आप वर्ष 2014 के आंकड़ों और अभी के आंकड़ों को देखेंगे, तो स्वत: स्पष्ट होगा कि उसमें कितना गैप है ।

पहले एकलव्य मॉडल स्कूल्स के लिए मात्र 278 करोड़ रुपए का बजट प्रॉविजन होता था । लेकिन अभी इनको संचालित करने के लिए 1418 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं । इसी तरह से, वर्ष 2014 में, जितने स्कूल्स की संख्या थी, उनकी तुलना में इस बार स्कूल्स की संख्या डबल हो गई है । पहले इसकी संख्या लगभग 160 थी, वह अब 365 से अधिक हो गई है, जो प्रारंभ किए गए हैं ।… (व्यवधान) इसके पूरा होने के बाद अगले पाँच वर्षों में लगभग 700 से अधिक विद्यालयों के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 28 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है ।

जहाँ तक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात है, मैं इसलिए सामूहिक तौर पर कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने राज्यों की बहुत-सी कम्युनिटीज के बारे में चर्चा की । वह एक रिसर्च का विषय है, जो निर्बाध गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है । इसमें राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है । इस संबंध में, कुछ राज्यों से हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ से प्राप्त नहीं हुए हैं । उसे विभिन्न स्तरों पर देखा जा रहा है ।

उसके जो भी निष्कर्ष होंगे, मैं निश्चित रूप से उससे अवगत कराऊँगा । सभी राज्यों की कम्युनिटीज में, खास करके ओडिशा की जितनी कम्युनिटीज बताई गई, उनमें से लगभग 62 के बारे में हमारे पास रिसीव हुए हैं, उनमें से लगभग 14-15 तो क्लियर हो चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट सब्मिट होकर आरजीआई के यहाँ से आ चुकी है । इस प्रकार से, इनकी संख्या मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूँगा । जितने भी सदस्यों ने इस विषय को उठाया है, उन सभी विषयों पर संवेदनशील होकर सरकार देख रही है ।

वर्ष 1962 से 1967 के बीच में, इस विषय पर एक कमेटी बनी थी । उस कमेटी का नाम 'लोकुर कमेटी' था । जब यह विषय बहुत ज्यादा चर्चा में आया तो उस समय लोकुर कमेटी बनाई गई, जिसमें एक मानक तय किया गया कि ट्राइबल कैरेक्टर इनहेरिट करने वाले लोगों की पहचान कैसे की जाए । उसी के आधार पर सभी ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट्स स्टेट लेवल पर रिसर्च कराती हैं, जो राज्य सरकारों के द्वारा कराई जाती है । राज्य द्वारा कराने के बाद उसे वह केन्द्र सरकार को भेजती है । केन्द्र में आने के बाद, इस विषय को ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसे आरजीआई के पास भेजती है । आरजीआई के माध्यम से यह मामला गृह मंत्रालय को जाता है और फिर तमाम मंत्रालयों का कंसेंट लेकर उसे मंत्रिमंडल में लाया जाता है ।

मंत्रिमंडल में आने के बाद उस पर इस सदन में चर्चा की जाती है । ये सारी औपचारिकताएं हैं, जो विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न कम्युनिटीज के मामले में हो सकती हैं, जिन पर हम समय-समय पर चर्चा करते रहेंगे । जो माननीय सदस्य इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, हम उन्हें इसके बारे में जानकारी भी दे देंगे कि इसके बारे में क्या रिपोर्ट आई या नहीं आई है।... (व्यवधान) इसलिए मैं माननीय सदस्यगण को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे मामलों पर संवेदनशील है।... (व्यवधान)

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि इन सभी विषयों पर देश की संसद ही चर्चा करके इनका निष्कर्ष निकाल सकती है । इसलिए जितने भी ऐसे मामले आते हैं, जिस तरह के भी मामले हैं, हम उनको लेकर आते हैं, इसलिए आज यह बिल, जो डारलोंग

कम्युनिटी से संबंधित है, यह कुकी के सब-कास्ट के रूप में लायी गई है, को सदन में प्रस्तुत किया गया है । वैसे सभी माननीय सदस्यों ने इसका सपोर्ट किया है, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ । मेरा निवेदन है कि इसे इस सदन से पास किया जाए । इसके अलावा, इस तरह के जो भी दूसरे मामले हैं, उनको भी सरकार गंभीरतापूर्वक देख रही है । उस कमेटी के जो रेकमेंडेशंस हैं, उनके आधार पर, जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अर्जुन मुंडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

____

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सुबह शून्य काल नहीं हो पाया था । अब लिस्ट में जिनका नाम है, मैं शून्य काल के लिए उनका नाम बोल रहा हूं । कुछ अविलंबनीय लोक महत्व के विषय होंगे, तो उनको भी मौका दिया जाएगा।

… (व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरे मेलघाट क्षेत्र ट्राइबल एरिया में ऐसे छ: गांव हैं – गडगाभांडुम, बोरीखेड़ा, सावर्या, ढाकना, भांडुम और दाभिया । मेरे क्षेत्र में दो तालुका पड़ते हैं, एक धारणी तालुका है और दूसरा चिखलदरा तालुका है । धारणी तालुका के पास ये छ: गांव पड़ते हैं, इन छ: गांवों में जो बैंक में अकाउंटहोल्डर्स हैं, उनको 75-80 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके चिखलदरा के पास के एक गांव में बैंक रिलेटिड कामों के लिए जाना पड़ता है।

सर, मैं आपसे विनती करूंगी कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले ये लोग बहुत सीधे-सादे लोग हैं । अगर कोई गरीब व्यक्ति श्रावण बाल योजना या मनरेगा योजना के तहत पैसे डिपॉजिट करने या निकालने जाता है, तो उसे बैंक से रिलेटिड इस काम के लिए 75-80 किलोमीटर प्रवास करना पड़ता है ।

सर, बैंक से रिलेटिड ये जो बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इन लोगों को 75-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के बैंक मैनेजर्स इन लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण इन लोगों को इतनी दूर जाकर बैंक से रिलेटिड ये सारे काम करने पड़ते हैं ।

अत: मैं आपसे विनती करूंगी कि आप इसके लिए आदेश दीजिए । ये दो हजार अकाउंट होल्डर्स हैं, ये मेरे क्षेत्र के शेड्यूल्ड ट्राइब के गरीब लोग हैं । इन लोगों के लिए इनके गांव के भीतर बैंक की एक सब-ब्रांच ओपन करके दी जाए, ताकि इन लोगों को सारी सुविधाएं अपने गांव के आसपास मिल सकें ।

मैं आपसे इतनी विनती करती हूं, धन्यवाद।

17.28 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों के लिए विकास योजनाओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के थावे में एक प्राचीन थावे धार्मिक पीठ है, जो कि मां दुर्गा का मंदिर है । यह उत्तर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है । यहां चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं ।

मंत्रालय ने Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) योजना शुरू की है, जिससे राज्यों के टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण टूरिज्म का भी विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा । अब तक PRASHAD योजना में 39 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि थावे पीठ – मां दुर्गा मंदिर को PRASHAD योजना के तहत प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों में शामिल किया जाए, ताकि यह स्थान ग्रामीण टूरिज्म के रूप से विकसित हो सके और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके । धन्यवाद।

श्री चन्दन सिंह (नवादा): सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र नवादा सिंचाई विहीन जिला है । यहां के किसानों को सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर जी ने अपर सकरी परियोजना का शिलान्यास किया था । यहां झारखंड से पानी मिलना था लेकिन झारखंड सरकार द्वारा पानी मुहैया नहीं कराए जाने के कारण यह परियोजना पिछले 38 वर्षों से अधर में लटकी पड़ी है । बिहार सरकार द्वारा झारखंड सरकार से बार-बार पानी मुहैया कराए जाने का आग्रह करने एवं नेशनल वॉटर कमिशन की सहमति एवं निर्देश के बावजूद झारखंड सरकार इस परियोजना हेतु पानी उपलब्ध नहीं करा रही है । इसका

खमियाजा यहां के किसानों को उठाना पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए झारखंड सरकार को निर्देशित करे ताकि 38 वर्षों से अधर में लटकी अपर सकरी परियोजना मूर्त रूप ले सके।

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Chairman, Sir, ten Central labour and trade unions started a two-day national strike from today's midnight. This is one of the largest nationwide strikes in the last ten years. Actually, this two-day national strike reflects the desperation of people. One of the main demands of the strike is scrapping the Labour Code which is anti-working class and inhuman. It is a genuine concern as unemployment is increasing in our country and working sector is regulated for capitalist interests.

The national strike demands disposal of National Monetory Pipeline which is selling our public sector companies to private corporate companies. Along with unions in coal, steel, oil, telecom, postal, income tax, copper, banks, insurance, railways and defence sectors, farmers, unorganised workers, low-grade labourers are all protesting against the anti-people, anti-India policies and privatisation. Proper social security for all informal sector workers, anganwadi teachers and helpers, ASHA workers is an important demand of the strike that the Government must agree to.

I request the Government to keep aside its ego and to agree to the demands of trade and labour unions to ensure welfare of common people of this country. I hope that this strike will open the eyes of the Government to that fact that the economic policies of the BJP Government are disastrous. While inflation and fuel prices are increasing on a daily basis, the Government must

revisit the blunders in the economy. Otherwise, India will be another Sri Lanka very soon.

Thank you.

माननीय सभापति: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल – उपस्थित नहीं।

श्री सुशील कुमार सिंह – उपस्थित नहीं।

श्रमती कलाबेन देलकर।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : सभापति जी, मैं बहुत गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । एक तरफ देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है । इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, परन्तु मेरे प्रदेश की हालत बहुत खराब है । विभिन्न सरकारी विभागों में 20-25 वर्षों से कार्यरत टीचर्स, मिड डे मील वर्कर्स, पंचायत एवं जिला परिषद में कार्य कर रहे छोटे-बड़े तकरीबन 100 से 1200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि इन सभी कर्मचारियों की भर्ती प्रशासनिक नियम के अनुसार हुई है । ये वही कर्मचारी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में प्रशासन के आदेश पर अपनी जान की परवाह किए बिना घर-घर जाकर लोगों की सेवा की है और इनमें से कई लोगों की तो जान भी चली गई । डेढ़ साल पहले तत्कालीन सांसद श्री मोहन भाई डेलकर जी ने यह मुद्दा सदन में उठाया था जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

महोदय, इनमें से कई मामलों पर कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी करके कर्मचारियों को तुरंत काम पर वापस लेने का आदेश भी जारी किया, परन्तु अभी तक किसी को नौकरी पर वापस नहीं लिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है । आज फिर 15-20 सालों से काम कर रहे हमारे 450 मल्टी टास्क कर्मचारियों का वेतन घटाने या उन्हें नौकरी से निकालने की बात अधिकारियों द्वारा की जा रही है । मेरा प्रदेश सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता है । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और गृह मंत्रालय से निवेदन करती हूं कि वे इस मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल उचित दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि इन सभी कर्मचारियों की नौकरी बच सके।

माननीय सभापति : श्री बी. चन्द्र शेखर – उपस्थित नहीं।

श्री सी.पी. जोशी – उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir. I would like to raise a matter of urgent public importance which deals with the Ansupa Lake which is Odisha's largest freshwater lake spread around two-square-kilometre stretch in Cuttack district. It played host to five species of threatened avian species this winter. According to the joint survey conducted by Chilika Development Authority and Odisha Biodiversity Board, this lake attracted 46 species of migratory birds during winter months. The rare and endangered species sighted this time are Black- bellied Tern Sterna acuticauda, River Tern Sterna aurantia, Lapwing Vanellus duvaucelii, etc. For the first time, the population of Red-crested Pochard Rhodonessa rufina was reported to be more than 1000 from this Lake. Similarly, species like Cotton Teal Nettapus coromandelianus and Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica were also recorded in good numbers among all resident birds.

Ansupa lake is an ideal eco-tourism destination with forest cover surrounding the Lake. Tourists' footfalls here may rise if it is duly exposed through tourism promotion plans. I would, therefore, urge upon the Government to come out with an integrated management Plan for Ansupa lake so that this place can become hotspot for endangered migrated birds and tourists also.

Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir. My 'Zero Hour' submission is in respect of one of the important demands of my constituency, Kollam in Kerala. Punalur town is a municipal town on the eastern part of Kollam district and it belongs to my constituency. There are numerous people who are employed outside in foreign countries and a lot of people are going abroad for employment, study and even for visit. But it is quite unfortunate to note that there is no Passport Seva Kendra in Punalur area. Though it is densely populated and a large number of people are working abroad, but there is no Passport Seva Kendra. The nearest Passport Seva Kendra is in Kollam town and the next one is at Thiruvananthapuram. As far as the people of Punalur are concerned, it is very difficult for them to go to Thiruvananthapuram and Kollam to get the passport facilities.

So, my humble submission, through you, to the Government, especially to the External Affairs Minister is to commence a Passport Seva Kendra on the eastern part of Kollam district, that is at Punalur. That is one of the necessities of the district. I once again urge upon the Minister of External Affairs to give sanction for commencing a Passport Seva Kendra at Punalur.

Thank you very much, Sir.

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): *Vanakkam* Chairperson, Sir. This is regarding the recent hike in petrol price, diesel price and price of LPG cylinders. This affects the common man. What is the Government going to do to regulate the continuous increase of the fuel price?

We have seen that often the Government comes out saying that they do not have anything to regulate the prices. They say that it is the oil companies which regulate the prices.

But during elections, the prices freeze magically. There is no price rise during that time in spite of the oil price going above 100 dollar a barrel. There will be no fluctuation in prices. Recently, we have seen, despite start of the Russia-Ukraine conflict there has not been any increase in the prices of petrol and diesel as it was the election time here.

So, I sincerely urge upon the Government, through the Chairperson, to direct the Election Commission to keep on conducting elections throughout the year, because that is the only way by which the common man can be saved from the price hike of petrol and diesel. Or, we will be in a state of fear that the price of petrol, diesel and LPG may fluctuate from morning to evening. There may be one price in the morning and another in the evening. So, to save the common man, I urge upon this Government to come up with a proposal to have elections throughout the year.

Thank you, Sir.

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): I would like to raise a very important issue pertaining to the shortage of teachers in Kalaburagi Kendriya Vidyalaya in the State of Karnataka.

Sir, the vacancy in the post of teachers is having a negative impact on the educational system. This in turn creates instability among parents who have enrolled their children in these schools.

It is estimated that around 50-60 per cent of the teachers' posts in 50 Central Schools, in the State of Karnataka itself, are lying vacant and these Kendriya Vidyalayas are running their classes with guest faculties. With the guest faculties, we cannot expect quality education which was being imparted by the permanent faculties as tough procedures are followed while recruiting the permanent faculty. Sir, I would like to take the example of Kalaburagi Kendriya Vidyalaya itself, where there are 12 sanctioned posts of teachers in Primary Section, out of which only five posts are filled, and the rest seven posts are vacant. In Higher Secondary section, out of 15 sanctioned posts only four are filled and 11 posts are vacant. The reason behind this vacancy is, the Government has relaxed its transfer policy. Teachers from North India are being recruited in the schools of Karnataka. After relaxation of the transfer policy, they have taken transfer to north, and this is creating a lot of problems.

Kalaburagi is the most backward area. We had also requested for one more Kendriya Vidyalaya in the north part of Kalaburagi.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, मैं आपका ध्यान उन लोगों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो पेंशनर हैं । ईपीएस पेंशनर-95 की सूची में बहुत लंबित माँगें उन लोगों की देश भर में चल रही हैं । देश भर में लगभग 65-70 लाख लोग हैं और मेरी कांस्टिट्यूएंसी में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं, जो आज भी इस माँग के पूरा होने की बाट जोह रहे हैं ।

महोदय, जिन्होंने पूरे जीवन भर अपना खून-पसीना उस इंस्टिट्यूशन, संस्था को चलाने के लिए लगाया, आज उनको पेंशन के नाम पर मात्र 200 से लेकर तीन हजार रुपया मिलता है । इस कोविड पेंडेमिक काल में उनको चिकित्सा और आम छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी । जिन्होंने पूरा जीवन उस नौकरी में निकाल दिया, आज वे न अपना मकान बना सकते हैं, न बच्चों की शादी कर सकते हैं । उनकी छोटी-मोटी जरुरत, चिकित्सा सुविधा का भी उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है ।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि बहुत लंबे समय से इनकी माँगें सरकार के पास पेंडिंग हैं । अगर इनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ देंगे तो इन लोगों को चिकित्सा सुविधा उसके माध्यम से मिल पाएगी । अगर ये सामाजिक सुरक्षा की योजना से जुड़ जाएंगे तो इनको थोड़ा लाभ मिल पाएगा । चाहे अर्द्ध सरकारी नौकरी में हों, चाहे डेयरी में हों, चाहे माइनिंग में हों, चाहे छोटे-मोटे उद्योग में काम करने वाले लोग हों, इन्होंने अपना पूरा जीवन उस क्षेत्र में निकाला है । मेरी आपकी माध्यम से सरकार से माँग है कि इनकी लंबित माँगों को पूरा किया जाए ताकि इनको और इनके परिवार को आने वाले समय की सुरक्षा मिल पाए । धन्यवाद ।

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मेरे साबरकांठा लोक सभा क्षेत्र में चिलोडा से हिम्मतनगर होकर शामलाजी हाइवे निर्माण कार्य चल रहा है । इस हाइवे का फोर लेन से सिक्स लेन में परिवर्तन हो रहा है । पिछले बहुत लंबे समय से हाइवे का निर्माण कार्य बिल्कुल बराबर धीमी गति से हो रहा है । संबंधित अधिकारियों को भी इस विषय की जानकारी दी गई है, लेकिन कोई फर्क नहीं आया है ।

मेरे मत क्षेत्र के लोगों को भी भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है । इस रूट पर वाहनों को भारी दिक्कत हो रही है । ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो रहा है । टोल रोड पर धीमी ड्राइविंग स्वीकार्य नहीं है । फिर भी टोल टैक्स लेना चालू है । यह टोल बूथ ऐसी जगह पर है, जहां आस-पास के गाँव के लोगों को, किसानों को नजदीक के बाजार और आगे जिले के मुख्यालय हिम्मतनगर रोजाना जाना पड़ता है । इस महत्वूपर्ण बात को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ के 15 किलोमीटर के किसानों को न्यूनतम दर पर मासिक पास देने के लिए मैं विनती करता हूं । साथ ही नजदीक के गाँव में आने-जाने के लिए सर्विस रोड और वहां कट देने के लिए भी विनती करता हूं । मैं आपके माध्यम से ऐसी मांग करता हूं कि संबंधित विभाग एनएचएआई इस विषय में तुरंत सही कदम उठाए और टोल रोड पूरा करने के बाद ही टोल टैक्स वसूल करे । यही मेरी आपके माध्यम से मांग है।

माननीय सभापति : श्री एंटो एन्टोनी – उपस्थित नहीं।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, देश के प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना किसान की फसल दोगुनी हो, इसके लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई । मैं समझता हूं कि फसल बीमा योजना में किसान को फसल का उचित मूल्य मिले । अगर फसल खराब हो जाए तो उसका कम्पनसेशन भी किसान को कम्पनी दे । देश के प्रधान मंत्री जी की ऐसी योजना थी।

मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में फसल बीमा योजना ई-मित्र व सीएसी पोर्टल के द्वारा होती है । श्रीगंगानगर में फसल बीमा योजना में 5500 किसानों की खरीफ का क्लेम वर्ष 2021 में ई-मित्रा, सीएसी के माध्यम से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी ने करवाया था । करीब 1 लाख 37 हजार पॉलिसी एसबीआई ने रद्द कर दी हैं । मैं समझता हूं कि किसानों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि किसान पूरे डॉक्युमेंट नहीं दे सकता है । छोटे-छोटे डॉक्युमेंट्स को लेकर पॉलिसी रद्द की जा रही है । मैं आपसे और केन्द्र सरकार से आग्रह करूँगा कि इस पोर्टल को दोबारा खुलवा कर और कृषि विभाग द्वारा उसकी रिपोर्ट मंगा कर इस पोर्टल पर डाली जाए ।

इसी तरह से हनुमानगढ़ जिला भी है, उसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ने करीबन 10 हजार किसानों का पैसा रोक रखा है । किसानों की करीबन दो लाख पॉलिसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ने रोक रखी है । मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इन दोनों को आदेशित करें कि किसान की जो पॉलिसी है, किसान का जो पैसा **है**, वह रोके नहीं । कृषि विभाग द्वारा किसान के डाक्युमेंट्स को मंगवा कर दोबारा पोर्टल पर डाले, ताकि किसानों को राहत मिले और किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके । बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, Sir. I am raising a matter with regard to a bridge connecting Andhra Pradesh and Karnataka. For more than a decade, the people of Andhra Pradesh and Karnataka have been requesting for the construction of a bridge across Vedavathi river, which is also called Hagari river. The river divides Andhra Pradesh and Karnataka, which forms the boundary line for nearly twenty kilometres. A bridge connecting Gulyam village of Andhra Pradesh and Basarkod village of Karnataka will benefit lakhs of people of Bellary district and Halaharvi Mandal of Andhra Pradesh. A few years back, during his visit to the Bellary district, the hon. Minister of Road Transport and Highways had promised to sanction a bridge here. Hon. Chairperson, Sir, there are four points of justification for the request of a bridge. Firstly, Gulyam village of Andhra Pradesh is famous for 200 years old Gadilingeswara Temple. Daily, hundreds of people from Karnataka traverse the riverbed and visit the temple. Likewise, thousands of devotees visit the temple every new moon day and lakhs of people visit the temple annually on the car festival day. Similarly, Chellaguriki village of Bellary district has famous Sri Yerrithatha Swamy temple, which attracts thousands of devotees from Andhra Pradesh. The proposed bridge facilitates pilgrims from Andhra Pradesh.

There is an alternate route which is 27 kilometres long. The journey is very tedious. It is an arduous journey. So, majority of the commuters prefer to cross the river bed and this bridge reduces nearly 27 kilometres of that hard journey.

There is a lot of human loss and property loss during flash floods. So, I request the hon. Minister to consider this promise. People of both States have social networking since ages. The proposed bridge can strengthen inter-State social networking for health, education, business and marriages. Sir, there is a famous quote. 'American roads are not good because America is rich but America is rich because American roads are good. The same quotation is seen on the walls of office of the hon. Minister of Road, Transport and Highways.

I request the Government of India to make their slogan worthwhile – Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas and Sabka Prayas. So, this is a promise given by hon. Minister. I request the Minister to keep his promise. Thank you, Sir.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद । मैं आपके और सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ । देश भर में आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनके पक्के भवन बन हुए हैं । इसमें बाल विकास योजना के तहत छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है । उसमें दो पद होते हैं । एक सेविका का और एक सहायिका का पद होता है । हमारी सरकार ने वर्ष 2017 के मार्च महीने में, जो 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था, इनके मानदेय को तीन हज़ार रुपये से बढ़ा कर लगभग छह हजार रुपये किया था । सेविका के लिए 5,950 रुपये और सहायिका के लिए 1500 रुपये से बढ़ा कर, 2975 रुपये किया था । यह बढ़ोत्तरी पांच वर्ष पूर्व हुई थी । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि यह योजना बहुत अच्छी है । ये महिलाएं सेविका एवं सहायिका के रूप में अच्छा काम करती हैं । कोरोना की विषम परिस्थिति में, उस चुनौतीपूर्ण समय में भी इन लोगों से सरकार ने काम लिया और स्वैच्छिक तरीके से इन लोगों ने काम भी किया । बाद में हम लोगों की सरकार ने इनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा भी दिया । इसलिए मेरा निवेदन होगा कि इनका मानदेय, जो अभी न्यूनतम मज़दूरी से भी कम है, उसको बढ़ाया जाए ताकि ये अपना परिवार चला सकें, अपना जीवन-यापन अच्छे तरीके से कर सकें । महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): The National Pharmaceutical Pricing Authority of India on 25th March, 2022 has announced a 10.7 percent change in the Wholesale Price Index for the calendar year 2021 over the corresponding period in 2020. This would mean that nearly 800 scheduled medicines included in the National List of Essential Medicines, used in most common ailments, will now increase by a steep 10.7 percent beginning 1st April, 2022. This list will include medicines such as paracetamol, Azithromycin, other antibiotics, other mineral and vitamin tablets etc. These medicines are

used to treat common conditions such as fever, infections, heart diseases, hypertension, skin diseases and anaemia, among others. If such a hike is effected, it can significantly affect a large number of Indians. Such a price increase will lead to disruption of our pharma chains and will only help the private companies in amassing huge profits. This situation is quite unwarranted in a country like India where lifestyle diseases and neglected tropical diseases are on the rise. A significant number of our people depends upon these essential medicines to save lives. I request the Government to urgently intervene and do the needful so that this draconian measure is not implemented. Thank you, Sir.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, Chairman.

Chairman Sir, I invite the attention of this august House and the Government to the plight of the MBBS students returned to India from Ukraine. Their future is under the shadow of uncertainty as they could not complete the course. More than 25000 Indian students, ranging from the first year to the final year, pursue their MBBS Degree in Ukraine. They have already spent several lakhs of rupees as a course fee. These students are very much worried about their future. The Government may take up the issue with the officers concerned and find out a solution to help the students. If it is difficult to continue studying in Ukraine, the National Medical Commission may come up with a solution to help these students so that they can successfully complete their courses. I also request the Government to kindly waive off the educational loans taken by the students, who are doing courses in Ukraine. As this August House is aware of more than 25000 Indian students have enrolled in various medical colleges and universities in Ukraine, out of this, more than 5000 students are from Kerala. These students joined the course with the help of educational loans from various nationalised banks in our country. However, the future of these students is under question now. Therefore, I request the Government to kindly waive off their loan amount and also provide an alternative mechanism to complete their studies without any interruption.

Thank you, Chairman, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Shri Sunil Tatkare – Not present.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance relating to my constituency Koraput during the `Zero Hour'.

Around 113 *khalasies* are engaged in two FCI/FSD depots of Umeri, Jeypore and Rayagada for the last 30 years on as daily wagers. Now, FCI has unilaterally taken a decision to transfer these people to a faraway place, namely Balijoree in Jharsuguda district, which is around 650 kilometres from the present location. They are all *Adivasis* and women.

They are poor people and have been working in these depots and living in the undivided Koraput district for the last 30 years and now if they are transferred to such a distant place, how will these people sustain their livelihood? They are not getting their allowances and have filed a Writ Petition in the High Court of Odisha. Sir, through you, I would like to request the Ministry of Food, Consumer Affairs and Civil Supplies, Government of India to immediately cancel their transfer orders and prevent such an injustice and make sure that justice is provided to these poor people who have been transferred to Jharsuguda. They cannot sustain themselves in such a distant place. Thank you.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में अर्धसैनिक बल (Paramilitary Force) में 60,210 कांस्टेबलों की भर्ती की थी । अंतिम चयन सूची में तीन साल बाद 21 जनवरी, 2021 को केवल 55,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया । शेष पदों के लिए अन्याय ग्रस्त उम्मीदवारों का 8 फरवरी, 2021 से जंतर-मंतर, नई दिल्ली में आंदोलन हो रहा है । केन्द्र सरकार इस न्यायिक आंदोलन की अनदेखी कर रही है । अब इन अन्याय ग्रस्त उम्मीदवारों ने संविधान चौक, नागपुर में आमरण अनशन शुरू कर दिया है । अर्धसैनिक बल की भर्ती प्रक्रिया में महामारी में 3 साल लग गए । इसमें कई उम्मीदवार उम्र की सीमा पार कर गये हैं । इन उम्मीदवारों को विशेष रियायत प्रदान कर प्रधान्यता से नियुक्त किए जाने की मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति : अब सूची के अतिरिक्त नामों को मैं बुलाऊंगा । समय बढ़ाने की भी अभी ही अनुमति ले लेता हूं । अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak during the `Zero Hour'. All the trade unions in our country, except BMS have jointly declared a nation-wide `Tool down strike' from 6 am today till 6 pm tomorrow against the anti-workers policies of this Government.

The workers of the country are demanding repeal or withdrawal of the anti-workers Labour Codes passed by the Parliament and also the Essential Defence Service Act, as was done in case of the Draconian farm laws.

The provisions of the Labour Code have curtailed the rights of the workers enjoyed by them from the times of the British India and these anti-workers labour codes are drafted to protect the interest of the Multi-National

Companies and factories. At the same time, they also are protesting against the anti-people policies of the Government like selling the public sector units including the Navaratna companies at throwaway prices to the corporates and rise in prices of cooking gas and fuels which are adversely affecting the life of the common man.

18.00 hrs

Moreover, the Government has reduced the interest rate of the EPF pension accumulations to 8.1 per cent from 8.5 per cent. So, on behalf of the trade unions, I urge upon the Government to consider the demands raised by the workers of our country who are the real work force of our GDP and withdraw the anti-workers Labour Codes and price rise of the petroleum products urgently. Thank you, Sir.

*__SHRI Y. DEVENDRAPPA (BELLARY):__ Hon. Chairperson, *Sharanu sharanarthy* to all. Thank you for allowing me to raise an important issue today. As a Kannada poet said: "Before we breathe our last, let us do some worthy job to make our names alive." Sir, last year on 13th February, 2021, I raised an issue pertaining to fixing the Maximum Retail Price for farm machineries and publishing the same in the websites of the manufacturing companies and also in the Government Website. Accordingly, the Government of India issued Notification No.132420 dated 11.05.2021 and also Circular No.132 dated 16.02.2021. As per the order, MRP was printed on the farm machineries, which are covered under the government subsidy. There is no direct impact on Maximum Retail Price of farm machineries and the subsidized farm machineries. As per the norms it is the responsibility of the manufacturing companies to ensure that MRP is printed on all of their products irrespective of whether they are placed under subsidized category or under the general group. However, MRP is not printed on farm machineries belonging to the general category. It is very unfortunate. So I am of the opinion that there is a need for modification in the Government Order to ensure that all manufacturing companies adhere to the norms of printing MRP on their products. As desired by the farmers the price tags of all the farm machineries including tractor, tiller, weed cutter etc., should be disclosed on the product itself. It would help the farmers to buy farm machineries easily. All the other companies disclose the

---

* English translation of the Speech originally delivered in Kannada.

MRP on their products. Similarly companies manufacturing farm machineries should also disclose the price tags of their products such as tractor, triller, weed cutter, wheat cutter and cane cutter, cultivator. etc. The Chief Executives (Marketing) and other Government Officers should prepare a price list without giving any opportunity for fake price lists so that our farmers would get proper machineries with better prices. Thank you, sir.

माननीय सभापति : कृपया एक मिनट में सब लोग अपनी बात कह दें।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सर,

वो करें बात तो हर बात में खूशबू आए,
ऐसी बोली वही बोले, जिसे उर्दू आए।

सभापति महोदय, आज इस मुल्क के अंदर उर्दू पूरी तरह से खत्म की जा रही है । एक ओर उर्दू के स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलने की वजह से उर्दू अख़बरात भी बंद किए जा रहे हैं । शायद, यह क्यों हो रहा है, इसको उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर इकबाल अशर साहब ने यह कहा है:

क्यूं मुझको बनाते हो तासूब का निशाना,
मैंने तो कभी खुद को मुसलमा नहीं माना,
देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना,
अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली
उर्दू है मेरा नाम मैं ख़ुसरो की पहेली।

सभापति महोदय, हिन्दू और उर्दू का रिश्ता इस मुल्क के अंदर ऐसा है, जैसा माँ और मासी का है । हमारी तहजीब, संस्कृति, सभ्यता यह कहती है कि हिन्दी और उर्दू को उसी नजरिए से देखना चाहिए, जिस नजरिए से हम अपनी माँ और मासी को देखते हैं । लेकिन, लता हया ने इस बारे में भी यह कहा है:

यहीं की बेटियाँ दोनों,

यहीं पर जन्म पाया है,

सियासत ने क्यों इन्हें,

हिन्दू और मुसलमान बनाया है।

सभापति महोदय, हमें ऐसा लगता है आज इस मुल्क के अंदर उर्दू को भी नकाब और हिजाब पहना कर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है । जबकि हम यह इंतज़ा करना चाह रहे हैं उर्दू जबान को मजहब के चश्मे से मत देखिएगा ।

अगर उर्दू हमारे ही मुल्क में जन्मी है, तो क्यों आज उर्दू अखबारात, क्यों आज उर्दू स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं? उर्दू जबान को हम क्यों अलग नजरिये से देख रहे हैं? मैं आप सभी से इल्तजा करना चाहूंगा कि अगर आपके सीने में दिल है, दिल धड़कता है और दिल से आप मोहब्बत करते हैं तो उर्दू जबान को खत्म मत होने दीजिएगा ।

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे लोक हित के महत्वपूर्ण विषय को लोक सभा के पटल पर रखने का अवसर दिया है, इस हेतु मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं । मेरे बैतूल, हरदा हरसूद लोक सभा क्षेत्र में लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों का भारी अभाव है । इसकी वजह से आदिवासी समाज का बड़ी संख्या में पलायन होता है । यहां वे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के शिकार होते हैं।

सभापति जी, मेरे क्षेत्र में तेंदू पत्ता, महुआ, अचार, गुठली, कीमती इमारती लकड़ियां, आंवला, बेहड़ा, हर्रा, मूसली एवं प्रचुर मात्रा में दुर्लभ वन औषधियां उत्पन्न होती हैं । प्रचुर मात्रा में कच्चा माल हमारे यहां होता है, जिसे औने-पौने दामों पर खरीददार खरीदकर बड़े महानगरों में बेचते हैं, क्योंकि औद्योगिक इकाइयाँ अन्यत्र महानगरों में हैं । मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि ये इकाइयाँ हमारे जनजाति क्षेत्रों में लगें, ताकि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके तथा क्षेत्र में सुख-समृद्धि आ सके ।

महोदय, मैं केंद्र सरकार एवं सम्बन्धित मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस दिशा में ठोस पहल करें, ताकि क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सके । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिंद।

*__SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH)__: Thank you, Chairman Sir, for allowing me to participate in the 'Zero Hour'. In my Arambagh Lok Sabha constituency's Tarakeshwar, the Kendriya Vidyalaya is running from the State Guest House for the last eight years. The students are facing great difficulties in studying and the teachers and faculty members too are facing problems. The number of students is increasing but the space is limited. The hon. Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee has already allotted land for the school, but so far, no grants have been sanctioned for the construction of the school by the Central government. Therefore, through you Sir, I urge upon the Minister of Education to sanction the grants at the earliest and set up the school on the allotted land without further delay. Thank you, Sir.

---

* English translation of Speech originally delivered in Bengali.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी । राजस्थान के अजमेर डिस्कॉम में केंद्र सरकार की विद्युत से जुड़ी सौभाग्य योजना में जिम्मेदारों की मिलीभगत से 290 करोड़ से भी अधिक हुए घोटाले की तरफ मैं विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, अजमेर डिस्कॉम के अधीन उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, सीकर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिलों में 53 हजार 298 घरों में सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचानी थी और इसके लिए अजमेर डिस्कॉम ने 11 कंपनियों को फरवरी, 2019 में टेंडर्स दिए । टेंडर्स 53 हजार 298 सोलर का ही हुआ, लेकिन बाद में 83 हजार 183 सोलर सिस्टम, जिनमें से अधिकतर सिस्टम कागजों में ही लगाये गए व 29 हजार 885 ज्यादा घरों में सोलर लगाना दिखाकर 104.89 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया । केंद्र की सौभाग्य योजना में ऑफ ग्रिड योजना के अंतर्गत ऐसे घरों में सोलर के जरिए बिजली पहुंचानी है, जहां बिजली तारों के जरिए नहीं पहुंचाई जा सकती है । इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार व 30 प्रतिशत राशि बैंक लोन तथा 10 प्रतिशत राशि संबंधित डिस्कॉम को वहन करनी होती थी, जबकि उपभोक्ताओं से दो से लेकर पांच हजार रुपये तक अवैध रूप से वसूले गए ।

सभापति महोदय, यह केंद्र की योजना है । दो सौ करोड़ रुपये से ज्यादा बड़ा घोटाला सौभाग्य योजना के अंदर अजमेर डिस्कॉम ने किया था । इसके अंदर केंद्र सरकार एफआईआर करे, सीबीआई जांच हो । इस घोटाले के अंदर जो भी दोषी हो, वह सलाखों के पीछे हो । बहुत बड़ा घोटाला राजस्थान के अंदर केंद्रीय योजना के अंदर हुआ है ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): बहुत शुक्रिया जनाब । जम्मू-कश्मीर सरकार ने कुछ महीने पहले कई हजार क्लास फोर्थ आसामिया इश्तेहार कीं । सिलेक्शन लिस्ट बन गई और सिलेक्शन के बाद यह फैसला हुआ कि जो ग्रेजुएट सिलेक्टीज़ हैं, उनको अपॉइंट न किया जाए, बल्कि उनको बाहर रखा जाए । मेरे पास सूचना है कि करीब 18 सौ के करीब ग्रेजुएट सिलेक्टीज़ को अपॉइंट किया गया । अगर ऐसा किया गया तो जो बाकी ग्रेजुएट सिलेक्टेड हैं, उनको भी अपॉइंट किया जाए । इसके अलावा टीचर्स का सिलेक्शन भी हुआ । सिलेक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद डुअल डिग्री की वजह से कमेटी बन गई । उसने सिफारिशात दीं । दो डिस्ट्रिक्ट्स सांबा और कठुआ में सिलेक्शन में अपॉइंटमेंट्स की गई हैं ।

लेकिन बाकी जो सेलेक्टीज हैं, कमेटी ने उनके लिए भी सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक उनके अप्वाइंट्मेंट्स नहीं हुए हैं । जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ा मसला है, हजारों मुलाज़िमों को, एनिमल हसबेंडरी, फॉरेस्ट, एगीकल्चर या पीएसयू के लोगों को मिनिमम वेजेज नहीं दिया जा रहा है, तीन हजार रुपये से भी कम दिए जा रहे हैं । जब तक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कम्पलीट न हो जाए तब तक कानून का पालन करते हुए मिनिमम वेजेज इन सारे मुलाज़िमों को दिए जाएं, जिसका वे इंतजार कर रहे हैं ।

लोकल फार्मेसिस्ट कानून के तहत मेडिकल असिस्टेंट को भी कम्पेटेंस था कि वह फार्मेसिस्ट के रूप में काम करे । लेकिन 5 अगस्त के बाद नया कानून लागू किया गया, उसमें ये मेडिकल असिस्टेंट बाहर हो गए । मैंने प्रश्न काल में पहले भी सवाल पूछा था, उस पर मंत्रालय ने फैसला किया था कि फार्मेस्टि के लिए अमेंड्मेंट्स लाएंगे ताकि उनको वन टाइम रिलैक्सेशन मिले, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

मेरी सरकार से गुजारिश होगी कि इस बारे में कार्रवाई की जाए । ये जो अप्वाइंटीज सेलेक्टी हैं, ग्रेजुएट सलेक्टी फॉर क्लास फोर्थ, जो टीचर्स के सेलैक्टीज हैं, उनको भी अप्वाइंट्मेंट्स दी जाए । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the kind attention of the Government to the announcement made by the hon. Finance Minister during her Budget Speech of 2021 in Parliament. In the Budget Speech of 2021, the hon. Minister announced about the opening of new Eklavya Model Residential Schools across the country.

This visionary step was taken by the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister to provide best education for students belonging to the Scheduled Tribes. Many Scheduled Tribe students are not able to get good education and so, this new set up will be very much useful to them by providing quality education. Koppal constituency comes under Article 37 (j) of the Indian Constitution. In my constituency, Siruguppa Block in Bellary District and Maski Block in Raichur District come under the Legislative Assembly constituencies of Karnataka. Both these are reserved for Scheduled Tribes. Therefore, the guidelines for commencing of new Eklavya Model Residential Schools are fulfilled. The letter issued on 6.9.2021 by the Ministry of Tribal Affairs stated that Siruguppa and Maski Blocks of Koppal constituency do not qualify for this and their proposals have not been considered. The authority letter issued is not correct. Both Assembly constituencies are declared as ST constituencies. Therefore, the area is very much backward and the scheme is very much suitable for these constituencies. Therefore, I request the hon. Minister of Tribal Affairs, through you, to approve the proposal and take necessary action for commencement of Eklavya Model Residential Schools at Siruguppa and Maski so that the students belonging to the Scheduled Tribes

can get good quality education without putting any financial burden on their parents.

*__SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):__ I thank you, Sir, for giving me permission to speak on a matter of urgent public importance. After the partition of India, in 1948, a new capital was announced for Punjab. In 1966, Haryana was created and Chandigarh became the joint capital of Haryana and Punjab. Right from the beginning, Punjab had demanded that Punjab should get an independent capital. So, Haryana should be given a new, separate capital. In 1986, under the Rajiv-Longowal Accord too, it was decided that Punjab will retain Chandigarh and Haryana will be given a new capital. But it never saw the light of the day.

Yesterday, the Central Home Minister Amit Shah ji visited Punjab and announced that employees of Chandigarh will henceforth be brought under Central Civil Services Act. Earlier, they came under Punjab Civil Service Act.

We oppose this unilateral announcement tooth and nail. In Punjab, sometimes, BSF jurisdiction area is increased. In Bhakra Board Management, Centre starts meddling directly. Centre meddles in Punjab University affairs directly. Similarly, in Punjab Agricultural University, members are appointed indirectly by the Centre. And the powers of the hon. Governor are increased unilaterally.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

The Hon’ble Prime Minister used to say in 2014 that we will increase and strengthen the federal structure of the Constitution. But the federal structure is being weakened. It is cheating and fraud perpetrated on Punjab. We will not tolerate this.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा उठाना चाहता हूं । मेरे चुनाव क्षेत्र में दो बड़ी सिटीज़ हैं – पिम्परी-चिंचवाड सिटी और पनवेल सिटी । यहां छ: केंद्रीय विद्यालय हैं । इन छ: केंद्रीय विद्यालय के लिए लगभग 600-700 एडमिशन्स के लिए अर्जियां आती हैं जबकि सीटें दस हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय की सीट पूरी तरह से खत्म की जाए, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ होती है । 600-700 सीट के लिए एप्लीकेशन्स आती हैं, दस सीट के कारण 690 लोग नाराज़ हो जाते हैं, इससे हमें तकलीफ होती है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि या तो सीट बढ़ाई जाएं अन्यथा केंद्रीय विद्यालय की पूरी सीट खत्म कर दी जाएं।

HON. CHAIRPERSON: Dr. T.R. Paarivendhar – Not present.

Now, Shri E.T. Mohammed Basheer.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for allowing me to raise an urgent matter of public importance.

It is really shocking to know that the names of martyrs who participated in the Malabar Rebellion, which was a bold and brave straggle against the British Empire, are going to be removed from the Dictionary of Freedom Martyrs as decided by the ICHR.

Sir, it is learnt that about 200 martyrs from Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala will be excluded from the 5th Part of the Dictionary, and

the next edition will be modified accordingly. This amounts to jeopardising to truthful history. Such an action is highly condemnable and objectionable.

Sir, there is a calculated move to brand the Malabar Rebellion as communal. It is not correct. It is not fair. In fact, it was a historical struggle against the British Empire. Finally, they sacrificed their lives for the nation. That was the decision of British Empire who sentenced them to death. That was the reason why their names were written with golden letters in our history.

Sir, if we permit to cut-off their names, it would be distortion of the history. We should not be thankless to the freedom fighters. These freedom fighters should be honoured, and we should not allow the ICHR the recommend like this. The ICHR is finding fault with them. It should not be allowed.

I would, therefore, humbly request the Government to desist from such a move. Thank you.

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर के मलकानगिरी जिले में चित्रकोंडा इलाके में पपलूर, कुरुमानुर, धौलीपुर, रेलेगड़ा और कालीमेड़ा ब्लॉक में बेजिंगवड़ा, तेलरई, पोडिया इलाके में कोंडा रेड्डी कम्युनिटी रह रही है । इनको जनजाति का दर्जा नहीं मिला है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कोंडा रेड्डी कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा दिया जाए।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): माननीय सभापति जी, मेरी कांस्टीटुएंसी बीरभूम में लगभग 800 बहुत ट्राइबल गांव हैं । यहां बहुत चीजों की जरूरत है । आज मैं एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए बोल रही हूं । अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत स्कूल बनाए हैं, माननीय पीएम साहब ने भी कहा कि बनाएंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि मोहम्मद बाजार ब्लॉक में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया जाए । यह रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए ताकि यहां ट्राइबल बच्चे पढ़कर आगे बढ़ सकें।

मेरी आपके माध्यम से यहां द्रोणाचार्य मिशन में साई के लिए भी रिक्वेस्ट है क्योंकि यहां फुटबाल प्लेयर्स और एथलीट बहुत हैं । ट्राइबल बच्चे अगर फुटबाल प्लेयर या एथलीट नहीं बन पाएं तो कम से कम उन्हें बीएसएफ या डिफेंस में तो चांस मिल जाए । इनको तैयार करने के लिए साई की बहुत जरूरत है ।

महोदय, आदिवासी महिलाओं के मोहम्मद बाजार ब्लॉक में लगभग 137 सैल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, इसमें 93 से 94 ग्रुप्स मोहम्मद बाजार में हैं । आप ही सोचिए कि यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बोलना चाहती हूं कि इस पर नजर डालें।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): धन्यवाद सभापति महोदय । यह विषय सुनने में भले ही सबको छोटा लगे और सामान्य लगे, लेकिन मेरे क्षेत्र के लिए यह बहुत गंभीर विषय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी-सिंगरौली का बड़ा भाग जंगलों से घिरा हुआ है । ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे जो किसान हैं, वे अपनी खेतों में कड़ी मेहनत के साथ खेती करते हैं और फसल उपजाते हैं । लेकिन, समस्या यह नहीं है । समस्या यह है कि वहां पर लगातार जंगली-जानवरों की समस्या बनी हुई है । यह सिर्फ मेरे क्षेत्र के लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि यह हमसे जुड़े हुए सभी संसदीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण विषय है । नील गाय, सुअर, बंदर जैसे जंगली जानवरों का लगातार

आक्रमण हमारे खेतों में होता रहता है । ये जानवर हमारे किसानों द्वारा उपजाए गए फसलों को नष्ट कर देते हैं । उसके बाद, आप समझ सकते हैं कि हमारे किसानों की स्थिति कैसे होती होगी ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहती हूं कि वह किसानों के हितों को ध्यान में रखकर जंगली-जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें । धन्यवाद ।

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Sir, COVID cases are decreasing with a weekly TPR of only 0.29 per cent in the country. People have started their routine life and everything is becoming normal. The industries, Government Offices, and MSMEs are working with full strength. Schools and colleges have also been opened and have started working regularly.

The problem I want to point out here is this. The Ministry of Railways is not yet ready even to reinstate the pre-COVID situation in the case of passenger trains. Most of the passenger trains are not operating.

Some of them have been changed to express trains with limited stoppages, and halt stations are not operational. So, the common people and daily passengers who depend upon passenger trains are suffering more.

Throughout Kerala, especially in my constituency, most of the people travel to the neighbouring State of Tamil Nadu every day for their jobs and depend upon passenger trains for the Palakkad-Pollachi-Thiruchendur route. As there is a shortage of passenger trains and also the halt stations are not operational, their journeys have become miserable.

So, I humbly request the Ministry of Railways to take necessary steps to reinstate passenger trains and halt stations immediately.

Thank you, Sir.

[*]**SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Tenkasi district of Tamil Nadu which I belong to was newly carved out of the Tirunelveli district. Even after two years of this bifurcation, Tenkasi district is yet to get infrastructure facilities and adequate industrial development. Since most of the areas of this Tenkasi district come under the Hill Area Conservation Authority, getting permission for new projects becomes a very difficult task. Keeping in view the development of Tenkasi district, there should be simplification of procedures and guidelines as regards getting permissions or clearances for new projects from the Hill Area Conservation Authority. I would also, through you, like to urge the Union Government to grant exemption in this regard to the urban areas such as Tenkasi, Sengottai and Kadayanallur of this district. Thank you.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): धन्यवाद सभापति महोदय । जब मैंने अपनी सूची निकालकर देखी, तो देखा कि मैं इस विषय को सदन में 20 या 21 बार उठा चुका हूं । शायद, इसका समाधान आपके द्वारा इस आसन पर बैठकर निकल जाए।

महोदय, हमारे यहां एक निर्माण कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ था । वह निर्माण कार्य राष्ट्रीय उच्च पथ छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर का है । अभी अंत में यह तय हुआ कि इस योजना को पूरा कराने के लिए 197 करोड़ रुपये की जरूरत होगी । इसके लिए बैंकों के साथ बैठक की गई और बैंकों ने चार महीने के विलंब के बाद अपनी सहमति दे दी और यह प्रस्ताव पुन: एनएचएआई के

[*] English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

पास भेज गया । जो योजना 400 करोड़ रुपये की थी, आज वह 1200 करोड़ रुपये की हो गई है । अगले तीन माह में बारिश शुरू हो जाएगी और यह काम फिर से रुक जाएगा।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनएच-19 का जो काम है, उस पर एनएचएआई के ईसी का अप्रूवल होना था । इस सड़क के बनने में एनएचएआई के चेयरमैन सात बार बदल गए, लेकिन अभी तक सड़क का नक्शा नहीं बदला है । जब मैं इस विषय को उठाता हूं और कोई नया चेयरमैन आ जाता है, तो वह अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देता है । उसके बाद, उस योजना की लागत 100 करोड़ रुपये बढ़ जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि सड़क का निर्माण कार्य बाधित रहता है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एनएचएआई और विशेष रूप से एनएचएआई के चेयरमैन से आग्रह करूंगा कि इस ईसी की बैठक में इसको स्वीकार करते हुए, इस कार्य को पूरा कराया जाए, जो कि पिछले 12 सालों से लंबित है।

***DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you, Hon'ble Chairman Sir. A few days ago, I had given a speech on the changing of rules of Bhakra-Beas Management Board by the Central government. Similarly, sir, the employees of Chandigarh are being brought under the Central Civil Services Rules. Earlier, they were under the Punjab Civil Services rules. These two matters are crucial for Punjab. Chandigarh had been constructed originally as the capital of undivided Punjab post-independence. Similarly, Bhakra-Nangal dam had been constructed for undivided Punjab post-independence. At that time, Chief Minister of Punjab was Sardar Partap Singh Kairon and Prime Minister was Pandit Jawaharlal Nehru. After Haryana was created in 1966, it was decided that 60% share will remain with Punjab and 40% share will remain with Haryana. The Civil Services Rules were to be of Punjab. Now, it is being changed. I want to tell the Central government that Punjab has always given more to India. Our land was divided many times. Our underground water was depleted. There is poison now in our waters. We provide wheat and rice in large quantities to the Central pool. Our brave men are valiant soldiers and protect the country. So, such step-motherly treatment must not be meted out to Punjab. This unjust order must be taken back immediately. Thanks.

माननीय सभापति : श्री हाजी फजलुर रहमान – उपस्थित नहीं।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी जी।

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यंत ही दुखद घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । बिहार के मनिहारी और झारखंड राज्य के बीच एक फेरी नाव सेवा चलती है । इसमें मालवाहक जहाज भी चलते हैं । 24 तारीख को एक मालवाहक जहाज साहिबगंज से चला था और रात को एक बजे कटिहार के बगल में गंगा नदी में पलट जाता है, जिसमें 14 में से 5 ट्रक पानी में डूब जाते हैं । सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि नाव परिचालन का नियम सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का है । झारखंड राज्य के पास तीन साल का परिचालन है । ये लोग रात के अंधेरे में चिप्स, गिट्टी इत्यादि लोड करके नाव का परिचालन करते हैं, जिसकी वजह से पांच ट्रक डूब गए । उसकी वजह से ट्रक के चालक और खलासी मर गए । उसमें दो लोगों की लाश मिली है तथा अन्य लोगों की लाशें भी नहीं मिली हैं । ट्रक भी नहीं मिल रहा है । झारखंड प्रशासन यह कह रहा है कि मालवाहक जहाज सुबह चला था । अगर जहाज सुबह चला था, तो वह रात के एक बजे कैसे पलटा? वह कटिहार के एरिये में पलटा थी । बिना कटिहार प्रशासन को सूचित किए जहाज वापस साहिबगंज चला गया । महोदय, मेरा कहना है कि इस तरह से अनियमितता बरतकर लोगों के जान-माल के साथ खिलवाड़ करना और सरकार का रेवेन्यू चुराने का काम कौन कर रहा है? यह काम झारखंड सरकार के इशारे पर हो रहा है, झारखंड प्रशासन ऐसा कर रहा है ।

माननीय सभापति : आप जो चाहते हैं, केवल उसका अनुरोध कीजिए।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : महोदय, इसको संज्ञान में लेना होगा । नहीं तो, इसी तरह से घटना घटती रहेगी और लोग मरते रहेंगे । जिन परिवारों के लोग मरे हैं....(व्यवधान)

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Chairperson, Sir, thanks for the opportunity. I rise here to draw the attention of the Minister of Chemicals and Fertilizers regarding the subsidy on fertilizers being provided for the farmers. In this year's Budget, that is, the coming year Budget, the subsidy has been reduced to an extent of 25 per cent compared with the previous year. This is going to affect the farmers across the country very severely, particularly the Tamil Nadu farmers will lose about Rs.1,500 crore of subsidy.

This will result in more agricultural production cost. At the same time, another negative effect is that the prices of all the ingredients that are used for manufacturing fertilizers are going up like anything. The reduction in subsidy compounded with the increase in ingredient cost would raise the market price of fertilizers heavily, which would affect the food price at the end and the consumers have to pay for it. Therefore, I request the Government to take serious note of it, and contain the increase in the cost of fertilizers.

*[*] **SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):** Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on a very important issue in this 'Zero Hour'. Pradhan Mantri Aawas Yojana is a very popular scheme. But the eligibility conditions are very weird. If you have a gas connection, mobile, TV set or a motor cycle, then you are not eligible for this scheme. The Central government forced people to take gas connection and they are now considered ineligible for the PMAY Scheme just because they have Ujjwala Gas connection. This is very ridiculous and unfortunate. People in rural areas are very agitated. Hence, I would like to request the Central government to amend the criteria fixed for the scheme so that the maximum number of people should take the benefits of this scheme.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Thank you very much, Sir, for giving me the opportunity to raise an important issue related to my parliamentary constituency.

The Central Government has sanctioned numerous road and national highway projects in Andhra Pradesh over the last few years. A new highway is planned from Visakhapatnam Port to Bhogapuram in Vizianagaram district, where a greenfield airport is coming up. The proposed highway would be extremely useful as it would shorten the distance between Visakhapatnam port and the States of Odisha and Chhattisgarh. It would pass through Rushikonda and Bheemili beach corridor projects along the coast.

---

[*] English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

Thus, the project would increase road connectivity in the State and also contribute to the development of tourism in the region. The development of the national highway would also provide easy connectivity to the proposed airport at Bhogapuram for the people of Andhra Pradesh.

Therefore, I would request the hon. Minister of Road Transport and Highways to expedite the work on the proposed highway from Visakhapatnam Port to Bhogapuram. Thank you, Sir.

*__SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB):__ Thank you, Hon'ble Chairman Sir. Today, Punjabis are angry. Step-motherly treatment is being meted out to Punjab on all fronts. At first, in Chandigarh, Punjab Cadre officers were earlier being appointed. Now, Central government officers are being deputed there. Then, Punjab Service rules were applicable on employees of Chandigarh, but now they have been unilaterally changed and Central Civil Service rules are being applied on employees of Chandigarh now. We will not tolerate this.

Sir, earlier too, the water of Punjab was taken away. Then, land of Punjab was snatched away. Now, even the dignity of Punjab is being eroded. We condemn it. So, I urge upon the government to abolish the new unjust notification issued regarding the employees of Chandigarh. Only Punjab Civil Services rules should be applicable on employees of Chandigarh. Thank you.

श्रीमती संध्या राय (भिंड): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र (भिंड) के किसानों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ । मेरे लोक सभा क्षेत्र का जिला (भिंड) कृषि की दृष्टि से बहुत उत्तम जिला है । कृषि के क्षेत्र में भिंड को और ज्यादा समृद्ध और क्षमतावान बनाया जा सकता है । केन्द्र सरकार के द्वारा देश के प्रत्येक जिलों में बड़ी संख्या में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की स्थापना की गई है । भिंड में भी एक कृषि विज्ञान केन्द्र है, लेकिन जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण सम्पूर्ण जिले के किसान इस लाभ से वंचित रह जाते हैं ।

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

इस कारण जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की अति आवश्यकता है । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हर किसान की आय दोगुनी हो, इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पुन: अनुरोध करती हूं कि प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने हेतु भिंड जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाए, जिससे किसानों की आय और क्षमता में वृद्धि हो । धन्यवाद।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Chairperson, Sir, Railway Recruitment Boards are recruiting several thousands of people every year. It has already been a problem in Tamil Nadu where we have found that most of the people who are recruited are from other States, and preference is not being given to local people from the Southern States. On top of that, we are also hearing that Railway Recruitment Boards are also going to be shut down where the number is going to get reduced. Further, we heard a shocking news. The cut-off marks of the exams put up by the Railway Recruitment Boards are open in the public forum. In the websites, we find that the cut-off marks for the unreserved categories are lower than those for the reserved categories. I never understood how it is possible. This has been happening for the last three to four years. From 2017-18, the cut-off marks for the unreserved categories are lower than those for the OBC, the SC and even the ST candidates. I have also taken it up with the Minister of Railways and explained it to him through a letter and also in person. He said that the matter has been looked into. Following that, I found that it still persists that way. Sir, I urge upon you to insist upon the Government to ensure that the jobs of these categories are not taken away. Thank you very much.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सर, मेरे लोक सभा क्षेत्र का एक छोर अमरोहा से शुरू होकर दूसरा छोर हापुड़ में खत्म होता है । इस हापुड़ छोर पर आखिरी गांव का नाम बिगास है । जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तब और पिछले विधान सभा चुनाव में भी इस गांव के लोगों ने वोट डालने से इन्कार कर दिया था और इलेक्शन का बायकॉट करने का एलान किया था । इनकी एक जेनुइन समस्या है । आपकी जानकारी में है कि बाबूगढ़ छावनी में ईबीएस – एक्विन ब्रीडिंग स्टड, वर्ष 1811 से बना हुआ है, जहां पर डिफेंस के लिए हॉर्स ब्रीडिंग होती है । इस गांव का रास्ता वहां से निकलता है, उस पूरे क्षेत्र में अच्छा रास्ता बना हुआ है, लेकिन वह एक किलोमीटर का रास्ता नहीं बन रहा है । मैंने उनसे कहा, लोकल एडिमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि या तो वे उसकी एनओसी दे दें तो हम अपने एमपीलैड्स से या जिला पंचायत या किसी अन्य निधि से वह रास्ता बनवा दें, लेकिन ईबीएस, बाबूगढ़ का लोकल एडमिनिट्रेशन न तो एनओसी देता है और न रास्ता बनाता है । आप देखिए कि वहां जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वहां इतने-इतने गढ्ढे हैं । मैं भी दो दिन पहले उस गांव में होकर आया । वह बहुत जेनुइन समस्या है और यह कहीं न कहीं रेड टेपिज्म की बात है । मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि बिगास गांव के लोगों को न्याय दिलाएं और वह रास्ता बनवाने का काम करें । बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपके और माननीय स्पीकर सर के प्रति बहुत आभारी हूं । अर्धनारीश्वर के परमभक्तों के ऊपर मैं आज यहां कुछ कहना चाहता हूं । किन्नर समाज हमेशा ही एक साहसी और प्रेमी समाज रहा है ।

सर, रामायण में, जो मैंने सुना और पढ़ा है, जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था, तब उनके पीछे-पीछे उनके कुछ भक्त वन में गए थे । तब भगवान श्री राम ने बोला था कि पुरुष और महिलाएं वापस अयोध्या चले जाएं । पुरुष और महिलाएं वापस चले गए थे, फिर भी उनके पीछे कुछ लोग गए थे, वे कोई और नहीं, किन्नर लोग थे, जिनको आज हम ट्रांसजेंडर या

थर्ड जेंडर कहते हैं । उनके प्रेम और सेवा से प्रभावित होकर भगवान श्री रामचन्द्र जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया था । मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि मुझे गर्व महसूस होता है कि हम दोनों सदनों में, ट्रांसजेंडर्स को इक्वल राइट्स देने के लिए या उनकी आइडेंटिटी को पहचान देने के लिए, बिल पास कर चुके हैं । इसको काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको हमने सही मायने में हर जगह लागू नहीं किया है । ट्रांसजेंडर्स की आइडेंटिटी को स्वीकार करने या उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने का हमें हक भी नहीं है, फिर भी हम उन पर सवाल उठाते हैं और बोलते हैं । चाहे रामायण से लेकर महाभारत तक हो, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हो और आज भी राजनीति और कला के क्षेत्रों में, यहां तक न्यायपालिका में भी इनकी भूमिका और योगदान बहुत रहा है । एयरपोर्ट्स, अस्पतालों, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक प्लेसेज आदि में कहीं पर भी इनके लिए आज भी टॉयलेट्स नहीं हैं । यह मेरी रिक्वेस्ट है । लोक सभा और राज्य सभा में भी इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

दोनों सदनों में इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी हम इनकी आवाज और आईडेंटिटी के लिए लड़ सकते हैं । आर्टिकल 14…(व्यवधान) मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please make your last point.

श्री अनुभव मोहंती: सभापति महोदय, मैं इस विषय को रामचरित मानस के एक श्लोक के साथ समाप्त करना चाहूंगा ।

"पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ

सर्ब भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोई ।"

जब श्री राम ने इनमें कोई अड़चन नहीं रखा, उनको एक समान इज्जत दी है ।…(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): सभापति महोदय, मैं आपको और अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरा जो संसदीय लोक सभा क्षेत्र खरगौन और बड़वानी है, वह पश्चिम निमाड़ के नाम से पहचाना जाता है । निश्चित तौर पर पश्चिम निमाड़ ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर कृषि कार्य ज्यादा किए जाते हैं, पहले वे गांव थे, अब वे शहर में बदल गए हैं और वहां पर आवागमन के कारण कई बार ट्रैफिक जाम लग जाता है । जो हमारे बड़े-बड़े शहर बन गए हैं, वहां पर रास्ते जाम हो रहे हैं, जिससे हमारे नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र के खरगौन जिले के कसरावद, गोगावा और बिस्टान, ऐसे ही बड़वानी जिले के खेतिया, निवाली, पानसेमल, सेंधवा, अंजड़ और राजपुर बड़े शहरों की स्थिति में आ गए हैं, जहां पर ट्रैफिक जाम रहता है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आह्वान करता हूं कि इन सभी शहरों में बायपास की स्वीकृति दी जाए, जिससे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है – स्वच्छ भारत और स्वच्छ रोडों का निर्माण, इसमें सभी शहरों के लिए बायपास की स्वीकृति दी जाए । धन्यवाद।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Wild boar is classed as least concern for wildlife protection by the International Union for Conservation of Nature and it has become an invasive species posing threat to crops and human life in part of its introduced ranges.

In Kerala, wild boar has turned into a menace for the farmers as the animal has been causing widespread crop loss in the State. Recently, wild boar attacks claimed several lives in my constituency, Kasaragod. The Government of Kerala has approached the Wildlife Institute of India, Dehradun, for classifying wild boar as vermin. If wild boar is declared vermin under the

Wild Life (Protection) Act, it can be culled. Since the Act is a Central Act, only the Union Government can modify it and reclassify the animals.

The Central Government may by notification, declare any wild animal, other than those specified in Schedule I and Part 11 of Schedule H of the Act, to be vermin for any area for a given period of time. As long as the notification is in force, such wild animal shall be included in Schedule V of the Act, depriving them of any protection under the Act. Wild boar is classed as least concern by the International Union for Conservation of Nature and it has turned into a menace for the farmers in Kerala, especially in my constituency, Kasaragod.

So, I urge upon the Union Government to declare wild boar as vermin in Kerala. Thank you very much, Sir.

माननीय सभापति : श्री फजलुर रहमान, आप उस समय अनुपस्थित थे।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): मान्यवर, मेरे जिला सहारनपुर की बेहट तहसील उत्तराखंड की पहाड़ियों से सटी हुई है, इस वजह से वहां बरसात के दिनों में पानी बहुत ज्यादा आता है और उसकी वजह से वहां का एक इलाका दूसरे इलाके से कट जाता है । बेहट तहसील में बहुत सारी नदियां हैं, तो कुछ नदियों पर पुल बनवाना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा । गांव मुर्तजापुर, मसखरी नदी के ऊपर एक पुल बनवाया जाए और साथ में बादशाही बाग में भी एक पुल बनवाने की कृपा करें । कुर्दी-खेड़ा भी इसी तरह का एक गांव है ।

इसके अलावा रामपुर तहसील में एक इलाका कलरपुर है, जिसका पुल बीस सालों से टुटा हुआ है, उसका पिछली दफा यहां इश्यू उठाया था, उसकी एस्टिमेट बन चुकी है, लेकिन पैसे की ग्रांट नहीं मिली है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि पैसा ग्रांट करें और उसकी सूचना हासिल करके सदन को बताने की कृपा करें।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सहरसा-पूर्णिया रेल खंड के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया में स्थित जानकीनगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस 15283 और 15284 एवं कोसी एक्सप्रेस 18625 और 18626 के ठहराव की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा लम्बे समय से उठाई जा रही है । इन स्थानीय लोगों की मांगें पूर्णत: वाजिब हैं । जानकीनगर रेलवे स्टेशन राजस्व के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है । मैं भी इस मांग को संसद और रेल मंडलों की बैठक में लगातार उठाता रहा हूँ । उपरोक्त ट्रेन्स की ठहराव की मांगों को लेकर स्थानीय संगठन, रेल विकास मंच के द्वारा 22 मार्च, 2022 को पूर्व सूचना देने के बाद जानकीनगर रेलवे स्टेशन पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया । सूचना मिली है कि धरना-प्रदर्शन में शामिल लगभग 150 लोगों को नामजद एवं हजारों लोगों को अन्य के रूप में नामजद करके रेलवे थाना में एफआईआर किया गया है । इससे आम लोगों में भय व्याप्त है । जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वह धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्ण था । रेल की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है । ऐसी स्थिति में, दर्ज एफआईआर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

इसके साथ ही, मैं आपके माध्यम से, माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उपरोक्त दोनों ट्रेन्स का ठहराव जानकीनगर रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए एवं वहाँ के लोगों पर किये गये एफआईआर को वापस लिया जाए ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सदन का ध्यान प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर आकर्षित करना चाहूंगी । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में जो सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं, जैसे सीमेंट, ईंट, सरिया आदि, इनकी कीमतों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है । लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो धनराशि आवंटित की जाती है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है । इसके कारण जो लोग घर बनाते हैं या तो उनके घर अधूरे रह जाते हैं या उनको घर बनाने के लिए काफी ऋण लेना पड़ता है ।

मेरा आपके माध्यम से, सरकार से अनुरोध है कि जिस रेशियों में घर बनाने के सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि हुई है, उसी रेशियो में आवंटित होने वाली धनराशि में भी वृद्धि हो ।

इसके साथ ही, मैं इसमें दो पॉइंट्स और एड करना चाहूंगी।

माननीय सभापति : इसमें एक ही पॉइंट बोलना चाहिए।

श्रीमती संगीता आजाद : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2018 में लाभार्थियों की जो सूची बनाई गई है, उसमें कई पात्र लोगों के नाम नहीं हैं और कई नामों की कटौती भी की गई है । इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि इसके लिए एक जिला स्तरीय कमेटी बिठाई जाए या इसका सर्वे कराया जाए ताकि इनमें नामों की वृद्धि हो सके और पात्र लोगों को इसमें ऐड किया जाए ।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो घर गिर जाते हैं, उनके लिए भी कोई फास्ट ट्रैक के रूप में सर्वे कराया जाए और ऐसे लोगों के नामों को भी ऐड किया जाए ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हिबी ईडन (एरनाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मेरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे दो मिनट अधिक मांग रहा हूँ ।

Sir, there is a huge uncertainty and concern amongst the students and their parents who are pursuing the medical education. Especially after the COVID pandemic and the Russia-Ukraine war, the situation has been very

pathetic. More than 90 per cent of students have taken heavy educational loans and their future is uncertain. The COVID-19 induced pandemic has destabilized the practices in the education sector. With the new normal changing the practices and norms of the education sector, there has been a major shift in the medium of teaching. The shift to online classes has been greatly lauded and has benefitted many students to continue their education. While these online classes serve their purpose of teaching theory subjects, the students that have enrolled for degrees such as Medicine and other Science courses are being deprived of practical classes which are vital for their practice. For the last two years, foreign medical students enrolled in universities, especially in China and Ukraine and Phillipines etc., have been going through a tough time with mounting mental stress, worrying about uncertainties in completing their degree course. Most of them are on the verge of committing suicide with the current travel restrictions in place.

As per a reply from the Directorate of Health Services, Kerala, assistance in clinical training can be provided with appropriate permission from host universities, which the students have obtained. Therefore, I request the Union Government and the State Government to look into the matter, so that suitable help can be provided to the students in any possible form for the hands-on training in authorized hospitals of respective States.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, पयर्टन मंत्रालय की तरफ से वर्ष 2016 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना की शुरूआत की गई थी । इस योजना का लक्ष्य था कि पूरे देश के अंदर जितने धार्मिक स्थल हैं, उनकी मरम्मत हो सके और ठीक से, बढ़िया से वे बन सकें और पर्यटन स्थल के रूप में वे विकसित हो सकें ।

धार्मिक मान्यता के अनुसार और पौराणिक इतिहास के हिसाब से देवी-देवताओं के जो स्थान थे, उनको विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना बनाई गई थी । इसके अंतर्गत सीधे सांसदों की रिकमनडेशन पर उनके क्षेत्र में मंत्रालय से पैसा भेजा गया था, लेकिन बाद में इसमें राज्य सरकारों को इन्वॉल्व कर लिया गया, जिसके कारण सांसदों की सीधी रिकमनडेशन पर अब स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पैसा नहीं मिल पा रहा है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरीके से वर्ष 2016 में यह योजना लॉन्च हुई थी और जिस तरह सांसदों की संस्तुति पर उनके क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पैसा जारी होता था, वैसे ही इसको पुन: जारी किया जाए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, भारत सरकार की नौकरियों में जनवरी, 2004 से तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में अप्रैल, 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । इसके स्थान पर शेयर बाजार आधारित जोखिमों के अधीन नई पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई है । इस कारण देश के करीब 3 करोड़ 50 लाख लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं । इससे शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी रोष व्याप्त है ।

पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं । कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूर्ण लगन से मानवता की सेवा की है । देश में नई पेंशन प्रणाली लागू होने

व निजीकरण के कारण आज भारत सरकार के शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी अपना पूरा जीवन देश को अपनी सर्वोत्तम सेवाएं देने के बाद भी अपने बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं ।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि जनहित और देशहित में निजीकरण को रोकने व देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हेतु उनके बुढ़ापे की लाठी अर्थात् पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुन: बहाल करने की कृपा की जाए ।

धन्यवाद।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Thank you, Sir.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) plays a significant role in addressing the issue of rural distress. Millions of rural workers in the country depend on the scheme for their survival.

MGNREGS had saved the economy during the lockdown. Still the wages paid under MGNREGS remain below the minimum wages in many States. There is continuous demand from the beneficiaries and various State Governments for revision of wages and to increase the number of guaranteed working days under MGNREGS.

I would request the Government to consider revising wages paid under the scheme. Considering the distress situation, it is necessary to increase employment days to 200 in a financial year. Budget allocation for the scheme should be enhanced for enabling the same.

Complaints about delay in the distribution of wages are being reported from many States including Kerala. The Government should take a review on this issue, and necessary measures are to be taken to resolve this issue. Thank you, Sir.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट) : माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, मैं एक ऐसे विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि इस समय पर्यावरण को बचाने के लिए और संरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चिंताएं की जा रही हैं ।

प्रत्येक ग्राम में छोटे-बड़े झाड़-जंगलों के नाम से राजस्व की जगह पर सारी भूमियां अंकित हैं । लगातार धीरे-धीरे अब सारे वृक्ष समाप्त होते चले जा रहे हैं, लोग उन पर अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं । अब गांवों में भूमियां नहीं बची हैं, यहां तक कि वृक्षों की संख्या भी घटती जा रही है, क्योंकि लोग खेती करने के चक्कर में लगातार वृक्षों को काट रहे हैं । इसके कारण हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है, हमें शुद्ध वायु नहीं मिल रही है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्व की वनग्राम की इस भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए इसकी पूरी फेंसिंग की जाए । वन विभाग केवल इसकी फेंसिंग कर दे, इसका संरक्षण कर दे, तो इसका जितना रूटस्टॉक है, वह चार-पांच सालों में अपने आप वृक्षों में तब्दील हो जाएगा ।

जहां ऐसी स्थिति नहीं है, जहां लोगों को आवास की दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आवास पर कब्जे कर लिए हैं । ऐसी जगहों को परिवर्तितत करके लोगों को आवास बनाकर दिए जाने के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई जाए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दीपक बैज (बस्तर): सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र बस्तर के छह जिलों बस्तर, कोंडागाव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में महारा जाति की जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक है, जो कि बहुत पिछड़े व गरीब हैं । वे एससी जाति में आरक्षण को लेकर मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है । अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को महारा जाति को अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 33 में महार, मेहर, मेहरा के प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 3 जून 2021, 10 जनवरी 2022 व 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के समक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजा है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि महारा जाति बहुत पिछड़ी है, इसलिए इन्हें एससी जाति में शामिल करने की केंद्र सरकार तत्काल पहल करे।

*__SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA):__ Thank you, Hon'ble Chairman Sir. The ninth Guru of Sikhs Shri Guru Teg Bahadur is also called 'Hind di Chaadar'. The Haryana Chief Minister Shri Manohar Lal ji has decided to celebrate the 400th anniversary of Shri Guru Teg Bahadur ji at Panipat.

So, I urge upon the Hon'ble Railway Minister that Nanded Sahib express train, that passes through my constituency Narwana, Sirsa, should be given a stoppage/halt there. It will help our Sikh brothers and sisters. Nanded Sahib is the religious place where the tenth Guru ji had passed away. On 24th April, we are celebrating the occasion of ninth Guruji's 400th anniversary at Panipat. So, I demand that halt of this train should be provided at Narwana, Sirsa for our Sikh devotees. Thank you.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

Waheguru ji da Khalsa, Waheguru ji di Fateh (The Sikhs belong to the Supreme God. The Supreme God is victorious).

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति जी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नार्थ ईस्टर्न रीजन में नार्थ ईस्ट स्पेशल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में मेरे जिले बारपेटा से दो स्कीम असम सरकार ने भेजी थीं । एक स्टेट हाईवे नम्बर-2 है बारटेरी एसएच-2 से ताराकांदी वॉया मुहिआंद मुइनबोरी रोड, जिसका एस्टीमेट 45 करोड़ रुपये है । यह रोड बनने से वहां कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा और हदीराचौकी जहां पर मान और अहोम का लास्ट युद्ध हुआ था, वह पर्यटन क्षेत्र का भी विकास होगा । एक दूसरा प्रपोजल डालगुमा चायसिमाना रोड पर आरसीसी ब्रिज वन बॉय वन, जिसका एस्टीमेट 79.80 करोड़ रुपये का था । लेकिन दुख की बात है कि यह स्कीम मिनिस्ट्री आफ डेवलपमेंट ने सैंक्शन नहीं की है । पहले इस विभाग के मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह थे, अब जी. किशन रेड्डी जी हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो।

<u>19.00 hrs</u>

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): सभापति जी, मैं गौवंश के अवरुद्ध करने का विषय सदन के सामने रख रही हूं । गौवंश, जिन्हें हम सांड कहते हैं उनका बधियाकरण किया जा रहा है और देसी गौवंश को रोका जा रहा है । इन्हें जर्सी कहते हैं, उनके दूध में कोई भी गुण नहीं है, लेकिन दूध अधिक देते हैं, इसलिए उन्हें संरक्षित किया जा रहा है । देसी गाय के दूध, जो गुणों से भरपूर है, उसके रोम-रोम में औषधि है, उनका वंश रोका जा रहा है और बधियाकरण करके उसे अवरुद्ध किया जा रहा है । गाय हमारी गौमाता है, इसलिए देसी गौवंश को बढ़ने न रोका जाए तथा वे सड़कों पर न मारी जाएं, इसके लिए उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): India has committed towards net-zero emissions by 2070 and achieving non-fossil fuel energy capacity of 500 GW by 2030. The Government's push for utility-scale projects is appreciated. However, the rooftop solar programme in the country has failed to pick-up. In this regard, I would like to request the Government of India to do easy financing and unrestricted net metering, and keep an easy regulatory process which could really spur up the growth of the sector. Public financial institutions and other key lenders could also be mandated to lend to the sector. Thus, I would request the Minister of New and Renewable Energy to simplify the process and reform the rooftop solar programme to increase the share of residential sector in the total solar power capacity.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एडीपी योजना के तहत देश के दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण दिलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । उनकी प्रेरणा से मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र सतना में 23000 से अधिक दिव्यांगों का पंजीकरण करके उन्हें कार दिलाई । 1400 से अधिक ट्राईसाइकिल तथा अन्य उपकरण भी दिलाए । आज सतना जिला देश का सबसे अग्रणी जिला बन चुका है।

मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान खोले जाने की मांग करता हूं और साथ ही एलिम्को कम्पनी के उपकरण सुधार हेतु सतना, मैहर, चित्रकूट में आश्रय केंद्र खोले जाने की भी मांग करता हूं । मैं सभी दिव्यांगों को प्रधान मंत्री जी की आयुष्मान योजना से जोड़ने की मांग करता हूं।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये ।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Adv. A. M. Ariff	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri T. N. Prathapan	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S. Shri N.K. Premachandran
Shri Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar	Shri Shrirang Appa Barne
Shri M.K. Raghavan	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	Shri Syed Imtiaz Jaleel Shri Shrirang Appa Barne Dr. Shrikant Eknath Shinde
Shri Ganesh Singh Dr. Dhal Singh Bisen Shrimati Sandhya Ray Sushri Sunita Duggal Shri Anubhav Mohanty	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Ravindra Kushawaha Sadhvi Pragya Singh Thakur Shri Santokh Singh Chaudhary Shri Gajendra Umrao Singh Patel Shri Karadi Sanganna Amarappa Shri C. P. Joshi Shri Durga Das Uikey Shri Rajiv Pratap Rudy Shri Sushil Kumar Singh Shri Devendra Singh 'Bhole' Shri Nihal Chand Chouhan Shri Dulal Chandra Goswami Shri Dipsinh Shankarsinh Rathod	
Shri Anto Antony	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S. Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Kumari Ramya Haridas Dr. DNV Senthilkumar S. Shri E. T. Mohammed Basheer	Shri Dhanush M. Kumar
Shri Shrirang Appa Barne	Shri Hanuman Beniwal Shri Om Pavan Rajenimbalkar

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही, मंगलवार, 29 मार्च, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

19.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 29, 2022/Chaitra 8, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjourn of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)